Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 22-08-2005

Participants : Dasmunsi Shri Priya Ranjan,Ponnuswamy Shri Mohan,Pradhan Shri Dharmendra,Yerrannaidu Shri Kinjarapu,Suman Shri Ramji Lal,Vijayan Shri A.K.S.,Deo Shri V. Kishore Chandra S.,Sangwan Shri Kishan Singh,Patil Shri Shriniwas Dadasaheb,Jha Shri Raghunath,Aiyar Shri Mani Shankar,Singh Shri Kalyan,Aiyar Shri Mani Shankar,Prabhu Shri Suresh,Swain Shri M.A. Kharabela,Ramadass Prof. M.,Mahto Shri Tek Lal,Naik Shri Dharavath Ravinder,Sethi Shri Arjun Charan,Chinta Mohan Dr. ,Krishnan Dr. C.,Patil Shri Annasaheb,Sar Shri Nikhilananda,Kumar Shri Shailendra,Maharia Shri Subhash,Mahato Shri Bir Sing,Baxla Shri Joachim,Nikhil Kumar Shri ,Singh Shri Uday,Prasad Shri Lal Mani,Pal Shri Rupchand,Maken Shri Ajay,Appadurai Shri M.,Singh Kunwar Rewati Raman,Deo Shri Bikram Keshari,Gowda Dr. (Smt.) Tejasvini,Singh Shri Sitaram,Acharia Shri Basudeb,Gandhi Shri Pradeep,Bisen Shri Gauri Shankar Chaturbhuj,Lagadapati Shri Rajagopal,Ahir Shri Hansraj Gangaram,Bwiswmuthiary Shri Sansuma Khunggur,Virendra Kumar Shri ,Shiwankar Shri Maha Deo Rao,Patil Adv. Tukaram Ganpatrao Renge,Saroj Shri Tufani,Pateriya Smt. Neeta,Mahtab Shri Bhartruhari,Pal Shri Raja Ram,Singh Shri Bijendra,Singh Shri Rakesh,Jatiya Dr. Satyanarayan,Ravichandran Shri A.,Suklabaidya Shri Lalit Mohan,Athawale Shri Ramdas,Rathod Shri Harisingh Nasaru,Verma Shri Ravi Prakash,Radhakrishnan Shri Varkala,Oraon Shri Rameshwar,Wagmare Shri Suresh Ganapat,Mishra Dr. Rajesh Kumar,Thakkar Smt. Jayaben B.,Yadav Dr. Karan Singh,Khaire Shri Chandrakant Bhaurao,Meinya Dr. Thokchom,Shandil Dr. (Col.) Dhani Ram,Mohale Shri Punnulal

>

Title : Discussion on the motion for consideration of the National Rural Employment Guarantee Bill , 2004 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh on the 18th August, 2005.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up item No. 21, that is, further consideration of the National Rural Employment Guarantee Bill. The time allotted was eight hours; we have taken 3 hours and 53 minutes; and the time left with us is 4 hours 07 minutes. Last time when the House was adjourned, no Member was on his feet.

I would now give the floor to Shri Priya Ranjan Dasmunsi.

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यूपीए सरकार के द्वारा ग्रामीण् विकास के मंत्रालय के जिम्मेदार मंत्री रघुवंश प्रसाद जी द्वारा यह जो बिल सदन में लाया गया है, मैं इसके समर्थन में अपने पक्ष को विस्तार से आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ cÚÆ[i28]*

मैं पहले स्टैडिंग कमेटी के माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने और उनके चेयरमैन कल्याण सिंह जी ने कडी मेहनत के साथ रिपोर्ट को सर्वसम्मति से सदन में पेश किया। रिपोर्ट पर कैबिनेट ने गहरी चर्चा की। उसके बाद सरकार ने यह कानून सदन में पेश किया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) कानून नहीं, विधेयक सदन में पेश किया गया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः मेरे हिन्दी के भााण में मेरी मदद कीजिए।

मैं इस विधेयक के बारे में कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं - चाहे इस तरफ से या उस तरफ से कितनी भी तकरीरें हों, देश में बेरोजगारी और गरीबी का जो मसला है, उनका समाधान आसानी से ढूंढना किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है। सरकार ने कानूनन रूप से, इसकी शुरूआत सोशल सिक्योरिटी के रूप में करके, इन लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए एक कदम उठाया है। देश की आबादी बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक संगोठी में भाग लिया था। चाहे उत्पादन कितना भी हो, साधन कितने भी जुटाए जाएं, अगर उसके साथ दूसरी योजनाएं भी चलायी जाती हैं तो बढ़ती हुई आबादी को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो सारे प्रयास एक दिन में फेल हो जाएंगे। यही बात इन्दिरा जी ने 1974 में इस सदन में दोहरायी थी कि देश में चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, उसके साथ बढ़ती हुई आबादी के मसले को जोड़ते हुए देखें। ऐसे समय में चाहे योजना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, काम नहीं करेगी।

महोदय, मैं आज आपके सामने 2-3 मुद्दों को लेकर बात करना चाहता हूं। सदन में इस पर गम्भीर बहस हुई। परसों इस पर जो बहस हुई, वे सब भााण मैंने आदर के साथ पढ़ें। सभी ने इस पर चिन्ता जतायी और कहा कि जल्दबाजी में इसे नहीं लेना चाहिए, 55 रुपए में क्या होगा। नीतीश जी ने इसे बांट करके देखा और कहा कि छः रुपए में क्या होगा, 100 रुपए में क्या होगा, उनका कैसे गुजारा होगा। उन्होंने सही कहा कि क्या कोई पार्टी, कोई एक पॉलिसी यहां पेश कर सकती है? हमारे पास जादू नहीं है। क्या हम उस जादू से बढ़ती हुई सौ करोड़ की आबादी में जितने लोग गरीब और बेरोजगार हैं, उसे इस नक्शे से ठीक कर देंगे? ऐसा जादू किसी के पास नहीं है, न हमारे पास हैं और न आपके पास है लेकिन रास्ता दिखाना आवश्यक है।

मैं आपके सामने जो बात कहने के लिए आया हूं, मैं उसकी शुरूआत यहां से करना चाहता हूं। श्री कल्याण सिंह जो एक अनुभवी मुख्यमंत्री और वाजपेयी जी की पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने अपनी मेडन स्पीच में शुरू में कहा कि " मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि 40-50 वर्षों के बाद ही सही लेकिन सही दृटिकोण अपनाया है। दूसरा, इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि अभी तक कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नारे से देश को भ्रम में डाल रखा था। उसके आधार पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए लेकिन आम पब्लिक समझ नहीं पायी कि इस नारे का क्या अर्थ है? "

पॉलिटिक्स में कोई भी कानून, कोई भी विधेयक अगर लाया जाता है तो उसमें क्या कमियां हैं, उस पर रोशनी डालना और बात करना सही है लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे संविधान के प्रिएम्बल में सोशलिज्म जोड़ने से पहले चाहे दुनिया में कितना भी ग्लोबलाइजेशन हो, इन्दिरा जी ने पहला क्रांतिकारी कदम उठाया। आप सब उसके बारे में देश के कोने-कोने में जाकर पूछ सकते हैं कि उस कदम से गरीब लोगों को सहारा मिला या नहीं? इस सदन में खड़े होकर इन्दिरा जी ने कहा था कि बिड़ला, टाटा, सिंघानिया और गोयनका आदि पूंजीपतियों के हाथों से बैंकों को सरकार अपने हाथ में लेकर गरीबों की सहायता करना चाहती है। उस दिन हमें सदन में सभी तरफ से समर्थन नहीं मिला थाइ/ड29ट।

लेकिन बहुमत मिलने के बाद जनता से मिलकर जब इंदिरा जी लौटकर आईं और तुरंत संविधान को बदला। आज क्या स्थिति है? आज लखनऊ से लेकर बंगाल के गांव का एक ठेलेवाला, एक रिक्शे वाला, पब्लिक बस, व्हीकल का ड्राइवर, इंस्ट्रक्टर या मालिक के वाहन के पीछे, रिक्शे के पीछे या बस के पीछे लिखा होता है कि मैं इस कर्ज के लिए इस सरकार के फलाना

बैंक के साथ जुड़ा हूं, मैं किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं हूं। अगर आज का रिकॉर्ड लिया जाए तो एनपीए का एस्टीमेट, जो मैंने पिछले सदन में स्टडी किया था कि बेरोजगार नौजवान को जिस बैंक से राहत मिली, बेरोजगार लोगों को, ग्रुप कोऑपरेटिव को जो राहत मिली, उनको कर्ज माफ कर दिया गया। एनपीए का 90 परसेंट कर्ज उन्होंने माफ कर दिया लेकिन 10 परसेंट बड़े उद्योगपति ने माफ नहीं किया, मझले इंडस्ट्रिलिस्ट ने माफ नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बैंक नेशनलाइजेशन का पहला कदम गरीबों तक पहुंचा। क्या हम यह नहीं कह सकते कि हिन्दुस्तान के कृाि विकास क्षेत्र में जितने ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, जितने एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स काम कर रहे हैं, उन सब इम्पलीमेंट्स के लिए चाहे लैण्ड डेवलपमेंट बैंक की सहायता हो, चाहे राट्रीय बैंक की सहायता हो, संभव नहीं होती अगर बैंकों का राट्रीयकरण नहीं होता। यह कदम पहले उठाया था। इस कदम को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। श्री कल्याण सिंह जी ने कहा 40-50 वर्षों में कुछ हुआ नहीं है। मैं आपके सामने एक बयान पढ़कर सुनाता हूं, बयान तो नहीं सदन में दिया हुआ जवाब है। श्री सुन्दर लाल पटवा जी आदरणीय नेता हैं और पिछले सदन में मैंने उनके विचार सुने, इससे पहले वे ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे सवाल किया गया कि गरीबी मिटाने के लिए बेरोजगारों को कुछ काम देने के लिए क्या इस देश में कुछ हो रहा है? उन्होंने कहा था - Yes, Sir, Government have been implementing a number of programmes, poverty alleviation programmes from time to time. Some major Poverty alleviation schemes were launched in the past. पास्ट कहते हुए उन्होंने कहा - आई.आर.डी.पी., ट्रेनी, ट्राइसेम, डवाकरा, जे.आर.वाई, एम.डबल्यू.एस, ई.ए.एस., सितरा, जे.जी.एस.वाई इन सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। फिर उनसे पूछा गया कि काम का नतीजा क्या है? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा - The programmes have successfully achieved their objectives and helped in alleviating the rural poverty in the country. Statement is now placed to justify the facts. श्री सुन्दर लाल पटवा जी को अनुभव था, उन्होंने

सही कहा कि पिछले दिनों से यह प्रोग्राम चल रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव्स में हमने काफी सफलता पाई है लेकिन आगे भी कुछ करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि 40-50 वर्षों से राज्यों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि इन सब प्रोग्राम्स को कार्यान्वित करने के लिए योजनाओं के मुताबिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है और कार्यान्वयन राज्य में होता है। क्या यह बात सही नहीं है कि 50 साल या 55 साल में अकेले कांग्रेस ने राज नहीं किया, अगर राज्य सरकार को गिना जाए तो आप देखें कि गैर कांग्रेसी राज का मौका भारत के सबसे महान् प्रान्त उत्तर प्रदेश को बहुत मिला, बिहार को मिला और बंगाल को तो 28 साल मिल चुका है। बाकी प्रांतों को पांच, छः और नौ साल मौका मिला है और केन्द्रीय स्तर पर कुल मिलाकर 11 साल से अधिक समय गैर-कांग्रेसी सरकार को मौका मिला है। इसलिए हम किसी पार्टी को कटघरे में खड़ा करके बहस नहीं करना चाहते। हमने पहले ही कहा है कि समस्या बहुत भयंकर है, इससे निपटने के लिए हमें रास्ता ढूढ़ना होगा। श्री राजीव गांधी ने सही दृटिकोण अपनाया था और कहा था कि पार्लियामेंट और स्टेट असैम्बली चाहे कितने भी कानून पास करे वे कानून गांव तक नहीं जा पाएंगे जब तक दया छोड़कर, कृपा छोड़कर सं वैधानिक रूप से डेमोक्रेसी को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। The 73rd and 75th amendment gave new life to the Panchayats . अगर राजीव गांधी जी उस समय यह दृटिकोण नहीं अपनाते तो आज गांव में इतनी सारी स्कीम्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। आप देखें कानून में बुनियादी ढांचे को जो शक्ति दी गई है वह ग्राम पंचायत को दी गई है। किंग को चुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है, गांव को पार्लियामेंटरी अधिकार दिया है और उसे लागू करने के लिए फैसला लेने के लिए, कानून में लिखा है कि हमें गांवों के लोगों से सलाह करने के बाद ही उसे स्थिर करना है।

15.00 hrs.

इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? इंडियन डैमोक्रेसी की मैच्योरिटी के साथ इस काम को करने का जो तरीका है. वह नेशनल रुरल एम्पलायमेंट गारटी बिल में लिखा हुआ है। मैं समझता हूं कि पूरे पार्लियामेट को, चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के लोग हों the decentralised democratisation of the whole power, empowerment to the panchayats is necessary. जिस पंचायत में एक तिहाई से ज्यादा स्थानों पर महिलाओं का अधिकार हो गया हो, उस आधार पर काम करने के लिये जो योजना बनी है, उस योजना का बिना टीका-टिप्पणी किये स्वागत किया जाना चाहिये। हां, साधनों की कमी है, धन की कमी है। अगर एक आदमी दिन में भीख मांगकर 10-20 रुपये कमाता है जिसे दिलाने के लिये माफिया के लोग काम करते हैं, वह उससे पैसा छीन लेता है। गरीब तो गरीब है लेकिन हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने वही कहा जो स्व. राजीव जी ने कहा। उन्होंने कहा था कि हमें दया नहीं, अधिकार दो। पंचायत दया नहीं, एस.डी.ओ. या म्युनिसिपैलिटी की दया नहीं होगी कि जब चाहा किसी इंसपैक्टर को बैठाया या एडमिनिस्ट्रेटर ने कह दिया कि नहीं होगा। संविधान हमें हकीकत दे सकता है। हम लोग आज तक रूरल एम्पलायमेंट प्रोग्राम कर रहे थे। उसमें कभी-कभी दया थी क्योकि जिला मैजिस्ट्रेट कहता था कि फंड्स नहीं हैं, इसलिये काम नहीं होगा। बी.डी.ओ. ने कहा कि नहीं होगा, पंचायत बंद है, इसलिये नहीं होगा या फंड्स नहीं आया, इसलिये नहीं होगा। अब शुरुआत तो करें। आज यह दया नहीं, अधिकार बन गया है। हम 200 जिलों से आगे बढ़ सकते हैं। हां, हम बढ़ सकते हैं। जब 1976 में आई.आर.डी.पी. 54 जिलों तक शुरु हुआ जो बाद में 100 जिलों तक चला गया। अक्तूबर, 1980 में स्व. इन्दिरा जी के समय में सफलता मिल गई कि पूरे देश में आई.आर.डी.पी. लागू किया जाये। इसलिये आज हम शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआती ढंग से हमारे पास इस साल का जो पैसा बचा हुआ है, वह फूड फॉर वर्क और आई.आर.डी.पी. के काम में लग जायेगा। करीब-करीब 11 हजार करोड़ रुपया अगले साल में फंड बन जायेगा। एन.आर.ई.जी. बिल से हम स्टेट गवर्नमेंट का बोझ हलका करेंगे। इतना हलका होगा, यह सोचा भी न था लेकिन फिर भी हो गया। फंड्स रिलीज होने के बाद निश्चित रूप से 200 जिलों में आयेगा और इसे बाद में बढ़ायेंगे। यदि घर मे एक नौजवान है तो उसका हौसला बढ़ेगा कि उसे भीख नहीं मांगनी है। वह हिम्मत से कुछ लेता है और बाकी के लिये देश की तरफ देखता है। I have not said, we are not saying, and Soniaji never said that this is the end of everything. It is the beginning to restore confidence in terms of social security in the villages in the country. All we have to do is to take them as the pilot projects. कोई भी स्कीम आत्मविश्वास के बिना नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि पंचायत पर भरोसा रखिये। पौलिटिक्स चाहे कैसी भी हो लेकिन पंचायत ही गांव में भेजकर पता लगायेगी कि कहां नाला निकालना है। इस योजना में हमारे मंत्रालय जल संसाधन का सब से ज्यादा काम है। हम कहेंगे कि 10 हैक्टेयर की सिंचाई करेंगे, कुदाल लेकर गांव में चले जाओ, बरसात का पानी आ रहा है, उसे स्टोर कर लो। देश के नव निर्माण के लिये लोगों की पहचान बनायेंगे। इन सब चीजों के बीच में ठेकेदार नहीं है। It is a very beautiful and very revolutionary concept of the whole system. इसलिये मैं कहता हूं कि इसमें पौलिटिक्स लाकर कुछ नहीं करना चाहिये। कौन कहता है कि कुछ नहीं हुआ है । मैं आपको एक बात बताऊंगा तो आप हैरान होगे कि शहर की मेन मार्किट में एक बच्चा मां को लेकर हमारी गाड़ी के सामने भीख मांगने आ गया। मैंने सोचा कि ड्रामा हो गया लेकिन अधिकारी ने कहा कि थोड़ा-थोड़ा हो रहा है। उसने कहा कि अगर तीन-चार मार्किट में जाइये तो ऐसी हालत देख पायेंगे। मैंने देखा कि एक सिल्क साड़ी की दुकान के सामने एक बच्चा आ गया तो दुकानदार ने उसे रोक दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सब का दुख मिट गया है। मेरा यह मानना है कि रेजीमेंटल तरीके से गरीबी मिटाने के लिये कदम नहीं उठाया गया। हम ब्लडशैड द्वारा फैमिली प्लानिंग नहीं करें। हमें लोकतंत्र को जिन्दा रखकर समाज में कदम उठाना चाहिये। हमारी आबादी जिस रफ्तार से लगातार बढ़ रही है उससे फैमिली प्लानिंग सक्सैसफुल नहीं होने वाला है। श्री शरद पवार जी उस दिन कह रहे थेइ्ऽ्ऽ30ट।

उस दिन श्री शरद पवार जी हमें बता रहे थे कि प्रधान मंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है जो सुझाव देगी कि 11वीं योजना में फूड प्रोडक्शन डबल करने के लिए हमें क्या चाहिए। शरद जी ने हमें खुद कहा कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे. देश के फारमर्स भी काम करेंगे, सिंचाई दुगुनी कर देंगे। लेकिन आबादी के बारे में हम लोगों को दीर्घ रूप में सोचना चाहिए कि कंट्री के लिए अल्टीमेट प्रोग्राम क्या होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो विधेयक यू.पी.ए. की तरफ से प्रस्तुत किया गया है, इसका क्या कारण है। मैं सच कहता हूं कि इसमें राजनीति नहीं है। राजनीति क्यों नहीं है - नीतीश जी ने कहा कि इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। यू.पी.ए. को बहुत स्पट मैनडेट मिला है, हमें देश की एकता तथा सेक्युलरिज्म को मजबूत करना है और गरीब को नया विचार देने के लिए हमें हर कदम के बारे में प्रायोरिटी के साथ सोचना है। इन दोनों के साथ हमारा तालमेल है और तालमेल होने के कारण हमने देखा कि जवाहर रोजगार योजना दया है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। इम्पलॉयमैन्ट एश्योरेन्स स्कीम दया है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन दया नहीं, हमें कानूनन अधिकार चाहिए। इस तरफ हम लोगों ने शिफ्ट किया है। यह कदम यू.पी.ए. के विचार हैं, यू.पी.ए. का राजनीतिक दृटिकोण है। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हम जानते हैं कि यह आत्मविश्वास पैदा करने के लिए किसी व्यक्ति, किसी राजनीतिक दल को ले लीजिए। हिन्दुस्तान की सदन में हर पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। जिस आदमी को इस कानून के

द्वारा अगले दिन पैसा मिलेगा, दो साल के बाद ज्यादा मिलेगा, पांच साल के बाद और ज्यादा मिलेगा, उसमें आपको भी गौरव होगा और हमें भी गौरव होगा। हम सब लोग मिलकर सोचेंगे। The Indian Parliament thought together that it is an issue beyond politics. It is a dedication of the Indian Parliament to ensure social security and confidence of the poorest of the poor in this country with another commitment to ensure that further poverty is not extended and population management is under control. That should be the logical consequence and the conclusion of the entire theme of the Employment Guarantee Bill. The word 'guarantee' itself is a confidence… पैसा चाहे 500 हो, अगले दिन हजार हो, डेढ़ हजार हो, ऐसा नहीं है। गारंटी से हमारा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम रिप्लेस हो जायेगा। इस गारंटी के बाद और जो योजनाएं हैं, उन्हें भी मजबूत करने के लिए हम लोग आगे चलेंगे। आप लोगों को सोचना चाहिए, सरकार के दृटिकोण की जांच करनी चाहिए कि इसका कान्सैप्ट क्या है। मैं यह टोकने के लिए नहीं कहता हूँ। Is a jump from Rs. 4,500 crore to Rs. 11,000 crore in the food for work programme not a paradigm shift of the whole approach to the rural poverty by the UPA Government! आप यह कहेंगे कि पैसा कहां से आयेगा। हम लोगों ने पहले ही कहा है कि इस साल के लिए कोई समस्या नहीं है। फंड क्रिएट होने के बाद हम लोग प्रावधान करेंगे। हम लोग भागकर कहीं नहीं जायेंगे, सब मिलकर तय करेंगे। प्रधान मंत्री जी ने सब मंत्रालयों, विभागों को फिजूलखर्ची बंद करने का आदेश दे दिया है। मैं यह अपनी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। वर्ा 1984 में गोहाटी में हुई बैठक में गम्भीर चिंतन हुआ। सोनिया जी ने मीटिंग में खुद इसके बारे में कहा कि बेरोजगारों के पास जाकर भााण देने से कुछ नहीं होगा। पायलट प्रोजैक्ट की तरह कुछ मॉडल प्लान करो। पहले एक कदम उठाओ, उसके बाद दूसरा कदम उठाओ, ऐसा करके यदि उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं तो निश्चित रुप से हमें कुछ न कुछ मिलेगा। शुरूआती तौर पर दो सौ जिलों के गांवों में 50 आदमियों को इकट्ठा करके एक-एक गांव में इसकी छवि बनाओ कि इम्पलायमैन्ट गारंटी बिल में यह आया है। यह शुरूआत है, यह अंत नहीं है। इसका अंत तब होगा, जिस दिन इस हाउस में आकर हम लोग बोलेंगे कि इस बिल की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लक्ष्य से हम बहुत आगे चले गये हैं। अब इसे रिपील करो, गांव अब समृद्ध हो गये हैं। लेकिन आत्मविश्वास पैदा करने के लिए जो बिल लाया गया है, उस पर यह कहना गलत है कि पचास साल में कुछ नहीं हुआ। 50 साल में अगर कुछ नहीं होता तो क्या यह संसद चलती। यह वाइटेलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। आप यह कह सकते हैं कि हमने पचास साल में कुछ नहीं किया। अगर हम पचास सालों में गरीबी मिटा सकते थे तो उधर भी हमारे आदमी बैठते और इधर भी हमारे आदमी बैठते। हमने गरीबी नहीं मिटाई, इसलिए हम इधर भी नहीं बैठे और उधर भी नहीं बैठेइ्ड32टइ्ड31ट।

इसे स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आप कह सकते हैं कि आपको सात साल ही मौका मिला और हमें ज्यादा मौका मिला। जब देश आज़ाद हुआ और पंडित जी इस देश के प्रधान मंत्री बने तो उस समय देश का नक्शा क्या था आप देख लीजिए - उस समय देश में कितना अनाज था और कितना अनाज हम बाहर से मंगाते थे। कितनी भुखमरी का सामना हमें करना पड़ा और कितनी जंग हमने लड़ीं। कितने शरणार्थी ईस्ट और वैस्ट पाकिस्तान से यहां आए जिनको हमें भारत की गोद में बैठाकर खिलाना पड़ा और उनकी परवरिश करनी पड़ी। मैं उसके िवस्तार में नहीं जाऊंगा, उसके बारे में इतिहास में सब लिखा है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यह बिल जो सदन में आया है यह बिल एक संकल्प है कि हमारे देश में हर चीज़ की सिक्यूरिटी तैयार करनी है - सोशल सिक्यूरिटी, फूड सिक्यूरिटी और सुप्रीम देश की सिक्यूरिटी। देश की सिक्यूरिटी सिर्फ हथियारों से नहीं होती। The first step towards country's security is the social security of the people of India and especially the downtrodden. उनकी सोशल सिक्यूरिटी और आत्मविश्वास के साथ देश की नेशनल सिक्यूरिटी मज़बूत होती है।

आज कितने नौजवान गांवों में भटक रहे हैं, यह देखकर मैं हैरान हो रहा हूं। मैं बंगाल की बात करूंगा। हमारे प्रांत में नशीले पदार्थ नहीं आते थे लेकिन आज आने शुरू हो गए हैं। गांव के गरीब नौजवान उस तरफ भटक रहे हैं। हम लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की। मैं इसका श्रेय सिर्फ कांग्रेस को नहीं दे रहा हूं, सभी पार्टी के अच्छे-अच्छे लोग इसको रोकने में लगे हुए हैं, चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, लेकिन समस्या यह है कि वह कैसे रुके और हमारा रास्ता क्या हो। दस बड़े उद्योगपतियों ने बैंक का कर्ज़ा नहीं चुकाया इसलिए बैंक की पॉलिसी में सुधार करके बेरोज़गारों को ऋण देने की जो नीति थी, वह संकुचित हो गई। मुझे गर्व है कि हमारी यूपीए सरकार दोबारा उस नीति को अपनाने के लिए उस अप्रोच को ले रही है कि हिम्मतदार नौजवानों के स्वावलंबन के लिए बैंक के दरवाज़े खुले रहें। मैं दो और योजनाओं की बात करूंगा।

मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। आज भारत में पंचायती राज में ड्वाक्रा प्रोग्राम चल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि किस किस पंथ के लोगों ने इसको अपनाया है। ड्वाक्रा में हर ग्राम पंचायत में, I can tell you with confidence that at least in my State and in my constituency, in every village panchayat that programme is there and it involves not less than 500 women belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other communities. It is the case with the municipal towns also. I addressed the workshop last week, where we had 3,000 women.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): It is there in Andhra Pradesh also.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I am happy that you are admitting it. ड्वाक्रा प्रोग्राम में महिलाओं की भागीदारी है। यह कार्यक्रम किसने शुरू किया - हमारी सरकार ने किया। आईसीडीएस चाइल्ड डैवलपमैंट का प्रोग्राम है जिसमें छठी कक्षा पास, पांचवीं कक्षा पास या तीसरी कक्षा पास हमारी माताएं और बहनें आंगनवाड़ी में काम कर रही हैं। वे कितनी तादाद में काम कर रही हैं? एक जुलूस में 10000 महिलाओं को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस जुलूस में किसी पार्टी का झंडा नहीं था - न बीजेपी का, न कांग्रेस का और न सीपीएम का। आईसीडीएस आंगनवाड़ी प्रोग्राम में चौथी या पांचवी कक्षा पास महिलाएं काम कर रही हैं। यह कैसे संभव हुआ? पंचायती राज प्रोग्राम के द्वारा यह संभव हुआ। यह कार्यक्रम किसने शुरू किया? इंदिरा जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत शुरू किया। यहां पर्यावरण मंत्री नहीं हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डीप फॉरैस्टेशन प्रोग्राम में जितनी तरक्की नहीं हुई, उससे सात गुना ज्यादा तरक्की सोशल फौरैस्टरी प्रोग्राम में हुई जो पंचायती राज द्वारा इंप्लीमैंट हुआ। आप गौर करेंगे कि इंदिरा जी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम पास किया था, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सोशल फौरेस्टरी कार्यक्रम था।

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : बिहार में कुछ नहीं हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मोदी जी, मैं इसलिए बिहार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि बिहार के लिए आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, लालू जी की जिम्मेदारी है और सबकी जिम्मेदारी है। चाहे कुछ दिनों के लिए आपके रास्ते अलग हो गए थे, वह दूसरी बात हैझ्र33ट।

सोशल फोरेस्ट में Seven times the coverage was extended only through the Panchayati Raj Scheme. That is why, while launching the 20-Point Programme, the Poverty Alleviation Programme. इंदिरा जी ने सही कहा कि इससे गरीबी दूर करने में हमें सहायता मिलेगी और जब तक गरीबी नहीं हटेगी, यह प्रोग्राम चलता रहेगा। गरीबी हटाओ का मतलब यह नहीं कि जादूगर आया और उसने कहा कि गरीबी हटे और गरीबी हट गई। गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। I say with confidence, anybody can challenge me, that the tribal folk of the country, the Scheduled Castes in the village. आंध्र प्रदेश के श्री यरेननायडु को मालूम है, जो राहत इन प्रोग्राम्स के जरिए मिली है उससे गरीब लोगों ने अपने पैरों पर खड़े हो कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना शुरू किया और जिसका फायदा सर्व शिक्षा अभियान में होगा। एससी और एसटी प्रोग्राम में बहुत ज्यादा महिलाओं की भागीदारी हुई है। हम लोगों ने कभी आंकड़ों के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ देश के सामने नेगेटिव पिक्चर रखी कि हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। मैं श्री टोनी ब्लेयर के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, on the 27th of June, I was in Europe when Tony Blair addressed the

European Parliament for the first time. पहले कहते थे कि एशिया मतलब चाइना। For the first time he acknowledged that the destination of Asia, India and China, should not be undermined by the whole of Europe. We have scientific talent, rural manpower, and innovative ideas. आप इंटरनेट से भााण पढ़िए। उन्होंने कहा कि आप भारत को नजरअंदाज कर रहे हैं। भारत को तेज रफ्तार से चलने नहीं दिया है और भारत को नजरअंदाज मत कीजिए। पहले कहते थे कि डेस्टीनेशन चाइना, लेकिन अब कहते हैं कि डेस्टीनेशन इंडिया एंड चाइना। भारत में दो सौ जिलों से शुरू किया और अब छह सौ जिलों में शुरू होगा। हर एक गांव में 50-50 दीये जलेंगे। सौ दीयों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन 50 दीयों के अंदर हम रोशनी करेंगे। हम हिम्मत के साथ ईमानदारी से कह सकते हैं कि अगले 10 सालों में गांवों में एक हजार से ज्यादा दीये जलेंगे। यही हमारे प्रोग्राम का महत्व है। मैं तो यह भी कहने के लिए तैयार हूं कि इस प्रोग्राम के लिए राशि आबंटित करने के लिए अगली बार श्री चिदम्बरम जी बजट पेश करेंगे, मैं श्री रघुवंश प्रसाद जी को भी कहता हूं कि इस बजट में एमपीज से फंड लेना शुरू कीजिए। एमपीलैड फंड से पैसा लीजिए। शुरूआत घर से ही होगी। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर एक राज्य सरकार का फंड क्रिएट होगा। हम अधिकारियों को भी फंड देने के लिए कहेंगे। सारा पैसा मिलाकर भी एक सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। यह 36 हजार या 40 हजार करोड़ रुपयों की योजना है। उसमें 100 करोड़ रुपयों का योगदान हमें दिशा दिखाएगा। The Indian democracy, cutting across Party lines, fought to ensure the social security concept for the people of India who are in villages. जहां तक शहर की बात है, यहां नीतीश जी और कल्याण जी ने कहा कि शहरों का क्या होगा? क्या शहरों के लिए भी कोई स्कीम है? शहरों को आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए 4-5 रास्ते हैं। कारखाने, दफ्तर और दुकान आदि खोलने से शहर के लोगों को काम मिल सकता है। लेकिन गांव की हालत को देखते हुए क्योंकि गांव में शहरीकरण शुरू हो गया है, एक्सपेंशन हो रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर हमला हो रहा है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, इससे काफी तर्क होगा लेकिन एग्रीकल्चर नेटवर्क को सुरक्षित रखते हुए, बढ़ती हुई आबादी को अनाज देने के लिए और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को छोटी सिंचाई से लेकर बड़ी नहरों से जोड़ने के लिए काम होना चाहिए। घर के बड़े नौजवान को बुला कर इस योजना में शामिल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि भारत में और भारत के गांवों में नई तरक्की की शुरूआत होगी। इस बिल को सर्व सहमति से पास करना चाहिए और छानबीन करने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि न हम बीजेपी को कहें कि तुमने सात सालों में क्या किया और न बीजेपी कहे कि हमने क्या किया[इ34टइ35ट]।

महोदय, अगर हम ऐसी बातें करेंगे, तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। देश से गरीबी को मिटाने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में काम शुरू हुआ था। हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना इस बात की गवाह है। तृतीय पंचवर्षीय योजना से 10वीं पंचवर्षीय योजना तक, गरीबी हटाने के कार्यक्रमों को लागू करने पर देश से गरीबी को मिटाया जा सकता था, लेकिन हम 20 प्रतिशत की दर से बढ़ती हुई आबादी पर रोक नहीं लगा पाए। इसलिए गरीबी को देश से नहीं मिटाया जा सका। That is why, when I saw the Business that there is going to be further discussion regarding increasing population in the country raised by Shri Prabhodh Panda, I was delighted. The population management should go together with our economic management. Irrespective of Party lines, we are united on this issue. We may differ on many issues. If all Parties give a combined-mandate for the population management and economic management at the grassroot, I tell you that India will prosper and become the greatest democratic nation with wealth as also economic achievement and grow in the whole world very soon. उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI P. MOHAN Hon. Deputy Speaker Sir, the Union Government led by the United Progressive Alliance has introduced the National Rural Employment Guarantee Bill in this august House. I welcome and support this Bill on behalf of my party, Marxist Communist Party of India. At least after 58 years of independence we have evolved a near comprehensive bill to provide guaranteed job to the rural poor. I am happy to note that our CPI (M) and other left parties have played a major role in introducing this historic Bill in this session.

The salient features of this Bill are noteworthy. One hundred days of guaranteed job at a minimum daily wage of Rs 60 with specified developmental work for enhancing infrastructure facilities in the rural areas are the highlights of this Bill. This Bill also provides for 33% reservation of jobs for women under this scheme. Various works under the scheme will be implemented through the departments concerned is another assured aspect in this Bill. Firstly, the Bill states categorically that no work under this scheme will employ machines like earth movers and pokline. I wholeheartedly welcome this. Providing jobs to the needy poor who are prepared to render manual labour is the aim of this Bill. It has been ensured that funds allotted for this scheme will be spent only on men but not on machines. I welcome it.

Rain fed districts and States that depend on river irrigation would find this scheme a boon. More particularly the States like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh will be greatly benefited by this scheme. Only 150 districts were originally intended to be covered under this scheme. Now 50 more districts have been added to this. In Tamil Nadu there are 29 revenue districts and only 4 districts from Tamil Nadu come under the ambit of this scheme. I had already

_____*Translation of the speech originally delivered in Tamil.

stated the need to include all the districts that have more dry land and depend on rain and rain fed river irrigation. Hence I feel more districts from the southern States especially from Tamil Nadu should have been included in this scheme. Tamil Nadu is not a fertile State with perennial rivers like Punjab, the State which our hon. Deputy Speaker hail from. Tamil Nadu is dependent on release of water from neighbouring States. Hence there is a need to bring the entire Tamil Nadu under the ambit of this scheme. I would like to reiterate the same through this august House. Respective departments must take up the job themselves and must not go in for contract system. No contractors and middlemen should be there in the implementation of this scheme. It is a welcome aspect that contract system will not be there. I would like to know from the hon. Rural Development Minister as to how they would implement the scheme with departments taking them up directly involving people directly.

In this regard I would like to point out what I had witnessed myself in the 'Food for Work' programme in Melur that come under my constituency. Though the scheme envisages that only local people would be involved and no machines would be utilised, about Rs 98 lakh worth of jobs were undertaken using earth movers like pokline machines. I had verified myself this on my spot visit to monitor the progress. Machines were fully used and engaged to

complete the jobs for the entire allocated funds there. Men were given work only for about Rs 8 lakh worth of job. Manual labour was not resorted to in the 'Food for Work' programme. I would like to record a serious and verified allegation that 'Food for Work' programme in my constituency and in all other constituencies in the entire Tamil Nadu were carried out by the ruling party men and their 'benamis' using earth movers and machines like 'Pokline'. I had taken taken up this with the Union Minister concerned. I had written about this and I am yet to get a reply in this regard. I want a reply about his study of the ground reality there. Thiruvannamalai, Nagapattinam, Cuddalore, Villupuram are the 4 districts that are covered in this NREG Scheme. Even in these 4 districts every development work employs more machines than men thereby depriving people of jobs. There is no involvement of local people, no identification of local beneficiaries and no manual labour.

This NREG Bill is a very good scheme. It is a historical one. For the first time a National Rural Employment Guarantee scheme is conceived to give 100 days of work to the rural poor. Those who have no other livelihood would be greatly benefited by this scheme. In case when guaranteed job is not provided then unemployment allowance would be paid as a compensation under this scheme. I appreciate the Government for this bold and humanitarian initiative. At the same time I would like to express my eagerness to see that this scheme shall be implemented ensuring that the intended beneficiaries get all the benefits of this scheme. There is a monitoring mechanism at Panchayat level and I feel it is not enough and beneficiaries should also be included in the monitoring committees and councils. Machines are not supposed to be used in the completion of jobs pertaining to this scheme. If machines are used then such jobs must be scrapped from this scheme. No funds should be utilised for such deviations. The intended benefits must reach the poor for whom this scheme has been conceived.

Hon. Minister who intervened in this discussion was referring to bank nationalisation. It is true that bank nationalisation has helped the country and our countrymen in many ways. But at the same time public sector banks have also given rise to non performing assets. About 1-1/2 lakh crore of rupees extended as loans could not be recovered. Bigwigs like industrialists and corporates took huge loans and fleeced the PSU banks as NPAs. Why do I point out at this? We have now evolved a very good scheme. We must ensure that all loopholes are plugged and there is no scope for any lacunae. We must ensure that the goals are achieved and the aims are accomplished. We must see that the people at the grass root level reap the benefits of this scheme.

Even 5 year plans, all the ten of them, were aiming high but we could not achieve the target as intended. We are still anguished that the plan schemes did not reach the needy. I want this scheme not to face with such failures. 'Garibi hatao' – 'remove poverty' was a slogan used earlier. This scheme is here to achieve that ideal. So I welcome this Bill on my own behalf and on behalf of CPI(M). The minimum wage rate fixed in this Bill is Rs 60 per day. similarly I find only 200 districts all over the country that have been identified for this scheme. I wish the Government enhances soon the wage and increase the number of beneficiary districts. All the rain-fed, drought-prone districts must come under the ambit of this Act soon. Only then this Bill could accomplish its purpose fully.

With this, I conclude my speech and thank the Chair for the opportunity given.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आज संसद में इस प्रमुख चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

इस बिल का सैद्धान्तिक रूप से सदन पार्टी लेवल से ऊपर आकर समर्थन करता है। हम भी इस बिल का समर्थन करते हैं। विशेाकर मैं भारत के ग्रामीण विकास मंत्री मान्यवर श्री रघुवंश प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं जितना जानता हूं, आज रघुवंश बाबू की परिचेटा भारत के गरीब लोगों के लिए एक नये रूप में आई है, इसीलिए हमें रघुवंश जी को बधाई देनी चाहिए। मैं स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री कल्याण सिंह जी को भी बधाई देता हूं क्योंकि स्टेंडिंग कमेटी से भी यूनेनीमसली व्यू आया था।

स्थायी समिति में यह विाय एक अलग चर्चा का विाय बना था और यूनेनीमसली इस पर व्यूज़ आए थे। मैं भारत के इस परिपक्व गणतन्त्र को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजादी के 58 साल के बाद हम इस महत्वपूर्ण विाय पर चर्चा कर रहे हैं। जिस विाय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह समय की मांग भी है। जब भारत का संविधान तैयार हुआ था, उस समय भी इस विाय पर चर्चा हुई थी और रोजगार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लाने के बारे में कहा गया था। नवम्बर 1949 की संविधान सभा की स्पीच को यदि आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उस समय के योजना आयोग के डिप्टी-चैयरमैन श्री के.टी. शाह और संविधान सभा के मुखिया बाबा साहब अम्बेडकर जी का यह विचार था कि रोजगार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाए, लेकिन इसे मौलिक अधिकारों की बजाय डिरेक्टिव प्रिंसीपल्स की सूची में रखा गया। उन दिनों से ही ऐसी मांग लगातार आ रही है और आज यह सपना साकार होता नजर आ रहा है। भारत की संसद इसे पारित करने जा रही है। यदि यह बिल कानून का रूप लेता है तो उन महान नेताओं की आत्माओं को भी आज शांति पहुंचेगी। मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी का भााण सुन रहा था। प्रियरंजन जी ने एक अच्छा भााण दिया और मैं उनसे सहमत भी हूं, लेकिन उनके मन में कुछ खोट है कि कल्याण सिंह जी ने ये प्रश्न क्यों उठाया कि कांग्रेस को 40 वर्षों के पश्चात् यह क्यों महसूस हुआ कि यह एक कानून बनना चाहिए। कल्याण सिंह जी ने एक अच्छा भााण दिया था। उस भााण में उन्होंने कहा था शुक्र है कि कांग्रेस को 40 साल बाद यह ध्यान में आया कि गरीबी को कानूनन हटाना चाहिए। इससे लगता है कि मंत्री जी के मन में कुछ है।...(व्यवधान)

कुँवर मानवेन्द्र सिंह आप गलत बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : यदि मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप उसमें संशोधन कर लीजिए।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except Shri Pradhan's speech.

(Interruptions) ... (Not recorded)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के भी माननीय सदस्यों को भी बोलना है, वे इसका जवाब दे देंगे।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मेरा यह मानना है कि ऐसे मसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं उड़ीसा से चुनकर आया हूं। मेरे प्रदेश में आंकड़ों के हिसाब से 47 प्रतिशत लोग बीपीएल कैटेगरी के हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सही आंकड़ा 50 प्रतिशत है। इससे मेरे मन में भी पीड़ा होती है क्योंकि मैं एक युवा सांसद हूं और युवा प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने आया हूं। मेरे मन में पीड़ा है कि ऐसा क्यों है? हमें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने रघुवंश जी का इस बिल को लाने के लिए आभार प्रकट किया है। यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने भााण में कहा था कि 2002 में गुवाहटी में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई थी और उसमें हमने यह कमिटमेंट किया था कि इस बारे में कोई कानून होना चाहिए। जिस समय एनडीए का शासन था, उस समय देश के कई भागों में अकाल आया था और कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया था। राजनीति कौन करता है? मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। उस समय कई प्रदेशों में कांग्रेस का शासन था लेकिन बाद में वह चला गया। मैं सभी का तो उल्लेख नहीं करना चाहूंगा लेकिन राजस्थान के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि उन दिनों ज्यादा विवाद इसी राज्य को लेकर हुआ था। मैं जो आंकड़े देने जा रहा हूं वह रघुवंश जी के पास भी हैं, वे भी इन्हें देख सकते हैं। 2002-2003 में राजस्थान की सरकार ने जितना अनाज मांगा था, उतना दिया गया, उस समय राजस्थान को 2,49,000 मीट्रिक टन गेहूं दिया गया था। लेकिन आज जब वहां पर एनडीए की सरकार है तो उन्हें 1,59,116 मीट्रिक टन गेहूं दिया गया cè[MSOffice36]*

---

*Not Recorded

आज वहां बीजेपी की सरकार है और यहां यूपीए की सरकार है। आप देशभर में फूड फार वर्क कार्यक्रम जोरों से चला रहे हैं। पिछले साल के आंकड़े क्या कहते हैं। 2004-05 में एक लाख 60 हजार करोड़ रुपये, उससे पहले साल राजस्थान को 2 लाख 49 हजार करोड़ रुपये मिले। आपने कम किया है या बढ़ाया है? राजनीति कहां हुई, राजनीति किसने की, यह तथ्य बताते हैं। लेकिन आज इन्हें यह कड़वा लगता है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb him. Please sit down.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is to be recorded except his speech.

*(Interruptions) ...**

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सोनिया जी ने 2वक्तव्य देते हुए कहा था।...(व्यवधान) जब आप भााण देंगे, उस समय बोलिए। अभी मैं बोल रहा हूं, आप धैर्य से सुनें। हम आपका भााण भी सुनेंगे।...(व्यवधान)

यह कहा गया कि उस समय राजनीति हुई। हम इस बात से सहमत हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे कहा गया जैसे एनडीए के शासन में देश में गरीबी हटाने का कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं, सब अच्छी चीजें एक परिवार के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने की, और कोई कर ही नहीं सकता। यह ऐसा अहंकार, ऐसा अभिमान रखने वाले लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं के तथ्य उद्धृत करना चाहूंगा। जेएनयू की प्रोफेसर श्रीमती उत्साह पटनायक 2004-05 के इकोनॉमिक सर्वे कोट करती हैं। उस दिन मार्क्सवादी पार्टी के प्रमुख सदस्य श्री हन्नन मोल्लाह चर्चा कर रहे थे। 2002-03 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास के विभिन्न विभागों के, केवल रघुवंश बाबू के विभाग के नहीं, आंकड़े मिलाकर उन्होंने हिसाब लगाया कि एनडीए सरकार में 42 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। ...(व्यवधान) आप सुनिए तो सही। ...(व्यवधान) 2003-04 में 51 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। लेकिन इस साल के बजट के सर्वे में आंकड़े दिखाते हैं कि 2004-05 में 13 हजार 500 करोड़ रुपये खर्च हुए। This is the lowest amount ever given. आप निठा दिखाते हैं, ग्रामीण विकास के लिए आपकी निठा है। यह आपके इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े कहते हैं। अभी प्रिय दा ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें आंकड़े तय किए गए थे कि 3 लाख हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, लेकिन दो-तीन वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। तीन वर्ा और बचे हैं। आप खर्च कैसे करेंगे, कब करेंगे, यह प्रश्न है। 58 साल की आजादी के

---

*Not Recorded

बाद, मैं बाकी का नहीं कहता, अगर मेरे उड़ीसा में 50 प्रतिशत लोग गरीबी सीमा रेखा से नीचे हैं, तो आपको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों है।

यह कहा गया कि पंचायती राज को एम्पावर किया जाएगा। मैं ज्यादा बातों के बारे में नहीं कहता, लेकिन जब रघुवंश बाबू उत्तर दें तो याद करके इस सदन में बताएं। मैं उनकी बात को कोट करता हूं कि उन्होंने भारत सरकार के अर्थ मंत्री की मंशा पर क्या प्रश्न उठाया था। क्या भारत के अर्थ मंत्री ने तय किया है, उनका मन बना है। इस बिल के बारे में पूरा सदन सहमत है, लेकिन क्या अर्थ मंत्री सहमत हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष सहमत हैं, भारत के प्रधान मंत्री सहमत हैं? सिर्फ भााण देने से नहीं चलता, काम दिखाना पड़ता है।

मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा। पंचायती राज के माध्यम से सारे काम होंगे।...(व्यवधान) इससे नई आशा जगी थी। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, तो एक पंचायती राज डिपार्टमैंट खोला गया। उसके मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर हैं। "The Panchayati Raj Minister finally got his staff after 349 days." विभाग का गठन होने के लगभग 350 दिन बाद पंचायती राज विभाग को 133 लोगों का स्टाफ चाहिए था लेकिन 43 मिले। श्री अय्यर क्या कहते हैं, वह प्रमुख बात है। वह देश के पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। सारे कार्यक्रम पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन होने वाले हैं।

> "That is the way the system works. I had repeatedly sent the request for staff to the Cabinet and the Group of Ministers. After everything was sanctioned, it went back to the Finance Ministry" – said Mani Shankar Aiyar[R37]."

महोदय, यह इस सरकार में भारत के पंचायती राज मंत्रालय की स्थिति है, गांवों में क्या होगा? मैं आगे कहूंगा कि यह एक ढोंग है। इस बिल पर किसी को आपत्ति नहीं है, हर कोई चाहता है कि सर्वसम्मति से यह कानून बने, लेकिन क्या इसमें आपकी निठा है? हमें आपकी मंशा पर सन्देह है कि आप इसे लागू करेंगे या नहीं। केवल कानून बनाने से भला नहीं होता है बल्कि कानून को अमल में लाने से होता है। अभी जो भी वक्ता यूपीए की ओर से बोलते हैं, सभी माननीय कल्याण सिंह जी की प्रशंसा करते हैं। श्री कल्याण सिंह जी संसदीय व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, वे स्टैण्डिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वे एक व्यक्ति मात्र नहीं हैं, एक इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी प्रशंसा करना, स्टेण्डिंग कमेटी की प्रशंसा करना है। जहां तक मैं जानता हूँ स्टेण्डिंग कमेटी ने देश के तमाम सारे लोगों से चर्चा और संवाद किया, बुद्धिजीवियों और स्वयंसेवी संगठनों से विचार किया और स्टेण्डिंग कमेटी में खुद ही बहुत वरिठ राजनीतिज्ञ और वरिठ नेतृत्व उपस्थित था, उन सभी ने मिलकर एक प्रचेटा की। रघुवंश बाबू, आप इमानदारी से बताएं कि आपने स्टेण्डिंग कमेटी की कितने सिफारिशों को आपने माना है? एक भी नहीं, हाँ आधी बात आपने मानी है हाउसहोल्ड की परिभाा के बारे में आपने पहले कहा था कि इसमें केवल बीपीएल लोग होंगे, जब स्टैण्डिंग कमेटी की रिकमेंडेशन आई तो आपने उसको एक हाउसहोल्ड कहा, लेकिन स्टेण्डिंग कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो कोई भी व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति जो काम के लिए आए, उसे काम दो, क्या आपने ऐसा किया है? आपने एक परिवार से एक व्यक्ति की व्यवस्था की है।

आपने इस बिल के माध्यम से प्रजातंत्र पर भी कुठाराघात किया है। इसके बारे में निर्णय लेने वाली GoM कौन होती है? उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन आपका है। स्पीकर इस सदन के मालिक हैं और आप इस सदन के उपमालिक हैं। आपके नेतृत्व में यह सदन इस देश की आम जनता के बारे में चर्चा करती है, स्टैण्डिंग कमेटी उसका एक हिस्सा है। माननीय कल्याण सिंह जी से कई लोग कई बातों को लेकर नाराज रहते हैं, लेकिन इस काम के लिए आज सभी उनको बधाई देते हैं तो मैं उस बधाई के ढोंगपन का प्रश्न आपके सामने उठाता हूँ। क्या आपने स्टेण्डिंग कमेटी की एक भी रिकमेंडेशन को माना है - जी, नहीं। आपने एक भी रिकमेंडेशन को नहीं माना है। यह आपकी नीयत पर सन्देह पैदा करता है, क्या आप वास्तव में इस विाय को लेकर गंभीर हैं? यह बिल एक आधा-अधूरा बिल है, एक आधे मन से लाया गया बिल है। ढोंग-स्वांग किया जाता है कि यह हमारी विरासत है, हम ही गरीबों के ठेकेदार हैं, हम या हमारा परिवार ही उनको भला कर सकता है और कोई नहीं। यूपीए सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा गया है कि हमें मैण्डेट मिला था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी गरीब प्रान्त से आपको मैण्डेट नहीं मिला था, आपको कई जगहों से मैण्डेट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी आप उसका उल्लेख करते हैं, तो ठीक है, हम उसको भी मान लेते हैं। यूपीए सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पेज संख्या 3 कहा गया है :

> "The UPA Government will immediately enact a National Employment Guarantee Act. This will provide a legal guarantee for at least 100 days of employment to begin with on asset-creating public works programme every year at minimum wages for at least one able bodied person in rural, urban poor and lower middle class household. In the interim, a massive food-for-work programme will be started."

महोदय, मैं अर्बन के बारे में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि इसके बारे में पहले ही बहुत से प्रश्न-उत्तर हुए हैं, लेकिन मैं समाज के युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ । आज भारत में कौन मुखर है? वे ही लोग मुखर हैं जो पढ़े-लिखे हैं। अभी माननीय सदस्य ने ग्रामीण क्षेत्र का उदाहरण दिया है। मैं भी ग्रामीण इलाके से आता हूँ। कोई भी मान्यवर सदस्य, कोई भी व्यक्ति यह बताए कि जब कोई नवयुवक बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो क्या बिना कोलैट्रल सिक्योरिटी के उसे लोन मिलता है? क्या कोई पब्लिक सैक्टर बैंक उसे लोन देती है? जी नहीं, कोई नहीं देता है। इस वर्ग के बारे में कमिटमेंट किया गया था कि लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी आप यह व्यवस्था मुहैया कराएंगे। कहां है आपकी वह व्यवस्था? भारत के संविधान में आप परिवर्तन लाने जा रहे हैं, आप एक नयी व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, नया कानून ला रहे हैं, तब आप इसे आधे-अधूरे तरीके से क्यों कर रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास में भी आप स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों की बात कहते हैं। यह सारी व्यवस्था आपने अनस्किल्ड लोगों के लिए की है। जो आईटीआई पढ़ा हुआ गरीबी का बच्चा है, उसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है? जो मैट्रिकुलेटेड है, उसके बारे में आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। यह आधे मन से लाया गया एक बिल है। रघुवंश बाबू, आप काम आधे मन से क्यों करते हैं? आप भी ग्रामीण पृठभूमि के हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपका जवाब भी हम समझते हैं। आप इसके लिए पूरी तरह से लड़िए, यह सदन, पूरी संसद, और पूरा देश आपके साथ है। मैं एक विाय को यहां दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जो बात कहता हूं, अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। चलिए मान लिया कि एक परिवार से एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होगा। ह्रद्ध38ट

घर के जो प्रमुख लोग होंगे, वे काम करेंगे। बड़ा ढोल पीटा जाता है कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे, हम उनका सशक्तिकरण करेंगे, जैसे महाराट्र में किया है। सोनिया जी कहती हैं कि महाराट्र में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहूंगा कि महाराट्र में ईजीएस के कारण महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा और न ही इसके कारण उनका सशक्तिकरण हुआ है। महाराट्र की सभ्यता और संस्कृति ही ऐसी है, जिसके कारण वहां महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनावों में कोई व्यक्ति फतवा जारी करता है कि महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकतीं, उनको काम नहीं मिलेगा। यह कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री जी आप बताएं कि परिवार में पुरूा काम करेगा या महिला काम करेगी या फिर बड़ा बेटा काम करेगा या छोटा बेटा करेगा? अगर ऐसा हुआ तो इससे परिवार में कलह पैदा होगी इसलिए आप इस बिल में परिवर्तन करें और स्टेंडिंग कमेटी की रिकमंडेशन को स्वीकार करें। कानून सही है, लेकिन काम किसे मिलना चाहिए, जो इच्छा करे, उसे मिलना चाहिए। नहीं तो इसमें भी भ्रटाचार होगा, बेईमानी होगी और यह कानून भी निर्रथक हो जाएगा। जो अधिकारी बैठेगा, जो तय करेगा कि काम किसे मिले, अगर उसे दस रुपए देंगे, तो वह काम करने के लिए लाइसेंस दे देगा। अगर ऐसा हुआ, तो फिर इस कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए यह खतरनाक काम है, हो सकता है आपकी मंशा ठीक हो, लेकिन यह टेक्नीकल चीज है इसलिए इस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

इसमें एक और धोखाधड़ी की सम्भावना है, जिसकी मैं आलोचना करना चाहूंगा। भारत में व्यवस्था है कि मिनीमम वेजेज एक्ट 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी देने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। यहां पर कई वरिठ सांसद बैठे हैं, वे मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आपने 1948 के इस एक्ट के तहत मिनिमम वेजेज देने का काम प्रदेश सरकारों को दिया है, क्योंकि इस एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात कही गई है। प्रदेश सरकार पर यह काम दिया गया है कि वह इसमें आगे-पीछे कर सकती है और यह भी कहा गया है कि अपने-अपने प्रदेश के प्राइस इंडैक्स को ध्यान में रखते हुए नियम बनाकर मिनिमम वेजेज दे सकती हैं। अगर हम देश के कुछ प्रदेशों के मिनीमम वेजेज का उल्लेख करें, तो असम में 48 रुपए है, छत्तीसगढ़ में 52 रुपए है, हरियाणा में 80 रुपए है, उपाध्यक्ष जी, आपकी प्रांत में 84 रुपए है, कर्नाटक में 46 रुपए है, उड़ीसा में 50 रुपए है, अब 52 रुपए तक कर दिया है। इसी तरह से महाराट्र में 44 रुपए है और केरल में तो 134 रुपए है। रघुवंश बाबू, आप हमें समझाएं कि 60 रुपए कैसे न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें धोखाधड़ी होने का अंदेशा है। मेरे मन में इस बात को लेकर शंका है इसलिए मै आरोप लगाना चाहता हूं कि यह भारत सरकार के अर्थ मंत्री की साजिश है कि कानून बनाकर कह देंगे कि कानून बना दिया।

उपाध्यक्ष जी, आप पंजाब से आते हैं। आप जानते हैं कि वहां ईजीएस में फूड फार वर्क कार्यक्रम चलता है। उसकी मिनिमम वेज 80 रुपए है, तो फिर कोई कैसे इसमें 60 रुपए में काम करेगा? जब केरल में 134 रुपए है, तो उसमें जो इतना अंतर है, वह कौन भरेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसीलिए मैंने इस पाइंट पर अपनी शंका व्यक्त की है। सीपीएम के नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। प्रदेशों की जो आर्थिक स्थिति है, उसे सब जानते हैं। कोई प्रदेश सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि वह इस शेयर का बर्डन वहन करने के लिए तैयार होगी। इसलिए यह एक डयंत्र है, यह एक छलावा है। इससे तो यही लगता है कि न होगा बांस और न बजेगी बांसुरी।...(व्यवधान)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY This is not correct. He should not try to mislead the House. He should correct his figures… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is to be recorded, except what Shri Pradhan says.

(Interruptions) *

---

*Not Recorded
SHRI DHARMENDRA PRADHAN : He should not interrupt me… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, यह वरिठ सांसद हैं और मैं एक छोटा सा आदमी हूं। अगर आप प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, तो मेरी बात सुनें। महाराट्र में क्या किया गया, वह मैं बताना चाहूंगा। ...(व्यवधान) आपसे हम सीखना चाहते हैं और आप हमें बीच में टोक रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I am not interrupting him. I am trying to correct his figures… (*Interruptions*[r39])

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मिस्त्री जी, जब आपकी बारी आयेगी, तब आप बोलिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pradhan, you should address the Chair, and not to any individual Member.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : इसलिए हमारे मन में यह आशंका है ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आपकी पार्टी से बहुत लोग बोलने वाले हैं, इसलिए अभी आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : उपाध्यक्ष जी, इस सभा में कई प्रकार की व्यवस्था है। अगर हम गलत बोले होंगे तो हमें संशोधित किया जा सकता है। लेकिन अगर इनकी मंशा माननीय रघुवंश बाबू को .....* तो यह अलग बात है, यह अंदर की बात है, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not to be recorded.

(Interruptions) *...

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, जो आप बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : वर्ा 2004-2005 में 1000-500 करोड़ रुपया देना है।...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : ये शब्द कार्यवाही से निकाल दो।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : हम माननीय रघुवंश जी के सामने वेजिज के बारे में एक तथ्य रखना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आप समाप्त कीजिए। You have already taken 22 minutes.

---

*Not Recorded

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : पांच मिनट में समाप्त करता हूं। एक विाय पर हम कहना चाहते हैं। Are they serious about this Bill? मैं बीच में एक अमेंडमेंट लाया। आपने कहा कि हम पांच अमेंडमेंट लाएं। मैं आपको एक अमेंडमेंट पढ़कर सुना रहा हूं। Amendment No. 33, Page 11, after line 6 आपने यह जोड़ा :

> "(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (I), the Central Government may, on receipt of any complaint regarding the issue or improper utilisation of funds granted under this Act in respect of any Scheme if *prima facie* satisfied that there is a case, cause an investigation into the complaint made by any agency designated by it and if necessary, order stoppage of release of funds to the Scheme and institute appropriate remedial measures for its proper implementation within a reasonable period of time."

रघुवंश जी, आप जैसे प्रजा संवेदनशील व्यक्ति से हमें यह अपेक्षा नहीं थी। गुनाह कौन करेगा - अधिकारी, सरपंच, ब्लॉक का चेयरमैन, जिला-परिद्, गुनाह करुंगा मैं ; गुनाह करेगा एम.एल.ए; गुनाह करेगी पॉलिटिकल व्यवस्था, लेकिन भुगतेगा कौन? गरीब आदमी, क्योंकि उसकी स्कीम बंद हो जाएगी। हम आपको जितना जानते हैं, यह आपके मन की बात नहीं है, आप किसी के दबाव में इस क्लॉज को डाले हो। हम इन्हीं दो वियों पर आपत्ति उठा रहे हैं कि आपकी मंशा क्या है? आप उसको उल्टा करना चाहते हो, राजनैतिक उद्देश्य से उसे उल्टा करना चाहते हो। अगर विपक्ष की सरकार कहीं हुई और आपके मन में आया, फर्जी-पैटीशन डाला गया, फिर उसके ऊपर आप अंकुश लगाओगे। यह क्या तरीका है आपका?" यह आपका स्विच ऑन, स्विच ऑफ वाला तरीका था और यह उसको दूसरा नाम है। आपने क्या कहा? मैंने पूछा कि आपने देश में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को कितना एमपावर किया है? मेरी आपत्ति आपसे इसी विाय पर है। आप इस क्लॉज को क्यों डाले हैं? आजादी के 58 साल के बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एमपीज की तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इस धारा को कम से कम आप हटाइये। गरीब आदमी का अधिकार आप कैसे छीनेंगे? गुनाह कोई करेगा और सजा गरीब आदमी को मिलेगी, यह उचित नहीं है। राजनैतिक उद्देश्य का इसमें उपयोग होगा, इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए। आप इसे निरस्त कीजिएङ्क्ष40ट।

अब मैं अपनी बात दो-तीन सुझाव दे कर समाप्त करता हूं। इस बिल का समर्थन करता हूं और मेरी पार्टी समर्थन करती है, सदन भी समर्थन करता है, लेकिन हमें शंका है। भारत का हाल अच्छा होता यदि जैसा श्री प्रियरंजन जी ने इस डिबेट में इंटरवीन किया, मैं अपेक्षा रखता हूं, मैं तो प्रजातंत्र में अपेक्षा ही रख सकता हूं कि देश के अर्थ मंत्री उसमें इंटरवीन करें। बार-बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि पैसा कहा से आएगा? हमने कभी भी यह प्रश्न नहीं उठाया कि यह पैसा कहां से आएगा? हम तो यह कहते हैं कि जो 10 वीं पंचर्वीय जयोजना का दो लाख करोड़ रुपया बचा है, उसी को आप खर्च कीजिए। देश भर में काम कराइए। आपकी इच्छा है देश भर में लागू कराने के लिए, तो देश भर में लागू कराइए। आपके देश के अर्थ मंत्री इसमें इंटरवीन करें और देश को आश्वस्त करें, सदन को आश्वस्त करें कि हम इसमें जरूर पैसा लगाएंगे, कटौती नहीं करेंगे। मेरी मांग यह है कि 150 जिलों में नहीं पूरे देश मे लागू किया जाए, लेकिन आपने कहा है कि 50 जिले इस योजना में हम जोड़ेगे। कहां जोड़े जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, और आपके सामने एक लालीपाप आ गया है, इसको दिखा कर जोड़-तोड़ कर देंगे। इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम उडीसा जो इसके लिए एक फिट केस बनता है, बिहार भी बनता है, उड़ीसा के लिए सबसे ज्यादा है, इसके के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, इसीलिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन आपके प्रति चिंता भी व्यक्त करता हूं कि आपको काम करने नहीं दिया जा रहा है। जो पचास जिले जोड़े जाएंगे उनमें उड़ीसा के बाकी जिलों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, यही मेरी गुजारिश है। मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म करता हूं।

महोदय, मेरा अनुभव है, यह फूड फार वर्क प्रोग्राम प्री कंडीशन कहा गया। मैं अपने अनुभव से एक बात बताता हूं। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं उसमें पांच जिले आते हैं। उनमें से चार जिलों में फूड फार वर्क प्रोग्रम चलता है। माननीय मंत्री जी चार जिलों में चार मुख्य योजनाएं हैं। आपने जैसा बताया कि उनके लिए कुछ फोकस लांग टर्म प्लानिंग बननी चाहिए। कई बार बड़ी-बड़ी बातें की गईं कि यह सिविल वर्क के बाहर है। कोई नई चीज नहीं है, आज भी चल रहा है, कई प्रकार का वर्क चल रहा है, लेकिन उसके सिलेक्शन प्रोसेस में वास्तव में पंचायत कितनी इंवाल्व है, यह देखना चाहिए। कुछ ट्रांसपेरेंट प्रोपर लांग टर्म प्लानिंग प्रोस्पेक्टिव बनना चाहिए। इसके बारे में आप विचार कीजिए। आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि यह सारी व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली है। आज देश में पंचायती राज व्यवस्था की क्या हालत है, क्या पंचायत का कोई मास्टर रोल रखने के लिए व्यवस्था है? सूचना अधिकार आया है, लेकिन क्या सच में गांव की कोई तुलना की जा सकती है, कई प्रदेशों के कई प्रकार के अनुभव हैं। महोदय, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आप अलग से पैसा दीजिए। पंचायत में घर बने, पंचायत में ट्रेनिंग हो, पंचायत में कम्प्यूटर लगें, यह सारा स्टाफ इंपावरिंग हो, मैं एक विशेा उदाहरण आपके सामने रखता हूं। मेरे क्षेत्र में एक लाख आबादी में एक विकास प्रखंड है। चार जेईज़ वहां रहते हैं। पांच-पांच पंचायतें एक जेई के अंडर में आती हैं। इस कार्यक्रम में लगभग एक करोड़ रूपया एक-एक इलाके के लिए आ जाता है। यह एक जेई के वश की बात नहीं है। आप टेक्नीकल मेंबर और बढ़ाइए, पर्सनल मेंबर और बढ़ाइए, टेक्नॉलाजी वहां ले जाइए। ग्राम सेट की बात चल रही है, विलेज सेट की बात चल रही है, इस सारी व्यवस्था के लिए आप अलग से पैसा दीजिए। आपकी मंशा में हमें संदेह है, लेकिन कुल मिलाकर इस सदन की जो भावना बनी है कि यह एक क्रांतिकारी बिल है, यह आज के समय की मांग है, लेकिन हमें शक है, क्योंकि सरकार की दो प्रकार की विचारधारा है। आप कहते हैं कि एक रिफार्म वाले और एक कहते हैं ह्यूमन फेस वाले। यह दिखना चाहिए कि यह किसको हावी करता है। हम आपकी नीति, आपकी सरकार की नीति पर दोबारा मांग करते हैं कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर इस डिबेट में इंटरवीन करें और सदन को आश्वस्त करें, देश को आश्वस्त करें कि हम कैसे इसमें बेइमानी नहीं करेंगे।

महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I request Shri Yerrannaidu to speak. You have only five minutes' time.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU Thank you Mr. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to speak on this Bill.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is a very important Bill. We are discussing the National Rural Employment Guarantee Bill, 2004 on the floor of the House. From the Government side and from the Opposition side many speakers have spoken on this Bill. This is the UPA Government's promise. 'It will immediately enact a National Employment Guarantee Act. This will provide legal guarantee for at least 100 days of employment, to begin with, on asset creating public work programmes every year at minimum wages for at least one able-bodied person in rural areas, urban poor and lower middle-class households.' This is the commitment they have given to this nation under the National Common Minimum Programme. The National Rural Employment Guarantee Bill, 2004 says that in the aforesaid background, this Bill has been introduced in this Parliament. As stated in the Objects and Reasons of the Bill, the proposed legislation seeks to enhance the livelihood security of the poor households in rural areas of the country by providing at least 100 days of guaranteed wage employment to every poor household whose adult members volunteered to do unskilled manual work. They have given the promise. They have not implemented as it is. This is the failure of the UPA Government to implement the National Common Minimum Programme.

This is not a full comprehensive Bill. This is a part of the Bill. It has not mentioned about the urban poor. Members from the Congress Party, the UPA Chairperson and other senior parliamentarians have said on the floor of the House that this is a historical Bill. I will support this Bill. But how can you say that this is a historical Bill? This is an incomplete Bill which you have introduced on the floor of the House. This Bill will not be applicable to the whole country. This is not a universal Bill.

16.02 hrs (Shri Ajay Maken *in the Chair*)

According to the Objects and Reasons of this Bill, it will be implemented only in 200 districts, including in the 150 districts where the Food-for-Work programme is already implemented. After the implementation of this National Rural Employment Guarantee Bill, the existing SGRY and the Food-for-Work programme, which is being implemented in 150 districts, will merge. Additionally, they are providing for only 50 districts. So, this is not a universal programme.

For example, I am hailing from Srikakulam district. In Andhra Pradesh, we have 23 districts. According to the National Common Minimum Programme of the UPA Government, this Bill will have universal implication. But in one district, there are thousands of people who are below the poverty line having no work. They are migrating from village to urban areas. This Bill will not provide employment in those districts. This Bill will provide employment in only 200 districts. What about the other 400 districts? The Minister has to answer this.

All right, if you say that it will be applicable to the whole country after five years means the spirit of the Bill is deviated. There are already so many wage employment programmes. There is the National Rural Employment Programme. There is RLEGP. There is Jawahar Rozgar Yojana Programme. There is Employment Assurance Programme. The Employment Assurance Programme is also a demand-driven programme but there is no legal guarantee for the poor people. Even the SGRY is also a wage employment programme to provide employment to the rural poor but there is no legal guarantee. By this Act we are giving legal guarantee for 100 days to a particular person in a poor household. But it should be applicable to the whole country. Otherwise there is no meaning in it. This is not a historical Bill. So, my Party is demanding this UPA Government that instead of waiting for five years, you have to implement this Bill in the whole country. Then only the poor people who are living below the poverty line in the rural areas will get benefit out of this Bill[m41].

According [e42]to this Bill, we have given power to the *gram panchayat,* intermediate *panchayat* and district *panchayat*. We have to strengthen these organisations. Without strengthening all these organisations, this programme would not percolate to the ground level and ultimately the poor people would not get the benefit.

For example, it has been stated that 'a shelf of projects would be prepared by the *gram sabha*'. It has to be approved by the *gram panchayat*; then, it would be sent to the intermediate *panchayat*; and ultimately it reaches the district *panchayat.* The district *panchayat* would approve all these projects. To whoever applies for employment, the shelf of projects is available in the *gram panchayat*. For all these things, where is the infrastructure in the *gram panchayat*?

Throughout the country the size of the *gram panchayat* is not the same. In Kerala, the population of a *gram panchayat* is 25,000 to 30,000; in Andhra Pradesh, it is only 2,000 or 3,000. With a population of 3,000, where is the infrastructure for the *gram panchayat*? There is no *gram panchayat* which has the infrastructure. There is no village secretary. There is no infrastructure. How can they prepare a shelf of projects? The hon. Minister has to answer this because in different States, different *panchayat* organisations are of different sizes. If you adopt an Employment

Guarantee Bill, it has to be implemented properly, with commitment, with honesty, with integrity, and without any corruption. So, the hon. Minister has to answer all these questions.

According to the UPA Manifesto, they have to include the urban poor also. If it is not possible in this Bill, the Government of India should bring in another legislation for the urban poor. It is only then that they can fulfil their promises according to the Common Minimum Programme and claim that this is a historic Bill. So, I do not agree with this claim.

In Maharashtra, they are implementing Employment Guarantee Act since 30 years. Even after 30 years, there is no shortage of migration from rural areas to urban areas. Still people are migrating to urban areas. In this situation, with these experiences, the hon. Minister should have thought in detail, in practical terms considering the way the Maharashtra Employment Guarantee Act has been implemented.

According to my party, they have to implement this measure throughout India. I told my people in my constituency: "The National Employment Guarantee Bill is coming up. You would get mandatory wage employment for 100 days in a year." But this Bill would be applicable only in 200 districts. What can I say tomorrow to the people of my Parliamentary constituency, when those poor people approach me and ask me why they have not got employment? Where is the work to provide for them? These are some lacunae in this Bill. That is why, I humbly request that instead of implementing it in 200 districts, the Government has to implement it in all the 600 districts at a time. The hon. Minister of Panchayati Raj is also here and I hope he would agree with me.

The Government claims that this is a historic Bill. I would like to say that I support this Bill fully but it is only partly implementing the Scheme in 200 districts, which makes it old wine in a new bottle. That is why I am giving all these suggestions. The Government of India should incorporate all these suggestions. It is only then that this Bill would benefit the poor people in the rural areas and they would get 100 days' employment legally.

श्री रामजीलाल सुमन सभापति जी, गरीबी और बेरोजगारी का अंत हो, इस पर अंकुश लगे, इस दिशा में यही प्रयास सरकार की ओर से है। सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि सदन पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त कर रहा है। जब से भारतीय संसद अस्तित्व में है तब से बराबर बेरोजगारी और गरीबी पर यह सदन चर्चा करता रहा है और उसके लिए सार्थक परिणाम निकलें, इस दिशा में काम करने की कोशिश होती रही है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण अंचलों की जो बेरोजगारी है, उनकी बेरोजगारी या गरीबी को दूर करने के लिए यह पहला प्रयास cè[p43]*

हम 1960 से बराबर कोशिश कर रहे हैं कि देश से गरीबी दूर हो, बेरोज़गारी दूर हो। उसके लिये तमाम योजनायें भी बनी हैं। कौन सी योजना किस हद तक कारगर हुई, उसका क्या परिणाम निकला या उनके कार्यान्वयन में क्या कमी रही, इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार की नीयत ठीक है लेकिन परिणाम किस हद तक निकलेगा, यह ि वचारणीय प्रश्न है।

सभापति जी, श्री दासमुंशी काफी देर तक भाण करते रहे। उनके भाण का लब्बो-लुबाव यह था कि हिन्दुस्तान की समस्यायें इस वजह से बढ़ीं कि देश की आबादी बढ़ी है। उससे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ा। मैं कहना चाहूंगा कि देश की आबादी बढ़ने के साथ-साथ देश के प्राकृतिक संसाधनों और खनिज सम्पदा के लिये जिस श्रम शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिये था, वह नहीं किया गया। अगर इनका सही इस्तेमाल किया गया होता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के सामने आई हुई समस्याओं पर भी कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकता था।

यह विवादास्पद मामला है कि इस बिल के माध्यम से परिवार के एक सदस्य को, जो बेरोजगार होगा, उसे साल मे 100 दिन काम दिया जायेगा, लेकिन इस बिल से भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि यदि संयुक्त परिवार हो और उसमें 5-6 भाई हों और कुछ महिलायें हों तो यह कैसे सुनिश्चित किया जायेगा कि किसे काम मिलेगा? इस बारे में बिल में कोई सफाई नहीं दी गई है। यदि परिवार बेरोजगार है तो यह निश्चित करना कि प्राथमिकता के आधार पर किसको रोजगार मिलना चाहिये, इससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी। मुझ से पूर्व वक्ता ने कहा कि शहरी और ग्रामीण बेरोजगार को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। जब सरकार ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने की बात कर रही है तो शहरी बेरोजगार पर क्या उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। मेरा सरकार से आग्रह है कि शहरी लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिये भी कोई सार्थक प्रयास होना चाहिये।

सभापति महोदय, आज बुनियादी सवाल यह है कि ज्यों ज्यों हमने देश से बेरोजगारी दूर करने की बात कही, देश में रोजगार के अवसर कम होते गये। उसका मूल्यांकन यह निकाला कि हमने अपने आपको पहचाना नहीं। हमारी जलवायु, वातावरण, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक संरचना - इन सब चीजों को हमने नजरअंदाज किया। मशीनीकरण, कम्प्युटरीकरण, स्वचालन के कारण समस्यायें आईं। इसका मूल कारण यह है कि देश ने गांधी जी को भुलाने का काम किया। खुले व्यापार पर हमला, विदेशी सामान का खुला आयात, कृषि की उपेक्षा और लघु एवं कुटीर उद्योगों पर मार - ये सब ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी और बढ़ी है। एक तरफ हम लोग बेरोजगार दूर करने की बात कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी क्षेत्र हैं, उनमें नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। विश्व बैंक, अन्तर्राट्रीय मुद्रा कोा आदि ने कह दिया है कि छंटनी की जाये। सरकारी उपक्रम बंद कर दिये गये। उसका परिणाम यह हुआ कि जहां रोजगार के अवसर थे, लोगों को रोजगार देने का काम बंद हो गया। सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण चंद लोगों के हाथ में सिमट गया। उसका परिणाम यह हुआ कि देश की बड़ी आबादी के पास क्रय शक्ति नहीं रही।उसके परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी हुई और बेरोजगारी की समस्या और बढ़ी।

सभापति महोदय, मेरे पास देश का बिजनेस स्टैन्डर्ड समाचार पत्र है, जिसमें एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ है। उस सर्वेक्षण में जो तथ्य सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। इसमें लिखा है कि देश में 600 बड़ी कम्पनियों की जब रिपोर्ट देखी गई तो उसमें इन कम्पनियों का लाभांश 50 प्रतिशत तक बढ़ा है, किन्तु श्रम पर होने वाला व्यय सिर्फ आठ प्रतिशत है। इससे स्पट है कि देश में विकास की दर तो बढ़ी है, लेकिन श्रम में कटौती हुई है। यह रोजगार रहित विकास है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं, उस दिशा में चलने पर कोई अच्छे परिणाम निकलेंगे, इसमें मुझे शक है।

बेरोजगारी दूर करने का जो प्रस्ताव सरकार लाई है उसमें अभी दो सौ जिलों को चिह्नित किया गया है। आगे आने वाले पांच वर्षों में वह पूरे देश को शामिल करना चाहती है। मैं समझता हूं कि इसके लिए करीब एक लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और यह सब अनुत्पादक व्यय है। जो इतना बड़ा व्यय होने वाला है, यह सब अनुत्पादक व्यय है। एक लाख करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी हम क्या बेरोजगारी दूर करने की दिशा में चलेंगे - इसे समूल नट करने की दिशा में हम लोग नहीं चल रहे हैं। मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद

बेरोजगारी की समस्या से हम निजात नहीं पा सकते, हम उससे मुक्ति नहीं पा सकते। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे देश की जो सामर्थ्य है, साधन हैं, क्षमता है, उसे ध्यान में रखते हुए देश में एक नीति बननी चाहिए। खेती की हमारे देश में बराबर उपेक्षा हुई है, कुटीर और लघु उद्योग हमारे देश में तबाह हुए हैं, जबकि ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां रोजगार के और ज्यादा अवसर पैदा किये जा सकते हैं। इन दोनों क्षेत्रों की उपेक्षा करके हम देश में बेरोजगारी की स्थिति पर काबू नहीं पा सकते। इसलिए सरकार से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस सुधारवादी कदम उठाने के स्थान पर जब तक बेरोजगारी को हम समूल रूप से नट करने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक यह समस्या इस देश में बनी रहेगी। यह एक सुधारवादी कदम है, यह बुनियादी कदम नहीं है और जब तक हम बुनियादी कदम नहीं उठायेंगे, मैं नहीं समझता कि सुधारात्मक कदम से अपेक्षित परिणाम हमें मिल सकते हैं। यह समस्या यथावत बनी रहेगी, ऐसी मेरी आशंका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

SHRI A.K.S. VIJAYAN Hon. Deputy Speaker Sir, after 58 years of independence, after completing the golden jubilee celebrations and recently the freedom anniversary celebrations, we have evolved and introduced a Bill in this august House with a viable scheme that would touch the needy poor directly. I welcome the National Rural Employment Guarantee Bill. Let me express my views on behalf our party Dravida Munnetra Kazhagam while extending our support to this historic Bill.

Our leader Dr Kalaignar used to say, “We assure what we could do and we do what we assure”. Within this one and a half years of coming to power our UPA Government has ventured to implement several social welfare schemes to ameliorate poverty. The significant one among such measures is the legislation of this National Rural Employment Guarantee Bill. At the moment, when we seek to pass it in this House I would like to thank the Chairperson of our UPA Annai Sonia Gandhi and our Prime Minister Dr Manmohan Singh and the prime mover behind this governance our leader Dr Kalaignar Karunanidhi.

Our UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi pointed out that women would get priority while identifying the beneficiaries for this scheme and 33% of jobs guaranteed to them. I appreciate and welcome this right move. I am duty bound to bring to the notice of this august House a valid information related to this move. When Dr Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister of Tamil Nadu, he appointed in all the 12000 panchayats 2 social welfare volunteers – a lady volunteer and also a male volunteer in each panchayat. But the Government led by Jayalalitha that came to power in 2001 retrenched all those village welfare volunteers about 25000 of them that had equal number of men and women among them. They were removed from employment so suddenly that some of them were shell-shocked and driven to suicide attempts. They were deprived of their

_____*Translation of the speech originally delivered in Tamil.

livelihood in a heartless fashion. I just think of UPA’s Chairperson Annai Sonia Gandhi who always thinks about the poverty stricken people of this country. I also see in her a compassionate leader championing the cause of women at the national capital. But I find another lady leader in Tamil Nadu who takes away even hard won jobs of women mercilessly. What a contrast it is?

More than 72% of our population live below poverty line in this great country of ours. They battle for life everyday. Now we have evolved a plan and seek to implement them touching the needy rural poor directly. I would like to thank the UPA Government for legislating this Employment Guarantee Scheme to benefit the rural poor.

The beneficiaries under this scheme would be getting Rs 6000 per annum by way of getting Rs 60 for 100 days a year. Considering the rise in price index, I wish this minimum wage rate is enhanced soon. I urge upon the Union Government to look into it. If they are to be paid in kind, that is in the form of food grains, then it should be one third of the wages to be paid. 90% of Central funds and 10% of State funds are to be allocated to carry out this scheme. I wish the Centre come forward to bear the entire expense and bear cent percent of expenditure involved in implementing this scheme. I request the hon. Rural Development Minister to look into this and make it a fully funded Central scheme.

My esteemed colleague and fellow member from my neighbouring constituency the hon. Petroleum Minister is present here in this august House now. He knows that our Nagapattinam district did not witness the flawless implementation of ‘Food for Work’ programme conceived as a Centrally funded scheme by the present Union Government. It was not at all implemented satisfactorily. Both of us know how the present State Government in Tamil Nadu mishandled it. We all know the reason. I have recorded this in this august House earlier.

SGRY, SGSY, IAY, PMGSY, ‘Food for Work’ are all Central schemes aimed at rural poor. Even in the implementation of these poverty alleviation programmes, Central Government’s guidelines were not followed by the State Government in Tamil Nadu now. This accusation of mine has been recorded by me in this august House and we have taken up this with the Union Minister concerned.

This remarkable NREG Scheme must be implemented in all the 200 districts identified to begin with. We would be able to wipe out poverty only when we implement it in all the 600 districts of the country. We must find ways and means for that.

We have evolved monitoring mechanism to oversee the implementation of this programme. I urge upon the Union Government to employ rural youth in those localities as ‘overseers’ of the implementation of these schemes in their local areas. Youth who have passed Class X could be given these jobs. It would generate further job opportunity under this scheme. Lasting employment opportunities to literate/matriculate youth in rural areas can be provided. This suggestion may be seriously considered. The rural youth so employed to monitor the implementation of this scheme can ensure people’s participation, ensure the welfare of the beneficiaries in particular apart from ensuring a livelihood for themselves through a constructive mission taken up in the cause of the nation and its poor. There are certain areas where people come forward to work for

even Rs 30 while it is shown on record as Rs 50. We have witnessed such things when similar scheme was implemented in States like Maharashtra. We must bear in mind all our past experiences and must ensure a viable monitoring mechanism. Though the Centre has fixed Rs 60 as the minimum wage under the scheme which in itself needs an upward revision, there are also certain States and regions in the country where people would be ready to work for even Rs 30 per day. It is a hard reality because poverty is so severe in certain rural pockets. I urge upon the Government take note of the severity of poverty.

Sir, the Union Government has announced that we have the right now to get information from the offices of Government. We have Right to Information Act in place. But have we ensured it? I would like to inform the hon. Minister that I wanted to know about the implementation of centrally funded schemes implemented through the State Government in my constituency. Hoping that we have the right to know under the Right to Information Act, I wanted to know about the Central schemes being implemented in Nagai-Thiruvarur districts. Last month I wrote a letter to the District Collectors of those districts about the implementation of Central schemes and their stages and progress commensurate with the fund allocation. A request from a Member of Parliament, a people's representative from the local area, has not been attended to as yet and the needed information has not been furnished to me as yet. This is how District Collectors respond to a Member of Parliament. So it is imperative that Right to Information Act is implemented with all seriousness it warrants. The District Collectors must be instructed to put up notice boards displaying the details pertaining to the fund allocation, scheme wise allotment, list of beneficiaries under all the schemes area-wise in the districts. Name of projects/schemes, total number of man days, required man power scheme/project wise, list of local village beneficiaries, must be displayed in public places in all the districts all over the country.

My esteemed colleague Shri P. Mohan noted that the use of machines in carrying out these schemes must be avoided completely. I happily welcome the avoidance of contract system in this scheme.

Nagapattinam district comes under the ambit of this scheme. It must be extended to the neighbouring Tiruvarur district also.

SOME HON. MEMBERS: Let it be extended to all districts in Tamil Nadu.

SHRI A.K.S. VIJAYAN: I would welcome if all the districts of Tamil Nadu are covered under this scheme to ameliorate poverty in rural areas with dry spell. Instead of 200 districts as indicated now, all the 600 districts must be covered as an ambitious scheme. As far as Tiruvarur, my esteemed colleague hon. Petroleum Minister is well aware that it had severe drought in the last 4 years consecutively. There were at least 20 starvation deaths in Thiruvarur district. Hunger is a problem yet to be wiped out. A seven year old boy named Prakash, Shanmugam a small farmer, Padmavathi an agricultural labour were among those who died due to starvation in the drought conditions. I have repeatedly recorded these starvation deaths in this House. I urge upon the Union Minister to include Thiruvarur district also in the identified districts that would be covered under this scheme. Our colleague Shri Yerran naidu stated that passing of this Bill cannot be construed as a historic one. I would like to point out that it is a scheme to make poverty a history. Father of our nation Mahatma Gandhi said that only when poverty in villages are wiped out nation could attain self sufficiency and prosperity. This historic Bill aims at reaching the poor to help them overcome poverty thereby increasing their productivity to usher in prosperity. There cannot be two different opinions about this Bill that this can ensure social security to the rural poor of this country.

Thanking the Chair again, let me conclude.

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO Mr. Chairman, I rise to support this Bill, which we have been discussing now for nearly two days. This is a path-breaking legislation. For the first time, by statute, the Government will be ensuring some kind of employment to provide social security to the poorest people in the country.

Poverty alleviation programmes have been there earlier on. They have been mentioned by many of my colleagues who have spoken from all sides of the House. However, there is a qualitative difference between those programmes and the one which is before the House today. Earlier programmes provided only for an average of 20 days of guarantee. They had no statutory backing and, hence, the legislation which Parliament is going to enact, which this august House is going to enact now, will be a path-breaking law and a historic legislation. This was a commitment that was made by the UPA Government. The Commitment was not to provide jobs for one crore people every year; the commitment that we made was to provide some kind of succour to the poor people in the rural areas of this country.

Mr. Chairman, Sir, economic reforms do not mean betterment of only the business houses or the industrialists. In a country like India, there can be no reforms which do not address the needs of the poor. A majority of our people live in rural areas. There has been migration from rural areas to mega-cities, which has been a pressing problem of recent times. We do hope that in course of time, this will reverse the trend of migration from rural areas to cities.

Several Members who have spoken have lamented the fact that only 200 districts are being taken up under this Scheme to begin with. This is only a beginning; this is not the end of it. After all, every Government has its constraints. And, a provision which was not there in the original Bill when it was introduced has been incorporated now that within a time-frame of five years, the entire country will be covered by this Scheme.

So, it is not as if the Scheme will end with 200 districts. In course of time, certainly, this will spread to different parts of the country. I am sure that with the six to eight per cent growth in our economy that we have been witnessing every year, finances will not be a constraint, as far as this aim is concerned or this end is concerned.

Mr. Chairman, Sir, the Standing Committee in its Report had recommended universal entitlement on a self-targeting basis. Personally, I wish that this Bill gave universal entitlement to every citizen. However, as I said earlier, this is only the beginning. So, the concept of household has also been changed, and every household will be given 100 days of work. I do hope, and the Minister is sitting over here, that in time to come, maybe next year, he will bring an amendment to see that this entitlement becomes universal and self-targeting.

I would just like to point out one or two lacunae in the Bill. This Bill provides for the Panchayati Raj institutions in implementation of works. An amendment was brought to the Seventy-third Amendment to the Constitution: Panchayat Extension to Scheduled Areas. I would just like to quote a certain provision in the new amendment that was brought to the Seventy-third Constitutional Amendment. Section 4 (e) of PESA states:

"Every Gram Sabha shall --

(i) approve of the plans, programmes and projects for social and economic development before such plans, programmes and projects are taken up for implementation by the Panchayat at the village level;

(ii) be responsible for the identification or selection of persons as beneficiaries under the poverty alleviation and other programmes;"

Section 4 (f) states:

"Every Panchayat at the village level shall be required to obtain from the Gram Sabha a certification of utilisation of funds by that Panchayat for the plans, programmes and projects referred to in clause (e[R44]);"

I quoted this Section of the amended Constitution (Seventy-Third Amendment) Act because unless Gram Sabhas are entitled to undertake this job, it will be a violation of the Constitution. It means that the provisions of this Act cannot be implemented in the Scheduled areas. Therefore, I would urge upon the hon. Minister to make a change in sub-sections (1) and (3) of Section 16. I suggest that the words 'recommendations of' in those sub-sections may be substituted by the words 'shelf of projects approved by the Gram Sabha'. If this amendment is made, I believe there may not be any problem to implement the provisions of this scheme in the Scheduled areas of the country.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to a recommendation made by the Standing Committee. This is at para 2.36A on Page 20 of the report wherein the Committee has strongly recommended that in view of the fact that the Schedule Five and Schedule Six areas in the country are the most backward and people residing there are the poorest, these areas should be included in the first phase of implementation of Employment Guarantee legislation. I would presume that the additional 50 Districts would include such areas as the Standing Committee has recommended unanimously.

The Standing Committee has given a unanimous report. The report is there with the Government and it will strengthen the hands of the hon. Minister. I would like to appeal to the hon. Minister to utilise the recommendations of the Committee to bring in amendments as and when necessary. For instance, I would certainly like to believe that not very far from now, maybe in the coming year, the Minister would extend this entitlement to everyone to make it universal. I also believe that apart from extending the present facility at this stage to the Scheduled areas, every backward region will be considered in the near future. I am sure that it may not take us even five years to cover the entire country. Let us not be pessimistic about the fact that only 200 Districts have been covered now. A noble beginning has been made. An effort which was never made before is now coming into the Statute Book. I do not see any reason why this is not going to work out.

Mr. Chairman, Sir, I would like to say to the Minister a word about the wage rate. The recommendations which came from various quarters and sources stated that the minimum wage rate that is decided by every State under the Wage Act of 1948 should be taken into consideration. However, there are certain States where the wage rate was much less than the wage rate in certain other States. Therefore, the Standing Committee felt that the minimum wage rate fixed by a State should be taken as the minimum wage rate as long as it is not less than 75 per cent of the national wage rate. This is because this has covered most of the States which have already fixed the minimum wage rate. Now the Government has decided to make a uniform wage of Rs.60. It is all right. Let Rs.60 be the minimum wage. However, I would prefer that those States where higher minimum wages are fixed, those rates should be made applicable as the Bill originally intended it to be.

I would like to appeal to the Minister to ensure that the quality of food grains which are given is good and fit for consumption. Most of the other aspects have been gone into by most of my colleagues and I would not take the time of the House[KMR45].

But again I would like to repeat that this change which I had recommended has to be taken up. Otherwise, it would be a futile exercise.

श्री किशन सिंह सांगवान सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। पूरे सदन में हम ऐसे बिल पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम सुनने और पढ़ने के बाद पूरे देश में करोड़ों बेरोजगार युवकों में ऐसी भावना पैदा हुई कि आजादी के 58 वर्षों के बाद हमारे लिए कुछ होने वाला है। हमारी भी यही सोच थी, जब मीडिया के मार्फत हमें पता चला कि कोई रोजगार गारंटी बिल पेश हो रहा है। हमें भी बहुत खुशी हुई कि यूपीए सरकार पहली बार कोई अच्छा काम करने के लिए बिल ला रही है। लेकिन जब रघुवंश प्रसाद जी ने यह बिल पेश किया और हमने इसे पढ़ा तो हमें बहुत अजीब-सा महसूस हुआ। हमें यह लगा कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। उम्मीद थी कि रोजगार देने के लिए बिल आया है, माननीय मंत्री रघुवंश प्रसाद जी बैठे हुए हैं, वे अपनी अंतरआत्मा से बताएं कि यह रोजगार गारंटी बिल है या दिहाड़ी गारंटी बिल है। यह मजदूरी का बिल है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। करोड़ों नौजवान, करोड़ों बेराजगार पढ़े-लिखे युवक, जिनके नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज हैं, उनका कोई उल्लेख इस बिल में नहीं है। उनके लिए कोई प्रोविजन इस बिल में नहीं किया गया है। इस बिल से यह बात साफ हो जाती है कि जो लोग अशिक्षित हैं, अप्रशिक्षित हैं, उनके लिए कुछ दिहाड़ी का प्रबंध हो सके, यह सोच इस बिल से निकलती है। एक तरह से ढोल पीटा जा रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं किया गया है।

मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने इस पर विस्तार से चर्चा की है। मैं श्री रघुवंश जी का बहुत बड़ा प्रशंसक और समर्थक भी हूं। पिछली बार जब ये इस तरफ से खड़े हो कर बोलते थे तो बड़े जोर से गांव के गरीबों और किसानों की लड़ाई लड़ते थे और लगता था कि वास्तव में उनके लिए इनके दिल में हमदर्दी है, लेकिन अब जब उधर चले गए हैं तो उनकी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है। जब यहां से बोलते थे तो इतने जोर से बोलते थे कि सभी माननीय सदस्यों को अपने हैड फोन उतारने पड़ते थे। कई बार चेयर से हम मांग करते थे कि हैड फोन के साथ-साथ एक साइलेंसर भी यहां पर लगा होना चाहिए क्योंकि रघुवंश प्रसाद जी बोलते हैं। इस तरह से जब माननीय मंत्री जी उस समय यहां से बोलते थे तो लगता था कि वास्तव में गरीब लोगों के प्रति इनके मन में दर्द है।...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री जब जोर से बोलते थे, तब सरकार कहां सुनवायी करती थी।

श्री किशन सिंह सांगवान : अब जब इन्होंने बिल पेश किया और जिस रूप में इन्होंने बिल पेश किया है, उससे वास्तविकता बिलकुल अलग है। इसमें कोई रोजगार की गारन्टी नहीं है। इसमें दिहाड़ी की भी गारंटी नहीं है। केन्द्र सरकार की जो मजदूरों के लिए स्कीमें हैं, उनको ही बिल के रूप में लाया गया है। इसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि कितना बजट इसके लिए दिया जाएगा और क्या नई स्कीमें होंगी? इसमें परिवार के एक आदमी को काम दिया जाएगा, क्या दूसरे लोगों का कोई अधिकार नहीं है? यह स्कीम पहले 150 जिलों में लागू की जाएगी, लेकिन बाकी 450 जिलें कहां जाएंगे। उनके लिए कौन सी स्कीम लागू होगी? वहां के दिहाड़ी करने वाले लोग कहां जाएंगे। पांच सौ रूपये महीना दिया जाएगा, इसका मतलब एक परिवार को रोज 17 रूपये की दिहाड़ी ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ[MSOffice46]*

इससे कुछ नहीं होने वाला है। माननीय कल्याण सिंह जी ने ठीक सुझाव दिए थे कि जो व्यक्ति भी रोजगार चाहे, उसे इसमें हक देना चाहिए था, परिवार की सीमा नहीं रखी जानी थी। रोजगार करने वाला व्यक्ति इनडिवीजुअल होता है। इसमें लिमिटेड जिले हैं। इसमें कौन सी गारंटी दी गई है कि योजना किन जिलों में लागू होगी, क्या हरेक गांव में लागू होगी, कौन-कौन सी स्कीम्स लागू होंगी? देश के बाकी साढ़े चार सौ जिले कहां जाएंगे, वहां के बेरोजगार लोगों का क्या होगा। माननीय कल्याण सिंह जी की बात सही है कि यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है, इसे और अच्छा बनाया जा सकता था। क्या शहर में गरीब लोग नहीं बसते? शहर के गरीब लोग कहां जाएंगे? इस बिल में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह सब जल्दबाजी का काम है।

मैं कहना चाहता हूं कि इससे टकराव पैदा होगा। हम एक तरफ कह रहे हैं कि पंचायतों को मजबूत करें, लेकिन दूसरी तरफ उनके अधिकार छीन रहे हैं। इसमें जो भी स्कीम लागू होगी - एक प्रदेश स्तर पर कमेटी बना दी और एक जिला स्तर पर कमेटी बना दी और कह दिया कि वह कमेटी कोआर्डीनेट करेगी। अब जिला परिद कहां जाएगी, ब्लॉक समितियां कहां जाएंगी और पंचायतें कहां जाएंगी? इससे डिवीजन ऑफ वर्क होगा, टकराव होगा और हमारा पंचायती राज सिस्टम कमजोर होगा। इसमें जो प्रावधान किया गया है, वह ठीक नहीं है। इसमें बिल्कुल क्लीयर साढ़े तीन सौ दिनों में से सौ दिन का प्रावधान है। मेन एक्ट में बहुत क्लीयर लिखा है।

Sir, in the Chapter II, clause 3(4) says:

"The Central Government or the State Government may, within the limits of its economic capacity and development, make provisions for securing work to every adult member of a household. "

यानी पैसा होगा, स्कीम होगी तो काम होगा, नहीं तो कोई काम नहीं होगा, कोई डैवलपमैंट नहीं होगी।

Similarly, in the Chapter III, Clause 4(1) says:

"For the purposes of giving effect to the provisions of section 3, every State Government shall, within six months from the date of commencement of this Act, by notification, make a Scheme, for providing not less than one hundred days of guaranteed employment in a financial year to every household in the rural areas covered under the Scheme and whose adult members, by application, volunteer to do unskilled manual work subject to the conditions laid down by or under this Act and in the Scheme. "

यानी कोई स्कीम होगी तो कवर होगा, स्कीम नहीं होगी तो कैसे होगा।

प्रियरंजन दासमुंशी जी जो बात कह रहे थे, वह ठीक है और हम इससे सहमत हैं कि यह आसान काम नहीं है। 58 साल की आजादी में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है, गरीबी और बेरोजगारी इंटर-लिक्ड है। जो व्यक्ति गरीब है, इसका मतलब वह बेरोजगार है और जो व्यक्ति बेरोजगार है, इसका मतलब वह गरीब है। दोनों इंटर-लिंक्ड मामले हैं। हम जब तक लोगों को इम्प्लॉयमैंट नहीं देंगे, तब तक गरीबी मिटने वाली नहीं है। अभी प्रियरंजन दास जी ने कहा कि इसे राजनीति से ऊपर उठकर लागू करना चाहिए। यह ईशू भी ऐसा है। लेकिन 58 साल में से 50 साल तक किस पार्टी का राज था, गरीबी बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार था? आज गांवों में सबसे ज्यादा गरीबी है। गांवों के आर्टीसन्स, जैसे लोहार, धोबी, नाई, तेली और जूता बनाने वाले आदि सब बेरोजगार हो गए, सबके छोटे-छोटे धंधे ठप्प हो गए और वे शहरों में आ गए।

गांधी जी का सपना था कि छोटे उद्योग-धंधों को बढ़ाया जाए। कांग्रेस सरकार गांधी जी का नाम तो लेती है, लेकिन उनकी नीतियों में विश्वास नहीं करती। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह की थी कि उन्होंने बड़े उद्योग-धंधों को बढ़ावा दिया था। यदि वे गांधी जी की बात मानकर गांवों में छोटे-छोटे उद्योग-धंधे स्थापित कर देते, तो आज बेरोजगारी की इतनी समस्या नहीं होती। डा. रघुवंश प्रसाद ने काफी बड़ा बजट पेश किया है। रघुवंश जी, मैं आपको सुझाव देता हूं कि इसमें व्यापक परिवर्तन करें, जल्दबाजी न करें, वर्ना इतना बड़ा बजट वेस्ट हो जाएगा, किसी गरीब व्यक्ति के काम नहीं आएगा, रोजगार की बात छोड़ें, उनको दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। हमारे देश में कितनी करप्शन है, अफसरशाही बहुत हावी है[pkp47].

वे सारे लोग इस पैसे को चट कर जाएंगे और गरीब के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इससे अच्छा तो यह होगा कि गांवों में जिनके उद्योग-धन्धे हैं, जो हमारे दलित और पिछड़ी जातियों के भाई हैं, उनको अगर आप सीधे अपने धन्धे को बढ़ाने के लिए 50-50 हजार रूपए या एक-एक लाख रूपए आर्थिक सहायता के रूप में दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप हर साल फेसेज में योजनाएं लागू करते हैं, उसी तरह फेसेज में आर्थिक सहायता देकर उनके धन्धों को चालू करवा दें। इससे परमानेन्ट रोजगार बनेगा, वह अस्थायी मजदूरी या दिहाड़ी नहीं होगी। यह ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बिल के मार्फत भी ऐसा किया जा सकता है। इसमें यह प्रावधान किया जा सकता है कि जो दलित और पिछड़े वर्गों के लोग हैं और आजकल तो किसान भी बेरोजगार हो गये हैं, क्योंकि होल्डिंग छोटी हो गयी है, पापुलेशन बढ़ गयी है, जमीन रही नहीं, किसान आज आधे-आधे किल्ले के मालिक रह गए हैं, वे भी इसी स्तर पर आ गए हैं। इसलिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उनको आर्थिक मदद दीजिए ताकि परमानेन्टली वे अपना रोजगार चलाएं और बेरोजगारी समाप्त हो सके।

सभापति महोदय : सांगवान जी, धन्यवाद, आपकी पार्टी ने आपको 10 मिनट का समय दिया है। आप 10 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं, इसलिए आप अपनी बात समाप्त कीजिए। अब आप दूसरे सदस्यों का समय ले रहे हैं।

श्री किशन सिंह सांगवान : रघुवंश प्रसाद जी,मैं इसके सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूँ कि आपने पंचायती राज में जो डिफरेंट कमेटियों का गठन किया है, उन्हें खत्म कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह सुधार हो गया है।

श्री किशन सिंह सांगवान : जी नहीं, यह सुधार नहीं हुआ है। पैसा सीधे पंचायतों के पास जाना चाहिए ताकि बीच में जो लोग दलाली करते हैं, आप तो इस देश की व्यवस्था को जानते हैं कि अधिकारीवर्ग किस तरह से लूटते हैं और अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पंचायतें रिज्योल्यूशन करेंगी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें एक भी सरकारी पैसा ग्राम पंचायत के रिज्योल्यूशन के बिना खर्च किया जाता हो, चाहे वह राज्य सरकार की हो या केन्द्र सरकार की योजना हो? सारे प्रस्ताव पंचायतों के द्वारा ही किए जाते हैं। इस नए कानून से एक अलग अथारिटी बनेगी, इसलिए मेरा सुझाव है कि पंचायतों को सुदृढ़ किया जाए। आज करप्शन सब जगह है, पंचायतों में भी करप्शन है, लेकिन कई जगहों के बजाए एक ही जगह करप्शन हो, तो अच्छा है। कम से कम ग्राम पंचायत से ग्राम सभा हिसाब ले सकती है, वे जिम्मेदार हैं।

पहले तो पंचायतों को सुदृढ़ किया जाए, इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी। दूसरे शहरों के गरीब लोगों को इस बिल में शामिल करें और प्रत्येक परिवार के बजाए हर व्यक्ति को इसमें राइट दिए जाएं ओर पूरी पारदर्शित होनी चाहिए। यही मेरे सुझाव हैं। आपने बिल की शुरूआत की है, इसके लिए सदन और सभी पार्टियां आपका आभार व्यक्त करती हैं, लेकिन जैसा श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने कहा कि यह काम अधूरे मन से हो रहा है, रघुवंश प्रसाद जी यूज हो रहे हैं और क्रेडिट कोई और ले रहा है। इस बात से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।

SHRI SHRINIWAS DADASAHEB PATIL Sir, I thank you for giving me this opportunity. On behalf of Nationalist Congress Party, I am here to stand and support this Bill.

'The National Rural Employment Guarantee Bill', its name itself, and especially its third Section relating to guarantee of rural employment to poor households, connotes that this is the Bill for rural people. When we are thinking of 'Bharat Nirman' and are looking to the welfare of poor people, this scheme means and is meant for the welfare of poor people or poor households from the rural areas. In fact, I am proud and I feel privileged to tell you that, when minimum employment guarantee scheme was pioneered in Maharashtra, I was one of the officers who were implementing that scheme as District Magistrate. I have seen people, after the agricultural operations, without any work and taking money from the local creditors and as such paying huge interest payments. As soon as the harvest was over, they used to be without money. There, the Government thought of giving them employment guarantee. When a hundred or more people came together and applied to the Tehsildar, the Tehsildar was bent to give them the opportunity. But here, in this Bill, there is no necessity of even hundred people coming together. Even if a man, one poor man, applies to the machinery with a request that he should be employed and given an opportunity to sell his labour whether skilled or unskilled, he will be given the opportunity. I welcome this Bill because employment is to be given to a poor household and that too, at the same time, in the rural areas. Provision for providing guaranteed employment is there - one is aware that, under this scheme, he will have work for hundred days at least. The wage rate is also worth mentioning. Minimum wage guarantee is given. So, there is no exploitation of any sort of a labour. Minimum guarantee is given and different areas are to be given different rates of such a minimum wage. Payment of unemployment allowance as such is one of the main features of this Bill[pkp48].

यह विशेाता है इस बिल में, क्योंकि if he applies for it and if he does not get the opportunity or if he does not get any response from the authorities, then from the date of his application, for at least 15 days, he will be given non-employment allowance. It is to look after the poor household or a poor man or poor people in the rural areas. It will be useful especially when they have nothing to do because when the agricultural operations are over, they are without any work. So, I am here to support this Bill.

In fact, when my leader Shri Sharad Pawar was the Chief Minister of Maharashtra, he implemented one scheme in the area of horticulture. The only thing that a farmer is expected to do is to volunteer his field to be taken over. The plantation was done in those fields; and I will tell you that the fruit bearing trees all over Maharashtra are fetching good prices. So, here my submission would be that the horticulture processing industries should also be brought within the net of this Employment Guarantee Scheme.

Some of the educated unemployed youth should be promoted to have small processing factories or workshop in rural areas; maybe one workshop or a factory amidst ten villages so that whatever fruits are cultivated – when they are not getting guaranteed prices – they would be brought to the workshop or factory and they would be processed. In fact, this scheme is being implemented to look after each and every individual from the poor family.

May I tell you that women are more likely to be benefited by this scheme? As we have seen, the number of women in doing labour is much more and their final status in the village will be increased because they practically honestly do the work and earn money.

In Maharashtra, food is also being given to the labour. So, cash payment along with food is being given to the family and he is not to extend his hand for any credit, in a rural area. I support this Bill on behalf of the Nationalist Congress Party. This scheme is very much beneficial for soil conservation efforts, for water conservation measures, for building roads, for construction of earthen dams, etc. Those who want to work will get the work and those who want to get the work done will get good people and honest people to work on the projects.

Therefore, I congratulate the Government for bringing forward this Bill. I wholeheartedly support this Bill on behalf of my Party. Thank you very much.

सभापति महोदय : रघुनाथ झा जी, आपकी पार्टी का समय पूरा हो गया है, फिर भी मैंने आपको मौका दिया है। कृपया आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री रघुनाथ झा बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति जी, सदन में ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत राट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2004 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। इस सदन में बहुत से सदस्य, चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, डा. राम मनोहर लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में देश में समाजवादी आंदोलन की धारा में संर्घा करते रहे हैं। उस आंदोलन में सर्वप्रथम हमारे नेताओं ने कहा था कि राइट टू वर्क संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में होना चाहिए। यदि संविधान में इसके लिए संशोधन करना आवश्यक हो तो जरूर करना चाहिए। उसी तरह से डा. राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया था कि - बिना नफे के खेतीबाड़ी, उस पर लगे न मालगुजारी। उन्होंने कहा था कि भूमि सेना बनाओ, ऐसे गरीब लोगों को न्यूनतम मजदूरी दो और उनको रोजगार की गारंटी दो। यह नारा समाजवादी आंदोलन के जमाने से रहा है। हम वर्तमान सरकार को और प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना था, उस दिशा में यह एक सराहनीय कदम है। जो बिल सदन में लाया गया cè[R49], उस दिशा में यह एक सराहनीय कदम है।

17.00 hrs

सदन में विपक्ष की ओर से माननीय कल्याण सिंह जी, जो स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी अपने विचारों को रखा, यूपीए की चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी ने भी अपने विचारों को रखा और सभी दलों के माननीय नेताओं ने अपने विचारों को यहां रखा है और कुछ त्रुटियों की ओर भी इशारा किया है। लेकिन सभी दलों के माननीय नेताओं ने इस बिल का पुरजोर समर्थन किया है।

भारत गांव का देश है। गांव में बदहाली, गरीबी, बेबसी, लाचारी और बीमारी तब तक ठीक नहीं हो सकती है जब तक कि गांव के लोगों को हम रोजगार मुहैया नहीं कराएंगे। रोजगार मुहैया कराने की दिशा में माननीय मंत्री जी ने और सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। हम लोग जिस इलाके से आते हैं, वहां से मजदूरों का व्यापक रूप से पलायन होता है और साल में तीन महीने उनको कोई काम नहीं मिलता है। वे काम करना चाहें तो भी उनको इन तीन महीनों में काम नहीं मिलता है, काम करने की गुंजाइश नहीं है। इस विधेयक से पलायन को रोकने में काफी मदद मिलेगी।

माननीय मंत्री जी अभी इसे दो सौ जिलों में लागू करने जा रहे हैं और इस विधेयक के पारित होने के बाद, बाकी के चार सौ जिलों में भी, पांच साल के अंदर, इसे लागू करने के अपने संकल्प को भी इन्होंने दोहराया है। पांच वर्ा के अंदर शेा चार सौ जिलों को भी ये इस स्कीम में शामिल करेंगे और देश का कोई भी जिला ऐसा नहीं रहेगा, जो इसके लाभ से वंचित रहेगा। इसलिए यह एक सराहनीय कदम है।

इस काम के लिए हम माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। इसमें इन्होंने जो-जो काम करने हैं, उन कामों की इलाके के स्तर पर प्रीऑरिटी दी है, जिससे देश के विभिन्न भागों को काम करने में सहूलियत हो। इन्होंने कहा है कि हम वाटर-कंजरवेशन, बाढ़ नियंत्रण और जंगल लगाने का भी काम करेंगे। हम लोग जिस इलाके से आते हैं उसका बड़ा भू-भाग वाटर-लॉगिंग की समस्या से ग्रसित है। वहां की करीब दस लाख हैक्टेयर जमीन वाटर लॉगिंग से ग्रसित है। इसलिए पानी के निकास का काम भी इसमें जोड़ा जाए। एक-तिहाई महिलाओं को इसमें रोजगार मिलेगा, वह भी सराहनीय काम है। हम माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहते हैं कि यह काम पूरा होगा तो निश्चित रूप से बेरोजगारों के जीवन में एक नया आयाम आयेगा और उसके साथ-साथ उनके जीवन में सुधार होगा, जिससे वे देश की मुख्यधारा से जुड़ेंगे और देश के सर्वांगीण विकास में योगदान करेंगे। मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जन-प्रतिनिधियों का इसमें व्यापक रूप से सहयोग लेना चाहिए, उनके इसमें हिस्सेदार बनाना चाहिए।

भारत सरकार की जितनी भी केन्द्र के द्वारा स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनमें जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे उन स्कीम्स का कार्यान्वयन शीघ्रता से हो। गत वर्ा बिहार में बीपीएल से नीचे रहने वाले लोगों के 9 लाख मकान बाढ़ में गिरे, दो लाख मकान बनाने का अनुदान भारत सरकार ने दिया और कुछ राज्य सरकार ने दिया। इंदिरा आवास योजना में, पांच-पांच हजार रुपया, घूसखोरी लेने का काम हो रहा है। बहुत सी योजनाएं देश में बनी हैं और भिन्न-भिन्न स्तरों पर लागूं हुई हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन ठीक से हो, इस पर भी विचार करना चाहिएइद्ध50ट। लेकिन उसका कार्यान्यवन ठीक प्रकार से हो, इस पर विचार करना चाहिए।

दूसरी बात, सभी सदस्यों को इस सदन में मैं सुन रहा था। बहुत से लोगों ने अपनी बातों को सदन में रखा है। देहाती इलाकों के मजदूरों के बारे में तो आप सभी ने जिक्र किया है और देहाती मजदूरों के लिए इसमें व्यवस्था की गई है लेकिन शहरी इलाकों में बहुत से गरीब मजदूर हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना और विचार करना चाहिए।

मैं अधिक समय न लेते हुए माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं ।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री मान्यवर, माननीय श्री कल्याण सिंह जी, विपक्ष के नेता एवं स्थायी समिति के अध्यक्ष ने अपने भााण में बिलकुल मूल सवाल उठाया था कि क्या इस विधेयक को तैयार करने में, हमने जो पहले का अनुभव है, उससे कोई सबक सीखा है या नहीं। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, बहुत से सबक हमने सीखे हैं और इसके परिणामस्वरूप इस विधेयक में यह चीज बिलकुल साफ जाहिर होती है। इसका कारण मुझे लगता है, वही रिपोर्ट है, जो कि कल्याण सिंह जी की स्थायी समिति ने रिपोर्ट तैयार की थी। मतलब, बजाए हमसे पूछे कि हमने कोई सबक सीखा या नहीं, मैं आपको बताऊं कि आपने जो सबक हमें सिखाया है, उसे हम पूरे तौर पर सीख चुके हैं। यह सबक क्या है? सबक यह है कि जब तक जबावदेही तय न हो, जब तक भागीदारी तय न हो, तब तक हमेशा भ्रटाचार के लिए और बिना काम किए यह कहना कि काम हो चुका है, इसके लिए काफी गुंजाइश रहती है। यदि हम नौकरशाही पर निर्भर रहें, तो काम अधूरा रह जाएगा। क्योंकि हमने इस सबक को सीख लिया है, वह भी आचार्य कल्याण सिंह जी के माध्यम से मैं इस सदन का ध्यान सैक्शन 13 (1) पर आकर्ति करना चाहता हूं। जैसा कि मैं समझता हूं इसी से हमारा विधेयक ऐतिहासिक बनता है। सैक्शन 13(1) में लिखा है -

"The Panchayats shall be the principal authorities for planning and implementation of the schemes made under this Act."

मान्यवर, हमारे संविधान में यदि धार 243 (जी) की तरफ देखें, तो उसमें यह बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को इंस्टीट्यूशनल आफ सैल्फ गवर्नमेंट बनाने की आ वश्यकता है। दो खास क्षेत्रों में- ''एक, योजनाओं को तैयार करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो परियोजनाएं हैं, उन्हें अमल में लाने में फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लिमेंटेशन'' की आवश्यकता है। आज तक शायद ही कोई ऐसी परियोजना हो, भारत सरकार की या हमारी या जब कल्याण सिंह जी खुद मंत्री थे, जिसमें इतनी भागीदारी हमारी पंचायतों को दी गई हो, जितनी कि इस ि वधेयक में दी गई हैं। इसी के कारण मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने स्पट रूप से खुले आम, और विधेयक में यह लिख कर यह दिया है कि the Panchayats shall be the principal authorities for planning and implementation, तो विपक्ष के नेता माननीय कल्याण सिंह जी को स्वीकार करना चाहिए कि हमने वाकई एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और वह भी उस दिशा में, जिसमें माननीय श्री कल्याण सिंह जी आगे बढ़ना चाहते हैं।

श्री कल्याण सिंह मैं माननीय मणिशंकर अय्यर जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख करते हुए कुछ बातें कहीं हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि आपने सीख तो ली है लेकिन आधी ली है। मैं चाहता हूं कि पूरी सीख लें। आपने जो ग्राम पंचायत को प्रिसिपल एजेंसी बताया है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम ऑफिसर और थोप दिया है। वह 50 परसैंट काम का एलोकेशन करेगा, ग्राम पंचायत नहीं करेगी।

मैंने जो मैंशन किया था, आप उसमें संशोधन कर लें तो अच्छा है। जो एक पब्लिक और सोशल ऑडिट चाहिए, उसके लिए ग्राम सभा सबसे प्रॉपर फोरम है। ग्राम पंचायत स्कीम बनाए और उसी स्कीम का अनुमोदन ग्राम सभा से ले, जो कुछ काम हों, उसकी परफॉरमैंस ली जाए कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना नहीं, सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, उसका पूरा ऑडिट बना कर ग्राम सभा के सामने पेश करे और पूरी ग्राम सभा जब एप्रूव कर दे, मैं समझता हूं कि इससे भ्रटाचार की गुंजाइश कम होगी।

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Sir, can I make a submission?… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : If he yields, then only you can make your submissions.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, first let me finish answering Shri Kalyan Singh and then I will yield.

मुझे अफसोस है कि जितने ध्यान से श्री कल्याण सिंह जी ने पहले विधेयक को पढ़ा था, उतने ध्यान के साथ जिस विधेयक को हमने इस सदन में पेश किया है, उसे नहीं पढ़ा। वह इसलिए गलतफहमी में फंसे हैं। मैंने ग्राम पंचायत से शुरू किया। यहां बताया गया है कि the Gram Panchayats shall be responsible for identification of the projects as per the recommendations of the Gram *Sabhas* and the Ward *Sabhas*. कोई जगह नहीं रहती। ग्राम सभा और वार्ड सभा को अपने सुझाव देने हैं, उस सुझाव पर आधारित ग्राम पंचायतों को अपना काम पूरा करना है।

दूसरी चीज जो आपने अभी बतायी कि ग्राम सभा को ही सोशल ऑडिट करना चाहिए, मैं कल्याण सिंह जी का ध्यान सैक्शन 17 (2) की तरफ आकर्ति करना चाहता हूं।

श्री कल्याण सिंह : पेज नम्बर बता दें।

श्री मणिशंकर अय्यरः मेरे पास पेज नम्बर नहीं है लेकिन सैक्शन है जिस में साफ लिखा है कि The Gram *Sabhas* shall conduct यह नहीं कि उनकी मर्जी हो तो करें। उसमें शैल शब्द है। The Gram *Sabhas* shall conduct regular social audits of all the projects under the scheme to be taken up within the Gram Panchayat. हमने इसे स्वीकार कर लिया है। आगे ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि Gram *Sabhas* shall monitor execution of works for the purposes of conducting social audit.

In 17 (3) it says:

> "The Gram Panchayats shall make available all relevant documents including Muster Rolls, bills, vouchers, measurement books, copies of sanctioned orders and other connected books of accounts and papers to the Gram *Sabhas* for the purpose of conducting social audit."

We have given so much importance to the Gram *Sabhas* that it constitutes the foundation of the entire National Rural Employment Guarantee Bill. In this connection, I am obliged to refer to the comments of my colleague, Shri Kishore Chandra Deo, who is not with us at this moment, who asked whether in PESA, in the Fifth Schedule areas covered by the Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 provisions – he specifically mentioned 4(3) -- of that Act would be implemented or not. I am afraid Shri Kishore Chandra Deo made a mistake, I apologise for using that word, in saying that the PESA amended the Constitution[snb51].

It did not. It fulfilled the Constitutional requirement. The Constitution directs that Parliament shall, for Fifth Schedule Areas, prepare an Act which covers the extension of these provisions to those scheduled areas. In pursuance of that, the 1996 Act was passed by this Parliament and it has gone to the States. It is for the States to enact their laws in accordance with the PESA. This involved, very often, an amendment of their extant Panchayati Raj Acts.

Now, if in some States this is not being done, the concerns expressed by Shri Kishore Chandra Deo should be addressed to that State Government and not to this Parliament. I certainly hope that in all States of India, which have Fifth Schedule Areas, the letter and the spirit of PESA will be fully respected. If it is so, then automatically, the concerns that he has expressed with reference to this Bill will also be met. In these circumstances, we now come to the *gram panchayat.*

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : May I intervene?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: I am sorry. I won't forget you. Let me finish answering Shri Kalyan Singh.

MR. CHAIRMAN : Shri Suresh Prabhu, you can wait. Anyway, you will be the next Member to speak.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Otherwise, I get distracted. I will come to you in a minute.

श्री कल्याण सिंह जी ने यह कहा कि प्रोग्राम ऑफिसर को ग्राम पंचायत को सिर पर बिठाया गया है और वही तय करेंगे कि क्या होगा और कैसे होगा। एक हद तक आपका कहना दुरुस्त है क्योंकि हमने देखा है कि ऐसा हो सकता है कि इसके लिए इसके प्रति भी संशोधन लाया गया था। आप ही की सिफारिशों के आधार पर, अब जो विधेयक हमारे सामने पेश है, मैं कल्याण सिंह जी का ध्यान उसकी तरफ आकर्ति करना चाहता हूं। Section 15 (2) says:

> "The Programme Officer shall assist the panchayat at the intermediate level in discharging its functions under this Act and any scheme made thereunder. "

इसका मतलब है कि प्रोग्राम ऑफिसर को पंचायत समिति का सहारा बनना है, उसको सहयोग देना है लेकिन निर्णय या फैसला मध्य स्तर का पंचायत लेगा क्योंकि मध्यस्तरीय पंचायत में जो ग्राम पंचायत के प्रधान हों, सरपंच हों या उन्हें जो भी नाम आप देना चाहते हैं, वे भी मौजूद होंगे, यदि उस प्रोग्राम ऑफिसर के फैसले से सहमत नहीं हों तो वहां इन्टरमीडिएट पंचायत में प्रोग्राम ऑफिसर को बताया जा सकता है कि आपने जो फैसला लिया है वह सही नहीं है। इससे आगे आपने हमें बताया कि प्रोग्राम ऑफिसर के हाथ में है कि वह तय करे कि पचास फीसदी जो काम इसमें किया जाना चाहिए वह देंगे या नहीं देंगे या कैसे देंगे।

लेकिन जो संशोधित विधेयक आपके सामने लाया गया है इसमें बताया गया है कि -

> "The Programme Officer shall allot at least fifty per cent of the works in terms of its cost under a scheme to be implemented through the *gram panchayat*. "

यदि इसे करने में किसी प्रकार की असंतुटी हो तो ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा में ग्राम सभा के सदस्यों और पंचायत के पंचों को छूट है कि वह मध्यस्तर के पंचायत तक पहुंचे और कहें कि हम प्रोग्राम ऑफिसर की बात से असमहत हैं और फिर वहां तय किया जाएगा कि जो प्रोग्राम ऑफिसर है, उन्होंने जो फैसला लिया है वह सही है या नहीं, उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है या नहीं? इस तरीके से हमने देखा है कि जो प्रोग्राम ऑफिसर है वह किसी के सिर पर नहीं बैठेगा। Section 16 (6) says:

"The Programme Officer shall supply each *gram panchayat* with (a) the muster rolls for the work sanctioned; and (b) a list of employment opportunities available elsewhere to the residents of the *gram panchayat*[r52]. "

सारी जानकारी ग्राम सभा के हाथ में होगी। ग्राम सभा की सिफारिशों के आधार पर ग्राम पंचायत तय करेगी कि कौन सा काम किया जाना चाहिये और कौन सा छोड़ देना चाहिये। यदि कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद प्रोग्राम आफिसर और पंचायत के बीच हो जाये तो रास्ता खुला है कि उन्ही की तरफ चुने हुये प्रतिनिधियों के पास वह मध्य स्तर पंचायत पहुंचे और अपनी शिकायत करें, और फिर आगे बढ़ सकते हैं। सवाल यह उठता है कि मध्य स्तर की पंचायत, जिसे हम पंचायत समिति या क्षेत्र समिति कह सकते हैं, कहीं-कहीं ताल्लुक पंचायत कहते हैं, वह काम करेगी। बिल की धारा 13(3) में यह साफ तौर पर बताया गया है :

It says:

"The functions of the Panchayat at the intermediate level shall be—

(a) to approve the Block level plan for forwarding it to the District Panchayat;
(b) to supervise and monitor the projects taken up at the Gram Panchayat and Block level."

तो कुछ काम होंगे जिसकी निगरानी मध्य स्तर पंचायत करेगी। ग्राम पंचायत में काम हो रहा है, यदि उसमें किसी प्रकार की निगरानी की आवश्यकता होगी, तो वह मध्य स्तर पंचायत करेगी।

"(c) to carry out such other functions as may be assigned to it by the State Council, from time to time. "

अब पता नहीं श्री सांगवान जी ने आपत्ति क्यों की कि स्टेट को-आर्डिनेशन समिति बनाई है। मेरा कहना है कि स्टेट कौंसिल में श्री सांगवान जी की राय होगी या किसी और की होगी? राज्य के मंत्री से वह कह दें और इस विाय को उठायें कि यह काम पूरे नज़रिये से ब्लॉक पंचायत को दिया जाना चाहिये और फिर बिल के सैक्शन 13(2)(सी) में बताया जा सकता है :

You have to go ahead with clause 13 (3) (c). You go ahead and do these functions as assigned by the State Council.

वैसा ही जिला स्तर पर बताया गया है :

The functions of the Panchayats at the District level shall be—

" (a) to finalise and approve," not to prepare, "the block-wise shelf of projects."

The block-wise shelf of projects is being prepared on the basis of the Gram Sabha and Ward Sabha suggestions by the Gram Panchayat to be forwarded to the intermediate panchayats which take a fresh look at them and then they recommend it further to the district level. So, at every stage, there are checks and balances to see to it that worthwhile schemes are included in the shelf of projects. Then, it is to supervise and monitor the projects taken up at the Block level so that, in addition to the Block Panchayat, the District Panchayat is looking after it as well as such projects as may be taken up at the District level.… (*Interruptions*)

Then, of course, the next is to undertake such other functions as may be assigned by the State Council. So, what I want Shri Sangwan, Shri Kalyan Singh, Shri Yerrannaidu and others to understand is that if you look at the different sections of this Bill as presented before the august House, you can see that there is integration of activity at every single level – from the Ward Sabha to the Gram Sabha, from the Gram Sabha to the Gram Panchayat, from the Gram Panchayat to the intermediate panchayat and the officer serving the intermediate panchayat who is the Programme Officer. Finally, it is that of the District level where again the district bureaucrat is serving the District Panchayat and not the other way round.… (*Interruptions*)

Please wait for a second. I think Shri Suresh Prabha had a question to ask. … (*Interruptions*) Please excuse me. Let him ask. He wanted to ask me something[R53].

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister mentioned a very important point. He said that clause 13 of the proposed Bill gives unqualified powers to the panchayats and, therefore, the point raised by Shri Kalyan Singh will not apply. If you read clause 13, – Shri Mani Shankar Aiyar can read it – clause 13 (1) says:

"The Panchayat at district level in every district within which a Scheme is being implemented shall constitute a Standing Committee consisting of such number of its members and subject to such terms and conditions as may be prescribed by the State Government to

supervise, monitor and oversee the implementation of the Scheme within the district."

Therefore, it is not an unqualified power that is given to the panchayat. It can vary from State to State. The State Government can decide as to what should be the powers of supervision of that Standing Committee which is going to be constituted under clause 13. Therefore, if the spirit with which he is saying that is to be taken to the logical conclusion, then what we really need to do is to take away the powers from the State Government, to change from one State to another State the power of the respective Standing Committee which actually is going to exercise the power that he talked about.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, it would be undesirable to give unfettered powers to any institution in our democracy. Democracy functions best when there are checks and balances.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO Mr. Chairman, Sir, if the hon. Minister yields I would like to seek a clarification.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Let me finish. I do not yield. I will give you a chance after I finish.

Sir, it is precisely to check the unfettered powers of any element of the system that these checks and balances have been built in. I do not believe that it would be constitutional for us here to prescribe a uniform model for all the State Governments because the State List in the Seventh Schedule of the Constitution clearly puts the responsibility for Panchayati Raj on the State Governments and what we have to always perform is a delicate constitutional balancing act between the advocacy role of the Centre and the constitutional responsibilities that have been entrusted to the States. If one sees that any given State Government is violating either the letter of the Constitution or the law or, more importantly, the spirit in which that law has been prepared, then it is the job of the Union Ministry of Panchayati Raj to go there and arrive at a conclusion by a process of cajoling, begging, persuading and at some times, perhaps, with a little bit of threatening.

Sir, it has been my experience in the last year that if you get together the representatives of the State Governments, there is total unanimity, not just consensus; 150 action points have been agreed by all of us sitting together in a period of just 150 days last year. Now I am undertaking tours of the States and I find that it is very easy to be able to arrive, by consensus with them, at the important steps that need to be taken to improve things in any given State.

So, with trust in our constitutional order, a constitutional order which gives responsibilities to the panchayats within a framework where the State Governments have an overall responsibility to the people through their State Legislatures and which gives certain responsibilities to the Centre to be responsible to the same people of India through this august House, the Parliament of India, I think, we need to move forward. We are moving forward. This is truly a historic Bill, because for the first time unambiguously the Panchayati Raj Institutions, the Gram Sabhas and Ward Sabhas which support these Institutions, have been given full recognition, full devolution of powers and full respect.

MR. CHAIRMAN : Shri Suresh Prabhakar Prabhu.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Mr. Chairman, sir, I want to ask a question to the hon. Minister Shri Mani Shankar Aiyar.

MR. CHAIRMAN: I am not going to allow any question now. The Minister is going to reply tomorrow. If you get a chance to speak, then you make the point in your own speech, not now.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Your name is in the list of speakers. You have to speak and when you speak you make your point. I will not allow you now. We have a very long list of speakers. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record other than what Mr. Prabhu says.

(Interruptions) … (Not recorded)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you will not reply to him.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: I am obliged to you.

MR. CHAIRMAN: Mr. Prabhu, you please speak. We have a very long list of speakers and my name is also there in that list[k54].

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU Sir, we are about to pass a very important legislation. India is a country, which should not be proud of the fact that we have the highest number of people living below poverty line. I sometimes wonder, if those people were to live in a separate country, that would be the poorest country in the world, with the second largest population in the world.

17.31 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav *in the Chair*)

So many poor people are living in a country like India and therefore, when we are addressing the concern of such poor people by way of a legislation, this is a welcome step. While doing that we must be sure that the object, which has been stated in the object clause of this particular legislation, is really reflected in the substantive position of the legislation.

Sir, why we are talking about it and why I justify this because the only way of survival for poor is his ability to work. He has no asset and therefore, no resort to using his capital for earning income. Therefore, the only way he can earn income is by working. Therefore, when we are actually guaranteeing a right to work, it is something which was not even stated in the Constitution, it is something which is definitely welcome. While we are doing that, we must be absolutely sure that we are actually doing what we really need to do.

Sir, we are talking about livelihood security for the poorest of the poor in the country. When we talk about livelihood security, can you believe that those people, who are going to work for 100 days in a year earning less than the minimum wage, which is stipulated – I will come to that point later – save something which will help them to earn income for the remaining 265 days in a year? When you earn for 100 days, you need to also survive for the remaining 265 days. Therefore, if you are providing livelihood security, which is really required, then in that case, it is not sufficient to say that we will provide you guarantee for only 100 days and for remaining 265 days, how you will survive is not my concern. Therefore, if you are providing livelihood security, which is the basic object of the Bill, as has been stated in the object clause, in that case it is not enough that we can give for 100 days, it must be given round the year, for 365 days of the year and that too at the minimum wage and not below that. It is because the minimum wage is the wage which is calculated under the Act passed by this Parliament on the basis of the minimum amount of money required for a person to survive. On this basis the minimum wage is calculated. So, how can you pay anything which is lower than the minimum wage? It is a violation of the Act passed by this Parliament itself. Therefore, I personally feel, that the clause 100 days should be removed and it should be round the year and the amount should not be Rs. 60 per day, but minimum wage.

Sir, when we are talking of livelihood security, the other important issue is that when we are going to give a minimum wage, if at all we do that, even the State Government is unable to provide jobs. In that case, the amount of money that will be entitled for that poor person is only 25 per cent of the minimum wage.

Now, when we are talking of livelihood security, do you mean to say that the State Government finds it easier not to provide a wage and 25 per cent of the wage will be paid? Do you think he will be able to survive? So, if you are talking of livelihood security, it is not enough to say that we will provide only 100 days wage and not even minimum wage and that too after assuring that to say that if the Government is not willing to provide it, we will give only 25 per cent of that. Therefore, this goes against the spirit for which we are discussing this. Therefore, I really request that that should be done.

Sir, I am talking of minimum wages, minimum employment, so give me minimum time please.

Sir, why is this really done and why only in 150 districts? I am really worried that they will do it for 150 districts out of 600 plus districts of the country. Many people will migrate from one place to another. But then there is a clause saying that if a person goes from one village to another, unless he resides in the vicinity of that village, he will not be entitled to draw wages. Just imagine, some workers, some poor people want to migrate from an adjoining district, which is not identified as a poor district, to get a job will not get a job. How is it going to work? Therefore, I also feel that this provision also needs to be properly amended while doing this.

Sir, the other issue is a very important issue and I hope my friends from the Left will sympathise with this. We are told that of the 100 days in a year, he will get a job only six days in the seven days' week[r55].

Do you mean to say that on the seventh day, he is not going to get paid? It is what is required. When they talk about Schedule 2 of this Bill that there are going to be a number of labour-friendly incentives like providing fresh drinking water, medical facilities, why not seven days' wage also should be paid having a person worked for six days? It is because that is what is normally done. Therefore, this again is required to be introduced and incorporated. Therefore, I feel that this needs to be done.

MR. CHAIRMAN : Shri Prabhu, please conclude.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Sir, I am going very fast; I am just reading out the points. I am not taking much time.

Why there is only one member of the family? There again the definition of the 'household', as done in the present Bill, says that if a person is sharing a common kitchen, it is a common household. Just imagine a person having more than ten members living in one family, sharing a household and sharing a family kitchen. There only one person will get a job. That will create more rifts in the family than in the past because now the amount of money that he is going to earn is not on the basis of the amount of labour he is going to put in, but on the basis of amount of entitlement. It is because that entitlement is taken away from one member of the family, the remaining members of the family will not be able to opt for the wages under this Act. Therefore, they are actually going to cause a division in the family. Therefore, I think this one-member family household definition should also need a drastic change in total form. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt. I am not allowing you. Please take your seat.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Before we start the programme, I hope we take certain precautions. One of the precautions that we need to take is this. Our former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi himself has said that out of the amount of Rs. 100 that we send from Delhi only Rs. 22 reach finally the destination. I do not know what has happened in the last twenty years. It can be more. If that is the case, how it will be awarded is a major challenge, and therefore before we prepare to launch this Programme, we must absolutely ensure that it will really not happen. Therefore, to avoid that I would personally feel that Maharashtra experience needs to be studied. In a district like Dhule, there were large number of violations because there were bogus wagers who were actually registered as a result of this and many went away. Therefore, before we start this programme we must prepare the best practices manual drawing practices from best of the units, benchmarking against the cost of that. If you do that, I am sure this will ensure that the irregularities will be reduced.

The other issue is that wages payment is a major problem. At least, wherever there are banks and wherever there are branches of any other bank, the wages should be paid through a bank. If you make payment through banks, there could be a possibility that the amount of money that is pilfered will be reduced, and also we should involve the NGOs. There was a very good example in the State of Rajasthan. There Aruna Roy worked, and as a result of that the bogus wage earners list has been reduced to a great extent. Therefore, I think we should really ensure doing that.

Schedule 1 only talks about descriptive list of the amount of activity that can be done. You must prepare a sequence of events. Unless a detailed project report is prepared, the work should not start. Having prepared that, it should be approved by the gram sabha and the gram panchayat. It should also be ensured that wage register should be maintained first.

Now, there are only identity cards which are going to be issued but a wage register should also be registered properly. It should be taken to this, and while this is done, how we are going to find out the money for this is still an important thing. It is because nowhere it is mentioned in the clause how the money is going to be raised for this. It is only mentioned that as and when notified the State Governments, the Central Government, will find the funds. I think it is also important before the Bill is passed by the Parliament we should also lay before the House how the money is going to be raised, whether a separate fund is going to be created. How that is going to be funded finally? Is it only through the budgetary provision or like in the case of Maharashtra where the employment cess is collected is actually contributed by that. That also really needs to be done.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : I have also moved some amendments. I will just take one single case which is stated in Schedule 2 as the first item. There are certain issues. The Finance Minister had mentioned while presenting the first Budget of the UPA in May last year. He said that one million tanks are going to be restored. Now, this one million tanks which are to be restored is a very good and laudable objective. Firstly, I do not know how many they have been able to restore. But, you have to ensure that this happens in real sense of the term and the Schedule 1 talks, these are the first priority.[r56]

I personally feel that you can prepare a complete DPR Wing GIS and remote sensing to help the villagers and the Panchayats and also give them the technical support, whereby they will be able to do the job in a manner that there is a linkage between water bodies and the Water sheds

and catchment areas. The village Panchayats will not be able to handle the linkage between land and forest, and all these issues. If you can prepare a national level database and provide the technical support to these institutions, then it will happen. Therefore, I think, it is a very classical case of the Ministry like the Ministry of Shri Mani Shankar Aiyar and it should be able to provide such an umbrella support to the local bodies whereby the capacity of the local body will improve, and the objective that you really intend to do, rather than using and waiting for capacity to be created first and then implementing the programme, can be achieved. While a programme of this magnitude is implemented, this is a good opportunity to develop such capacity.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Sir, I conclude my speech now.

SHRI KHARABELA SWAIN Sir, our Party is not opposed to this Bill specifically when the Standing Committee of Rural Development has in its recommendations described this Bill as a path-breaking piece of legislation brought forward by the Government of India. Shri Kalyan Singh, who has initiated this debate, has chaired the Standing Committee on Rural Development. Shri Kalyan Singh has already mentioned in detail about the lacunae that this Bill is having. I shall not repeat those. The only thing, along with him, I shall mention right from the beginning is this. I urge upon the Government to implement this Bill all over the country including the urban areas within the next two years and also to open this Bill for anybody who wishes to take up such manual job. It should not be confined to any one person in the family.

Sir, it seems that the UPA Government has set all its hope and expectation on this Bill since it could turn out to be the only tangible achievement of this Government. This desperate hope was the hallmark of the maiden speech made by Madam Sonia Gandhi in the Fourteenth Lok Sabha, ably followed by a highly politically-oriented speech made by the hon. Member, Shri Jyotiraditya M. Scindia, who among themselves claimed about ten times that this National Rural Employment Guarantee Bill is the brainchild of the Congress Party. There was a total hesitation on their part to cede any credit to any other party including their colleagues in the Left. Naturally, at the end of the speech, there was very reluctant thumping of desk by the Members belonging to the Left Parties.

I have no quarrel with the Congress Party. Let them appropriate all the credit; if this Bill succeeds. It is all their credit and I wish them the best. You may call me a pessimist, you may call me a cynic and you may call me a person having a negative mentality but, as a Member of the Opposition, I think, it is my bounden duty to bring it to the notice of this Government as to where lies the bottleneck and what could throttle such a scheme from eradicating poverty.

Sir, take the example of the Maharashtra Bill, which is the pre-cursor of this National Rural Employment Guarantee Bill. My basic question is this. This Bill is going to put the exchequer under tremendous pressure. But will it bring in compensatory spin-off in the form of reduced poverty level?

I will just quote the recommendations of the Standing Committee on Rural Development. It says, in page 7, about the failures of the Scheme in Maharashtra. I shall go one by one. It says:

"The programme still continues after 30 years without any decline in the demand for unskilled wage work under the scheme. "

Does it mean that after 30 years nothing has happened in Maharashtra and still people are going for unskilled work[lh57]?

That clearly means there is a lot of pilferage in this project. The second one is, 'there has been modest impact in poverty reduction or in unemployment reduction in the State'. There has been a very, very modest reduction. The third one is, 'the distressed seasonal migration of workers from backward region continues as the guarantee is not really implemented in many cases'. You will understand that it has not done anything with the migration of the labour. And the last one is very important. 'The quality of the assets created and their maintenance are frequently not satisfactory'. That means the quality of the sustainable assets, the creation of the durable assets, which is the main purpose of the Bill, has failed in Maharashtra even though it has been implemented for the last 31 years.

You see, why this has happened. Now, let us see page 39. It has been given in the Bill what are the schemes, what are the projects that would be taken up. They are, water conservation and water harvesting, drought-proofing, irrigation canals, provision of irrigation facility, land development, renovation of traditional water bodies, flood control and rural connectivity to provide with all weather access. There are works like this. Mostly, these are all earth-related works. We know and all the Members of this House know that when most of our Party members and contractors come to us and demand that they should be given some work, what do they want? They want this *kachcha* work of laying the *kachcha* road and digging the pond. Why? It is because the pilferage is the highest there. The officers take the highest percentage in these cases. That is the position. I am very scared that this might happen in this case because this is not going to create any durable asset. It is only going to create some *kachcha* assets.

Now, I will come to another point. I will simply give another example. This is *The Indian Express*. I will give you this as a proof. This is *The Indian Express* of August 18. It says, "Lesson for Delhi is here. Maharashtra stops work in Solahpur. District Collector signature forged. Musters manipulated by the Government staff. Only in one district, there has been a pilferage of Rs.9.1 crore." This is the result. This is what happened in Maharashtra. This is from *The Indian Express* of August 18th.

So, this is my point. Is this Bill not going to open the floodgate of corruption? That is my apprehension. This is a very sincere apprehension, and I gave you the example. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Anil Basu, please take your seat.

SHRI KHARABELA SWAIN : This is my actual question. Actually how many people are going to come for that work? Let me tell you I am having a printing press in my State. I want a person who is a machine operator who is to be trained. I have been giving advertisements through newspapers, including through my newspaper. I am telling many people that I want a person to whom I am prepared to pay Rs.1,500 per month. But for the last six months nobody is coming for work. Even if anybody is coming for work, he is quitting the job after 10 days. It is only because he thinks that Rs.1,500 per month is a pittance; it is a very small amount. You are going to give Rs.60 per day. That means, it would come to Rs.6,000 for 100 days in a year. That means, it is Rs.500 per month. When you are going to give Rs.60 per day, I do not know how many people will come forward. I am asking a very simple question. Are the educated people of this country very interested in a salary of Rs.500, a pittance, per month? They want white-collar jobs. I am very doubtful whether many people will come forward. In a State like Kerala, the minimum wage is Rs.130. If you say you will give Rs.60, who is going to come forward to take up this job when more wage on daily basis is available outside? So, that is my doubt[m58].

There are two aspects relating to poverty: one is absolute poverty and the other is relative poverty. Absolute poverty refers to the number of people or proportion of population below the poverty line. Relative poverty is exactly the story you narrated several times in this House. You were describing the other day the difference between the poor and the rich. You said that while the poor man was walking on the street the rich man was climbing on an elephant; thus, there was a difference of 10-12 feet. Now, the rich people are flying by aircraft at a height of 30,000 feet. This is relative poverty and these are our poverty dimensions.

During the early decades after Independence, the levels of income were low and the GDP growth was meagre. Consequently, poverty levels were too high, both in terms of proportions and absolute numbers but relative poverty and income disparity were virtually low. Since the mid-1980s, there was economic acceleration of about six per cent per year and poverty declined but the relative poverty has increased. Now, the major problem before this Government is how to eradicate this relative poverty so that poverty would go away altogether.

Let us take the example of Telengana. In Telengana, there is a Naxalite movement because they say the level of poverty is very high. I had gone to Telengana. If you compare Telengana with the prosperous areas of Orissa, I think, Telengana would fare much better than the prosperous areas of Orissa. I come from these more prosperous areas that they are worse than Telengana. This is not absolute poverty. This is relative poverty because the people of Telengana think that the people of coastal Andhra Pradesh are rich. If they come to Orissa, they would actually know how poor Orissa is. That is why, I say, it is a question of mindset and it should be done away with. The Government should carefully design the economic growth strategy. We should aim at reducing the imbalances between States, between rural and urban areas, and among various social groups. During the time of the NDA Government, the Government had created infrastructure that aimed at removing relative poverty but the UPA Government is rather more interested in removing absolute poverty, which has actually come down during the last two decades.

Another point relates to the quality of work. I have carefully gone through the recommendations of the Standing Committee. Many experts have appeared before the Standing Committee and given their opinion. The opinion of the experts was that the Government never talked about the quality of work. The experts simply wanted that we should relax all the work norms. Actually they want a relaxation of work norms. There was a provision that people should work diligently for seven hours. The Government wants to remove it. They say: "There is no question of diligence. He would just do whatever work he wants." If there were five women, one woman among them would be a babysitter. So, out of five women, only four women would work. For pregnant women, there is also a provision that three months' wages would be paid without any work. There would be separate types of work for the handicapped and disabled persons. Can we not directly help those pregnant women and disabled persons? Why should this be done in the name of Employment Guarantee Scheme? Are we not keeping more loopholes in this bill by leaving room for discretion so that the officials would get excuses to resort to corrupt practices[e59]?

Hon. Minister, Shri Mani Shankar Aiyar, was telling about the muster roll. In the EGS scheme which was implemented earlier, there was also a provision for a muster roll. You come to our village and you will find that there is no muster roll anywhere.

I am putting the question to the Government. The hon. Minister is present here. Does the Government feel that the good quality of irrigation project should actually be done through manual work? I do not think that good quality of irrigation work could be taken up through manual work. It is because, if you dig the canal, you dig the canal and you put it on the bank and with one shower of water everything will just come to the canal and again it will be silted. Actually, this happens and this is my experience and this is also your experience.

I am putting another question. This Government has made this Bill a legal entity. Now, I have an apprehension that many people will go to the court. Some of them also maybe politically motivated. Now, what are you going to do about it? How many cases will you fight? It is because some people will say, `I asked for job and the Government did not give it to me.'

Now, I would just like to read what the *Times of India* has said. It cannot be said that it is an Opposition-oriented newspaper. I quote:

> "The Group of Ministers has given a go-by to `fiscal prudence', in pursuing an expensive and potentially `highly wasteful' national programme of political expediency. The Finance Ministry raised a `Fiscal Defence Wall' against the Bill. Fiscal experts within the Government are aghast that it is not the usual suspect – the Left, but the Congress Chief who is attempting to endear herself to the `*aam admi'* at the risk of leading the Government to financial ruin. Even if the States foot a part of the bill, the costs are likely to be prohibitive for the Centre.*"*

These are the comments given by the newspaper. Under no stretch of imagination you can tell that it is the `Opposition' newspaper.

The hon. Minister for Water Resources, Shri Priyaranjan Dasmunsi, was telling that because of the great nationalisation and because of the pro-poor effect of the late Shrimati Indira Gandhi Government, the fate of the poor had changed. I will just give you one example. During 1991, Shri Chandra Shekhar was the Prime Minister for only four months. He had to pledge gold for bringing some foreign exchange reserves. Why did it happen? Did he commit so much of a mistake that within four months he had to pledge gold? It was because of the economic mismanagement from 1980 to 1990 that we had to suffer. I apprehend that this is exactly going to happen now.

My last point is about removing the relative poverty. The first thing is that more money should be put to make the people literate. It is the education which will ultimately remove poverty. The Government should put more money in the rural infrastructure like road, power, health and irrigation and not in the name of Employment Guarantee Scheme. You put the money and people will get the opportunity to stand on their own legs and to generate work on their own. If that is not done, then I have an apprehension that in a State like West Bengal, the entire money will be appropriated by the Comrades and by the Cadre.

Thank you very much.

MR. CHAIRMAN : Prof. M. Ramadass. Nothing will go on record except the speech of Prof. M. Ramadass.

… (*Interruptions*)

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): We will send you money. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Anil Basu, I am not allowing you. Why are you disturbing every time?

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Sunil Khan, please take your seat. Prof. M Ramadass to speak now. Nothing will go on record except the speech of Prof. M. Ramadass.

… (*Interruptions*[R60])

18.00 hrs.

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Respected Chairman, Sir, I am glad to participate in the discussion on a path-breaking legislation or a radical law that we are going to pass today which will have an indelible impact on the rural society of India.

Now this National Rural Employment Guarantee Bill is a right step in the right direction and it recognizes the right to job, for the first time in the country. Therefore, the *Pattal Makkal Katchi* whose objective is …

सभापति महोदय : छः बज रहे हैं, अगर माननीय सदस्यों की सहमति हो तो सदन की कार्यवाही चर्चा तक के लिए बढाई जाए। चर्चा पूरी होने के बाद ही आगे दूसरे विाय लिए जाएंगे। आज चर्चा को कंक्लूड करना है। चर्चा कंक्लूड होने के बाद स्पेशल मेन्शन लिया जाएगा।

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : महोदय, मेरा निवेदन है कि शून्यकाल के विाय अभी लिए जाएं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप सदन संचालन में सहयोग कीजिए ताकि यह विाय जल्दी कंक्लूड हो जाए और उसके बाद स्पेशल मेन्शन लिया जा सके। यह तो माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है कि अगर वे स्पेशल मेन्शन चाहते हैं तो जल्दी-जल्दी अपनी चर्चा समाप्त करें।

श्री थावरचंद गेहलोत : महोदय, अध्यक्ष जी ने निर्णय दिया था कि 6 बजे से शून्यकाल के विाय लिए जाएंगे, इसलिए मेरा अनुरोध है कि शून्यकाल के वियों को लिया जाए।

सभापति महोदय : यह चर्चा समाप्त होने के बाद ही अन्य विाय लिए जाएंगे, आम तौर पर यही परिपाटी भी रही है।

श्री थावरचंद गेहलोत : महोदय, यह चर्चा तो रात के 11 बजे तक चलती रहेगी,...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप तो पुराने सदस्य हैं, आप इसे समझ रहे हैं। जब तक यह कार्यवाही चल रही है, दूसरा विाय नहीं लिया जा सकता है।

श्री थावरचंद गेहलोत : महोदय, इसीलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि शून्यकाल के विाय अभी लिए जाएं।

सभापति महोदय : यह स्टेण्डिंग आर्डर है कि बिजनेस समाप्त होने के बाद ही स्पेशल मेन्शन लिया जाता है।

श्री थावरचंद गेहलोत : महोदय, 6 बजे का स्टैण्डिंग आर्डर है।

सभापति महोदय : वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

श्री थावरचंद गेहलोत : महोदय, ऐसा नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आपको याद होगा कि कभी-कभी स्पेशल मेन्शन सात बजे या आठ बजे भी लिया गया है। शायद आपको इसका स्मरण नहीं है, इसीलिए आप चेयर के प्रति ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए। अब आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। *

PROF. M. RAMADASS : Sir, we welcome this Bill because this is in consonance with the policy of our Party – PMK. This intends to ensure full employment to all able-bodied persons in the country. Our policy is to provide education to all and jobs to all and, therefore, this National Rural Employment

---

*Not Recorded

Guarantee Bill provides for the achievement of this objective. Therefore, we appreciate and congratulate the hon. Minister for Rural development. I think he will go into the annals of India's economic history by bringing this radical, rather a revolutionary Bill which will go to wipe out the tears of Indian eyes.

In 1947, when we got Independence, Pandit Jawaharlal Nehru said : "The objective of India's Independence is to wipe out every tear from every Indian eye". That may be beyond us. But as long as there are tears, our work will not be over. I find that this Bill is designed to achieve that long-eluding goal of Government of India and also of Pandit Jawaharlal Nehru.

Our friend on the other side, Shri Kharabela Swain, was talking like an economist and saying that this will not reduce the relative poverty and that the relative poverty is increasing. If he had read a little amount of Economics, he would have known that this Bill is intended to a targeted group who are actually unemployed and who do not have any income and hence the purchasing power[krr61].

Therefore, among the two unequals, this Bill tries to address those people who do not get employment. So, this is going to address the people who will get some income and therefore, the gap between the absolute poverty and the relative poverty will be reduced by the introduction of this Bill. Perhaps, if there is a nation-wide application of the Bill, that may contribute to widening of the gap, but this Bill for rural areas will bridge the gap between the relative poverty and the absolute poverty.

He was also mentioning about *The Times of India* according to which the fiscal experts in the Finance Ministry are alarmed about the cost. The cost of implementing this programme for this year would be only Rs. 13,000 crore which can be easily funded by the Finance Ministry without increasing the fiscal deficit or the revenue deficit of the Government, but with regard to the benefit of the scheme to the people. I should mention that 150 million rural households in this country will have bread-winners, after the passage of this Bill.

We will have to look at this Bill from the background in which this Bill has been piloted. When I read this Bill, I was reminded of the statement of one of the greatest economists of the 20th Century, Lord John Maynard Keynes who had said:

> "The outstanding faults of the economic society in which we live are its failure to provide for full employment and its arbitrary and inequitable distribution of wealth and income … "

What he had said in 1936 holds good for India even today.

The two major problems that we are facing today are unemployment and poverty. Unemployment and poverty are the two sides of the same coin. If a person does not get any job, he does not have any income and if he does not have income, he does not have consumption. Therefore, either from the consumption point of view or from the income point of view, you cannot eradicate poverty unless people get income as well as employment. This Bill precisely provides for it. It may be true that the past experiences have failed, but the past experiences' failures need not be a lesson for the failure of the future also.

There are a number of innovative features in this Bill which would try to ensure greater employment opportunities to the people in this country. He said that the relative poverty is increasing. Yes, the relative poverty has been increasing, but it has been increasing because his NDA Government was pursuing relentlessly the economic reforms without a human face. Economic reforms that had been initiated during the last six years have created a path of jobless growth, a path of human-faceless growth, what we call a nihilistic development. When we allow these economic reforms to take the country forward, it will not automatically generate employment opportunities. That is why, Madam Sonia Gandhi while participating in the discussion on the Bill said that 'I believe that we cannot just sit idle and hope that economic reforms alone will create adequate employment opportunities in rural India'. This is true.

When you look at the evidences that are coming out of the economic reforms, we have seen a marginalisation process where the big industries are swallowing the medium industries, medium industries are swallowing the small-scale industries and small-scale industries are taking away cottage industries. As a result, we have produced only unemployment in the country, even among the unskilled labourers. Therefore, if these unskilled labourers are to be taken care of, who are in greater majority, we have to make specific provision for the employment opportunities and this Bill, for the first time, recognises this faulty planning process in this country and tries to give a boost to the bottom up approach to development. Therefore, it will provide a lot of employment opportunities.

Many of the deficiencies he has mentioned, like it will lead to corruption, it will not bring about qualitative work etc., are all taken care of by the Bill. If you look into the various components of the Bill, you will be able to understand that there is a greater amount of monitoring of the scheme at every level. There is a transparency and there is accountability. There is vigilance on the part of the people who are involved in this scheme. Therefore, all the past mistakes associated with the Maharashtra Bill or the Rural Landless Employment Guarantee Bill or the Employment Assurance Scheme, which we have implemented in the past, will not be committed or will not be repeated in this scheme because there are built-in mechanisms where there will be greater vigilance in evolution of the scheme, at every level. Therefore, given theses superior salient features of the Bill, I hope that this Bill will be able to tackle the basic issues of unemployment and poverty in the country. One of the important salient features of the Bill is that this is a need-based programme. Perhaps there are only very few programmes in the country which are need-based[reporter62].

What is a need-based programme? It would provide employment to those who are in need of it. This Bill does not say that all of you come and get the job. Those who want the job are registered, and they can apply to get a job. This would also be need-based because it would help to create the assets needed by the society, as the labour power is not going to be wasted. The labour power of this country is going to be used for conversion of manpower into real assets. Therefore, all the assets or infrastructure that are required by the society would be created with the help of employment, to be given through this programme. On the one hand we would be creating assets needed by the society, and on the other, we would be using the labour power required for the society.

Therefore, the entire programme is a need-based one. At the time of its implementation, namely, when the people get employment and income, and purchasing power, consumption and the demand for goods and services would increase. As a result of this, the industrial production and agricultural production would increase, and it would result in higher growth rate in the economy to rise. We are already reaching a stage of seven per cent growth rate in the economy, and the provision of employment opportunities would increase the growth rate.

If this growth rate is sustained, then we would be able to follow the path of social justice, and growth in the economy. This is the same point that our Hon. Prime Minister made during his Independence Day address. He aptly said that if we sustain this pace between seven and eight per cent growth, then in the next five years to 10 years we would be able to wipe out poverty in the country.

MR. CHAIRMAN: Mr. Ramadass, please conclude your speech.

PROF. M. RAMADASS : This would no longer be a dream, but it would become a possibility now. Eradication of poverty has been a dream so far, but it is going to be a possibility now. I am saying this because by providing employment opportunities we are actually going to accelerate the growth or development or the tempo of development, which would wipe out poverty. It has now become a possibility, and it has become a possibility because of the introduction of this Bill. Therefore, this Bill has got a long term objective, and we will have to appreciate the Government for bringing this Bill.

One Hon. Member asked a question : Have the State Governments been consulted on this Bill? Have the State Governments agreed to implement this Bill? The answer is yes. There is greater co-operation and greater co-ordination between the Centre and the States as far as this Bill is concerned. I am also aware of the fact that the Hon. Rural Development Minister has sent the draft Bill to all the States twice on this issue. Their comments on this Bill were received, and those comments have been incorporated in this Bill. This Bill has come before us in this form today after going to the Standing Committee also.

All the State Governments have agreed to share 10 per cent of the total funds, and 90 per cent of the funds would be borne by the Central Government. The Central Government has also agreed that it will make advance payment of the quarterly money every time, so that the State Governments would not feel reluctant to spend the money. Therefore, by involving the States and involving the *Panchayati Raj*, the Government is now bringing a real, true devolution of powers from top to the bottom. It is in real terms grass-root democracy taking a greater and vibrant shape in this country, and this Bill provides for it.

MR. CHAIRMAN: Mr. Ramadass, please conclude your speech.

PROF. M. RAMADASS : Sir, having said this, I would also like to draw the attention of the hon. Rural Development Minister to one or two lapses in the Bill, which I hope the Chairman would be able to identify. I am a professor of economics. Therefore, I should be given grace of speaking on some of the technical points of this Bill. Sir, I am sure that you would be able to give me some more time for it.

I would now like to talk about some of the inconsistencies in the Bill. I would like to satisfy the other camp also by pointing out the deficiencies in this Bill. One of the important points is this. In the first paragraph of the Bill it is said that :

"…wage employment in every financial year to every household… "

But in the very next page, namely, in Chapter II it is stated :

"…provide to every poor household …"

What does it mean? In the earlier page, the word 'poor household' is removed. I find this inconsistency here, and I want to make a comment about it. Have you made BPL census survey to decide about poor household? Are they available at the level of the States? I know that the Supreme Court has intervened in this matter, and your Department has already written to various State Governments asking them not to finalise the census reports on poverty line. How did you draw the poverty line? Have you taken income as the basis for it or consumption as the basis for it or the various indicators on poverty[ak63]?

Now, if that has been taken into account it is right. When the BPL Census is not available, how are you going to implement the Scheme immediately by drawing the people from below the poverty-level households? That is one thing.

Secondly, the Bill mentions that an adult means, "a person who is 18 years of age". I would feel that instead of merely saying 'an adult', you must say, 'an unemployed adult'. Supposing a boy of 18 years of age going to college may enter into a kind of collusion with the programme officer and say, "Sir, I will go to the college in the evening, but give me a job in the morning. If you do not provide a job, you give me half of the unemployment allowance." Will it not lead to a situation where people who are not willing to work also get enrolled in this? Therefore, we should clearly say that if there is a college going boy, he will be treated as an employed boy and not an unemployed boy. We have to clearly say that.

I have two more points to make. Coming to the payment of unemployment allowance, the Bill says that if a person is not to get a job within 15 days, then for the first 30 days, you are going to give him only one-fourth of the minimum wage; and for the remaining 70 days, you are going to give him half of it. Why is this distinction? When the Government is not able to find a job for a person within 15 days of his enrolment, he is going to remain unemployed, whether it is for 30 days or 100 days. You should give him Rs. 30 because you are going to give only Rs. 60, if he works. Why do you distinguish between 30 days and 70 days? You must make it that half of the wages will be given as unemployment allowance, and you must provide jobs for all those who are registering.

When you look at the monitoring mechanism, there is definitely a fault in the composition of the Central Council. The functions of the Central Council with regard to implementation of the scheme will be more of technical in nature. They will have to evolve, formulate and implement the schemes and monitor them. All these aspects are technical tasks. Have you provided for any technical expert in the composition of this Council?

Who are going to be consultants for this project? The Bill says that there will be a chairperson. It is not mentioned whether he will be an Economist or not. Nowhere, the Bill has mentioned or provided for an expert. I would urge upon the Government to specifically mention that some economist or statistician or sociologist will be involved in the Central Council.

When we come to section 10, Sl. No. 30, the Bill says that, "Provided also that not less than one-third of the non-official members shall be belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and minorities." They are going to be there in the Council as Members. Why do you not include 'Other Backward Classes"? Therefore, I would suggest that OBCs should be included in both the State Councils and in the Central Council.

There is no scope for management information system in the Bill. Throughout the country, there should be a uniform proforma; there should be a uniform computer software, and all kinds of instructions must be uniform. Therefore, you must create a management information system for the effective implementation of this Scheme.

The District Planning Coordinator is going to play an important role. You say that the Collector may be the Coordinator. A Collector cannot be the Coordinator or the Chairperson for everything. Just look at the workload he has. He will not be able to do the work under this Bill and they

do not have the technical background also. Therefore, I urge, this is a very important point that you should note, that a large number of officers belonging to the Indian Economic Service and the Indian Statistical Service, who are located in Delhi, should be sent to all the districts to look after this programme, including DRDA programmes, and the econimic administration should be left in their hands only.

Then, the Bill mentions about a labour budget. I feel that the labour budget takes into account only the demand for labour and not the supply of labour. Supply is not mentioned. I feel that before you commence the scheme, you should try to prepare an output budget. That is what the thinking of the Government of India today is[R64].

What is that output budget? Before you take up a scheme, you should state as to how many days of employment is going to be created, how many people are going to be employed, what are the assets that you are going to create, etc. If you prepare that kind of an output budget, it will be possible for you to monitor the scheme and bring the benefits of the scheme to the people.

18.20 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan *in the Chair*)

I would agree that all works mentioned in Schedule-I are important. In addition to them several other works in the rural areas should also be included. You must take up community sanitary latrines. The Hon'ble Minister has already written a letter to all the MLAs in the country stating that the condition of sanitary work is awfully bad in the rural areas and that it should be taken up. But the Bill does not include that. So, we must be able to take up the work of community latrines, houses for SCs and STs, community centres, etc. In fact, all the works that have been mentioned in the MPLAD Scheme should also be entrusted to those people who are coming under the purview of this Bill. School buildings should also be taken up. Solid waste management works should also be taken up.

More important than all this is the maintenance. The buildings that have been built, the assets that have been created, the schools that have been constructed, the hospitals that have been created are not properly taken care of. Therefore, they are dying without maintenance.

MR. CHAIRMAN : Prof. Ramadass, please conclude now. Your time is over.

PROF. M. RAMADASS : You should create proper supervisory staff.

MR. CHAIRMAN: Please address the chair. Why do you address the Minister?

PROF. M. RAMADASS : Through you, Mr. Chairman, Sir, I would like to mention only two points to the hon. Minister.

The National Rural Employment Guarantee Bill involves mammoth work, gigantic work. It cannot succeed unless proper, motivated, dedicated, supervisory staff is provided. Unfortunately, this Bill does not provide for it except to make a peripheral mention that some administrative staff would be given to the District Officer.

This is a landmark Bill. Everybody should accept it. Let us make a beginning. Let us address this issue in a very serious way at the all India level. As the Opposition parties have said, we will have to take into account the urban unemployment also and an all India Bill should come in future.

Finally, there is no benefit provided for my Union Territory Pondicherry in this Bill. It has been completely left out. District Karaikal of Pondicherry is as backward as any of the most backward Districts in the country. I would urge upon the Hon. Minister to include District Karaikkal as the 201st District in the country under this Bill.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members are hereby informed that not more than five minutes will be allowed hereafter.

श्री टेक लाल महतो सभापति महोदय, सचमुच सौ दिन की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है जो स्वागत योग्य कदम है। यूं तो झारखंड राज्य में मात्र दो महीने काम होता है जिसे भदई फसल कहते हैं। उसमें मजदूरों को काम मिलता है। दूसरा, कटनी के समय मात्र दो महीने काम मिलता है। 10 महीने वहां के गरीब मजदूर बैठे रहते हैं। इस विधेयक के तहत सौ दिन यानी करीब तीन महीने दस दिन रोजगार गारंटी की योजना है। वहां जो भी योजनाएं ली जाती हैं, वे लागू नहीं होती हैं। तालाब खोदने के लिए योजना ली जाती है और उसके लिए राशि भी मिलती है लेकिन वह मई महीने के आखिर में या जून के फर्स्ट वीक में मिलती है। नतीजन वहां मजदूर काम नहीं कर पाते cé[R65]*

जिस गरीब की हम यहां चर्चा कर रहे हैं, उन मजदूरों के घर में पैसा नहीं जा पाता है वह पैसा बड़े-बड़े पूंजीपतियों के यहां चला जाता है। वह काम जिन मशीनों से होता है, वे मशीनें भी बड़े-बड़े पूंजीपतियों के यहां होती है। तालाब की खुदाई मात्र एक हफ्ते होती है। मस्टर रोल की बात कही जा रही थी, मस्टर रोल भी नहीं बन पाता है क्योंकि मजदूर काम नहीं करता, काम मशीन से होता है।

सभापति महोदय, जरूरत इस बात की है कि समय से पैसा जाना चाहिए और उसकी निगरानी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों की तो वहां भारी उपेक्षा होती है, डीसी और डीडीसी जो चाहते हैं मनमाने ढंग से करते हैं। अगर सड़क का काम है, उसमें मिट्टी डालनी है तो मजदूरों से काम नहीं लिया जाता, वहां मशीन लगा दी जाती है। जिस मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, उस मजदूरी से मजदूर वंचित रह जाता है। कुंआ बनाना है अगर जनवरी में राशि मिले तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक खुदाई संभव होती है और फिर जून में उसका निर्माण होता है। लेकिन होता क्या है? उसे राशि जून माह में दी जाती है, एक, दो या तीन जून को पैसा मिलता है और दस जून को कमिश्नर के यहां चिट्ठी चली जाती है कि कुएं की कटाई बंद करो। नतीजा क्या होता है वहां काम लटक जाता है। तालाब की खुदाई के लिए उसे 25 या 26 तारीख को पैसा मिलता है फिर डीसी के यहां चिट्ठी चली जाती है कि 10 जून को कटाई बंद की जाए। होता क्या है? 10 जून से बारिश होती है और फिर उसमें हल्का फुल्का पानी चला जाता है और बोगस बिल बनाकर सारी राशि की निकासी कर दी जाती है। यह एक बहुत बड़ा घपला हो रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस घपले को रोकने के लिए जो भी परियोजनाएं स्वीकृत हों और हम लोग जो भी योजनाएं पास करें उसके लिए राशि समय पर उपलब्ध कराई जाए। अगर हमें रास्ता बनाना है और मिट्टी से रोड बनाना है तो उसके लिए पैसा जनवरी, फरवरी, मार्च में चाहिए लेकिन राशि जून में दी जाती है। कुआं खोदने के लिए जनवरी, फरवरी में पैसा चाहिए और पैसा जून में मिलता है। टैंक बनाना हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च में जो पैसा मिलना चाहिए, वह पैसा जून में मिलता है। आपका पैसा सचमुच बड़े पूंजीपतियों, जिनके पास मशीनें हैं, उनके पास चला जाता है। इसका मतलब है कि जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, उनके हाथ में चला जाता है, गरीब फिर बेकार रह जाता है। इसलिए हमारे यहां के मजूदर बड़ी मात्रा में पलायन कर रहे हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि अपने यहां उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। जहां स्कूल बिल्डिंग बनानी है, वहां उन मजदूरों को ठेकेदार नहीं लेता, गावं के जो बड़े लोग हैं, सामन्त लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वे डीसी और डीडीसी से मिल कर योजना को ले जाते हैं और कई कामों को विभागीय करार दिया जाता है। पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, ओवरसियर इनमें से जिस ओवरसियर को काम दिया जाता है वही बिल का काम करता है। वही बिलिंग कर रहा है, वही मिट्टी कटाई कर रहा है, क्या वहां काम हो सकता है? जिस ओवरसियर के नाम पर एग्रीमेंट है वही बिल बना रहा है, वहां कैसे काम हो सकता है आप पता कर सकते हैं।

श्री रविन्दर नाइक धारावत सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा

सफर न होते हुए किसी सफर में रहा।

होंगे वे लोग जिन्हें होगी खबर सितारों की

लेकिन मेरा यह देश तो रोटी की फिक्र में रcÉ[p66]*

सभापति महोदय, मैं टी.आर.एस पार्टी की ओर से Rural Employment Guarantee बिल के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ पाइंट्स पर अपनी बात रखूंगा।

सभापति जी, आज तक इस देश में जो योजनायें लागू हो रही हैं, उनमें कई योजनाएं फेल्योर हुई हैं। उदाहरण के तौर पर 'भागीदारी, जवाबदारी और ईमानदारी' - ये तीनों बातें हमारी व्यवस्था में नहीं हैं। इस कारण सारे देश में अशान्ति फैल रही है और गरीब महिलायें माइग्रेट होकर वेश्यावृत्ति करने के लिये मजबूर हैं। आज वे AIDS की बीमारी से जूझ रही हैं। हमारे आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना एरिया में 10-12 सालों से गरीबी के कारण बच्चों को बेचा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। वहां की सरकार ने पिछले 10-12 साल से ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे गरीबों के लिये रोजगार उपलब्ध हो सके। मैं केन्द्र सरकार का अभिनन्दन करता हूं कि वह ऐसा बिल लेकर आई है। गरीबों तक उन योजनाओं का लाभ अब पहुंचना चाहिये।

सभापति महोदय, हमारे राज्य (आंध्र प्रदेश) में कई ऐसी स्कीम्स हैं जो सही ढंग से इंपलीमेंट नहीं हुई हैं। उनमें ITDA, MADA, PTG, FFW, DTG, NSTFDC, TRICOR, GCC, TRIFED, IFAD, DRDA, SCA और Article 275(1) के तहत स्कीम्स हैं। सरकार 57 साल से बजट में व्यवस्था कर रही है लेकिन वह पैसा कहां जा रहा है, किस के हाथों में जा रहा है, इस पर निगरानी करनी चाहिये। हमारे संविधान के पांचवें और छठे Schedule में गवर्नर को पॉवर्स दी गई हैं कि जहां राज्य सरकार अनदेखी करती है, वहां गवर्नर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। .यह भी कहा गया है कि हर साल गवर्नर को रिपोर्ट राट्रपति जी को भेजनी चाहिये लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे राज्य में आज गरीब बीमारी से मर रहे हैं। जब विरोधी दल आंकड़े देते हैं तो सरकार कुछ कहती है। यह मरने वालों की संख्या क्रिकेट मैच की कमेंटरी की तरह प्रतिपक्ष और पक्ष स्कोर कर रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे राज्य में बच्चे बेचे जा रहे हैं और बच्चों को मार रहे हैं। मुझे यह कहते हुये शर्म सी लगती है कि न जाने इस देश का क्या होगा? हमारे राज्य में बंजारा समुदाय है और दलित समुदाय भी है। पिछले 57 सालों से करोड़ों-अरबों रुपया खर्च किया गया है। पिछले 12 साल से वर्ल्ड बैंक से लोन आ रहा है। हमारे यहां कैनाल खोद दी गई है लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। केवल कांट्रेक्टरों को और दलालों के लिये करोड़ों रुपये कमीशन चला जाता है। वहां पर्यावरण की परमिशन नहीं है, Technical परमिशन नहीं है लेकिन बजट सैंक्शन हो जाता है। हालांकि अरबों रुपया खर्च हो रहा है, फिर भी गरीब लोग मर रहे हैं। क्या लोगों को भीख दे रहे हैं? सरकार इस रोजगार बिल से क्या गांरटी देगी? सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, उसने आज तक सही तरीके से गरीबों के लिये कुछ नहीं किया है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि उसे इन हालात से निपटना चाहिये।

सभापति महोदय, यदि आप बार-बार घंटी बजायेंगे तो मैं एकदम कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। सरकार गरीबों के लिए यह सब कुछ कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि एक लाख बंजारा तांडा देश में हैं। इन संचार और विमुक्ति जाति के लिए सरकार क्या कर रही है। ये लोग न ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं और न इन्हें कोई रिकॉग्नीशन दिया हुआ है। इन लोगों के लिए मैं तीन-चार बार इस हाउस में पहले भी निवेदन कर चुका हूं। इनकी आबादी करीब छः से दस करोड़ है, लेकिन इन तक न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं पहुंची हैं। मैं इनके लिए रूरल डवलपमैन्ट मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जीं यहां नहीं हैं, लेकिन हमारे तेलंगाना के टाइगर श्री ए. नरेन्द्र, राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि उनके संसदीय क्षेत्र में भी बहुत सारे बंजारे तांडे हैं। इस तरह से पूरे देश में एक लाख तांडे हैं, इनके लिए आप कोई प्रावधान कीजिए। यदि सरकार इन लोगों के लिए ईमानदारी से, जवाबदारी से तथा पूर्ण भागीदारी से कुछ नहीं करेगी तो हम कुछ नहीं कर पायेंगे।

सभापति महोदय, मैं बहुत कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन आपकी घंटी फिर से बजने वाली है। इसलिए मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को इन लोगों की तरफ तुरंत ध्यान देना चाहिए तथा आदिवासी एरियाज और शेड्यूल एरियाज में पूरे साल इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। डा.मनमोहन सिंह

जी बहुत नेक प्रधान मंत्री हैं। उन्हें सोनिया जी का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त है। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि आजादी के 57 साल के बाद कुछ सुविधा सरकार की ओर से इन बंजारा तांडों को अवश्य मिलनी चाहिए। मैं निम्नलिखित पंक्तियां

बोलकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं -

"हो गई पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए,

अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए,

हर गांव, हर गली, हर सड़क, लहराते हुए हाथ हर लाश चलनी चाहिए,

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,

मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए,

मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही,

हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।"

SHRI ARJUN SETHI Thank you Mr. Chairman for giving me this opportunity to participate in the discussion on this Bill which is under discussion since Friday.

Sir, much euphoria has been generated, both inside this House and outside, that with the introduction of this Bill it is hoped that this will be a panacea for all the ills that are prevailing in rural India. But, I must say, this won't solve the problems but, on the other hand, will create problems.

Sir, since I have very less time available at my disposal, I straightway would ask a few clarifications. First of all, I would like to know this. In my constituency, there is a Scheduled Area named Nilgiri. Under the Fifth Schedule of the Constitution, this area has been declared as a Scheduled Area but the District in which it is included is a forward area. That District has not been identified as a backward District and has not even been included in the National Food for Work Programme. So, what will be the fate of this particular Scheduled Area, that is, Nilgiri in my constituency in the State of Orissa? If that District is not selected for undertaking this kind of national rural employment guarantee programme, then this particular Scheduled Area, that is, Nilgiri, which is a part of Balasore District, may be debarred from getting all the facilities under this particular scheme. If it is debarred, certainly a Constitutional impropriety will be committed. So, I would like to know from this hon. Minister – unfortunately he is not here but his deputy is here - and have clarification on this point.

Sir, another thing is this. The 200 Districts have not yet been identified. It is declared in this particular Bill that this employment guarantee programme will be spread over in 200 Districts of the country[pkp67].

What will be the criteria for selection of these districts? The BPL norm has already been done away with in this Bill and what will be the criteria in that case?

As I have stated earlier, the contiguous districts are Keonjhar and Mayurbhanj in Orissa. These two districts have been included in the National Food for Work Programme. I wish that these two districts might be included in the National Rural Employment Guarantee Programme also. If they are included, how the district of Balasore will not be included in this particular Programme?

Another thing is this. As has been mentioned, the Bill has intended that whenever there are 50 or more labourers or workers, this particular programme will be implemented. Why is there rigidity about this number 50? Why should that not be relaxed, as has been mentioned by many speakers from this side and from that side of the House? Why is this number 50 very much sacrosanct with the Government? This should be relaxed and it should not be definite. It could be less than 50 also. Whenever there will be a commitment for work by the labourers or by the people living in a particular area, this Programme should be implemented.

It has also been stated that the wage will be as per the Minimum Wages Act. It differs from State to State. There may be a situation where in a particular district, this particular Programme may be implemented and it may not be implemented in the contiguous districts. This particular Programme may be implemented in a particular district and in the contiguous districts, this Programme may not be implemented, but still SGRY, Rural Landless Employment Programme and such other Programmes may be still in force or may be still implemented or carried out. Then, you may just imagine the fate of these programmes in the contiguous districts. In the district, where the Rural Employment Guarantee Programme is implemented, the rate of wage will be Rs.60 per day and in the next contiguous districts, the rate may be Rs.50. If that were the case, what will be the fate of the Programmes? Wherever there is a higher wage available for the workers, certainly they would like to go to those areas. Then, certainly the other Programmes which are being implemented still in different parts of the country will be the casualty. These are the ambiguities which are very much prevalent in this particular Bill. These ambiguities should be removed; otherwise there will certainly be a lot of confusion. Instead of extending a helping hand to the poor and to the deserving people, there will be confusion and the other Programmes which are still being implemented, will certainly be a casualty[R68].

I would not like to repeat all that has been said earlier but would like to ask as to how much amount will be made available to each district. Sir, the Minister has not yet specified the amount to be made available to each district.… (*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : That provision is never made in the Act.

SHRI ARJUN SETHI : At the State or the District level you have the monitoring Committees but it has not been specified as to within what time they are supposed to give their action plans to the district. These are some of the questions which arise in our mind. I admit that this is a very good measure. There is no doubt about it but at the same time these queries must be replied to so that this programme is really helpful to the people.

I once again would like to draw the attention of the hon. Minister – as I have stated earlier also – to the fact that one part of the Balasore district in Orissa State has been declared as Scheduled area and the other part as forward area. How will this particular Scheduled area get support under this programme? You may please clarify this. With these words I thank you.

DR. CHINTA MOHAN I thank Dr. Raghuvansh Prasad Singh for piloting this Bill. While piloting the Bill, he spoke at length and everybody appreciated him. This Bill, which he has introduced, is a very historic Bill and politically it is a very important Bill. I would like to touch only the political part of this Bill. I do not want to go into the technicalities of this Bill.

The UPA Government is a very historic Government. After 57 years of Independence, two ideologically different Parties - the Left Parties and the Congress Party – who were trying to have the supremacy came together to form the Government with the help of other friends. That is why this Government has become a very historic Government. The UPA Government brought a Common Minimum Programme. The theme of this CMP is to give health, education and livelihood to the people. At that time, while forming the Government this entire Common Minimum Programme was prepared by some Professors in the Jawahar Lal Nehru University in a hurry.

Before speaking about the Bill, I would like to quote a Resolution passed by the Communist Party (M) in February 2002 in Hyderabad. This Government formed today just because of the February 2002 Resolution of the CPM passed in their plenary Congress at Hyderabad. It was a very important Resolution in the Indian political history and I quote:

"CPM will support Congress to defeat BJP. "

This is a very important decision. This Resolution was passed in February 2002 in the CPM Congress held at Hyderabad and because of this Resolution today the UPA Government is formed. We all are aware that the Congress and the Left Parties had ideological differences[R69].

Though they fought with each other for more than five decades to have a political supremacy yet for a cause – to have a secular Government at the Centre – this Government was formed. I congratulate the leaders who brought that resolution in February 2002. I bow my head before that resolution and the comrades who passed that resolution. It is because of that resolution we could form the Government and our hon. Minister who is sitting here could pilot this Bill. I also congratulate Shrimati Sonia Gandhi, the Chairperson of UPA who is my Leader. While speaking the other day on this Bill, she said that it is a very historic Bill. Really, it is a historic Bill and politically also it is a very important Bill.

I wanted to tell how this UPA Government was formed. For the benefit of this House, I would like to say that in April 1999, Shri Atal Bihari Vajpayee got up as the Prime Minister and sat as Ex Prime Minister, after defeat in the House. It was a very important moment. The secular parties tried to form the Government but they failed to form the Government. After that, it took 46 months from April 1999 to February 2002 to

bring this resolution. After bringing that resolution, the formation of Third Front had gone haywire. This Government was formed because of that resolution. Every now and then some turbulence is coming for the UPA Government. But I do not want this holy alliance to be disturbed forever. Pandit Jawaharlal Nehru tried to bring this alliance. As long as Sardar Patel was the Home Minister, there was a ban on the communists. After his death, the ban was lifted by Pandit Nehru. He was always having a sympathy for the communists. Indira Gandhi also tried to have an alliance. She was partially successful in 1971. She was able to have an alliance with the CPI. Rajiv Gandhi also tried to have an alliance. It was too late. In 1990, after going out of the 7 Race Course Road, he invited two important Left Leaders to 10 Janpath. He was sitting on the dinning table and Shrimati Sonia Gandhi was also sitting there. At that time, he said a very important thing to the Left Leaders. He said that he was misled by the people when he was in the Government. He wanted to have an alliance with the Left and that he wanted to have an understanding with them. He was not able to do it, but only Sonia Gandhi Ji is able to do it.

For the benefit of the House, I would like to say what happened in 1930. When Pandit Nehru was the Congress President in 1930, he went to Jalandhar. A very big meeting was organised there on a four acre plot. The maize crop was cut for this meeting. The District Congress Committee leaders organised this meeting. While he was addressing the meeting, there was a big clash between the workers. Pandit Nehru stopped his speech and asked the local leaders as to why they are fighting with each other. The local Congress leaders said that the communists have come to their meeting with the red flags. Acharya Kriplani had sent a circular saying not to allow red flags to come to the Congress meeting. That is why, our Congress workers are fighting with the Communist workers. Immediately, he asked what if the Communists come with the red flags come to our meeting. He said that the communists will bring poor people with the red flags. He also said that we must always encourage them and that we must allow them to come to our meetings. He also said that he did not want the Congress to become a party of Tatas and Birlas. He wanted the Congress Party to become a party of the poor people. That is what he said in his speech. I wanted to say this today because the Congress Party and the Left have come together to form this alliance. Every now and then some problem is coming up. I do not want this alliance to be disturbed. Many people may think that this Government has been just formed. It is not just formed. After 1999 when Shri Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister, a lot of hard work was put in and a lot of persuasion took place. It took 46 months to come out with a resolution in Hyderabad. Therefore, this Government should not be disturbed[r70].

Sir, I would here like to mention about the attitude of certain people towards the poor people and the communists. I would like to quote an instance when Dr. Rajendra Prasad was the Congress President in 1939. Once Dr. Rajendra Prasad accompanied by Pandit Jawaharlal Nehru went to a village near Punjab inhabited by people belonging to Scheduled Castes. The people there offered a glass of warm milk to each of them. Pandit Jawaharlal Nehru drank that milk immediately. I have great respect for Dr. Rajendra Prasad but on that occasion he said that he was on fast on that day and therefore, he would not drink the milk. The very next day again both of them visited another village and went to a *basti* inhabited by people belonging to Scheduled Castes. There also, the people of the locality offered a glass of milk to both of them. They were poor people and in those days of 1939, they offered them milk. When milk was offered, Pandit Nehru drank that glass of milk immediately, but Dr. Rajendra Prasad said that he could not take the milk since he was having a stomach-ache. After having come back to the guest house, they were served beautiful lunch and Dr. Rajendra Prasad took lunch in the guest house. Someone informed Pandit Nehru that Dr. Rajendra Prasad, who did not drink the milk in the *basti* on reasons of stomach-ache, was then taking lunch in the guest house… (*Interruptions*) Pandit Nehru laughed and said: `I understand Rajen Babu's problem.' I only wanted to say about the attitude of some of the leaders with regard to poor people and the ones who believed and followed communism. So, these people would have to be kept in mind. The holy alliance of the Left and the Congress should not be allowed to be disturbed at all. By all means, this alliance should be saved. I would say, this is a holy alliance… (*Interruptions*)

Sir, I also wanted to say something about the late Rajiv Gandhi… (*Interruptions*) Actually I was coming to the issue of disinvestment. There has been a lot of hue and cry about 10 per cent disinvestment of shares of BHEL. Sometimes, both inside the House and outside, I request the comrades to be a little more liberal in their approach and give the Government a little bit of more freedom to function. I can understand their problem.

Sir, coming to the provisions of the present Bill I would like to request the hon. Minister who piloted the Bill to consider increasing the number of days of employment from the proposed 100 days now to 150 days. Also, the Government should consider widening the scope of this Bill from the proposed 200 districts to 300 districts and raising the amount to be paid for employment from the proposed Rs. 60 to Rs. 70… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : If you continue like this, then your speech will not be recorded any more.

DR. CHINTA MOHAN : One may ask me as to wherefrom the money would come. I am not an economist to suggest the ways. But I would like to say that the previous Government made an allocation of Rs. 2,00,000 crore for the Golden Quadrilateral project. The Government is also collecting cess on petrol and diesel. Diesel, after all, is a poor man's oil. The Government is collecting a cess of 50 paise on diesel. I would suggest that Government should utilise this cess earned from diesel to fund this project. It would help in spreading the benefits of this project from the proposed 200 districts to 300 districts and also would help in raising the amount to be paid for employment from Rs. 60 to Rs. 70. I would request the Government to put in efforts to see that the reach of this scheme increases and it is passed.

With these words, I conclude.

DR. C. KRISHNAN Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill. I am speaking on behalf of Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam headed by my eminent and active Tamil's Leader, Thiru Vaiko of Tamil Nadu. I rise to support and welcome the National Rural Employment Guarantee Bill. This Bill aims at providing 100 days of employment in order to assure at least an assured livelihood for the poor people for 100 days in a year[snb71].

19.00 hrs.

Hundred days in a year may not be sufficient for the rural people. I do not know what sort of work or what nature of work will be given to them. In the rural areas, people know farming, pottery, minor electrical works, and shop keeping. What sort of work will be selected for each family in a district to give them 100 days of work remains to be settled. The wage that has been fixed is Rs. 60. Even though it is a small amount, some thing is better than nothing. Let them earn it. Those who have not been given employment in a family are to be given about fifty per cent of the wages as subsidy and with that they have to be in the house.

This scheme will be of much use if small scale industries are involved in it, in the form of cottage industries in the villages. Promotion of cottage industries will be of much help because they will be earning throughout the year, not just 100 days. They should be given some sort of employment so that they earn throughout the year. The persons selected from the family should know the nature of job with which they will be entrusted. Some sort of training is very much needed so that people earn not only for 100 days but also for another 265 days and further more in the coming years also.

By introducing this National Rural Employment Guarantee Bill, the United Progressive Government, the UPA Government, has crossed one more milestone. I should congratulate Dr. Raghuvansh Prasad Singh for formulating the Bill and to be the Minister when the Bill is introduced.

I want the Government to take note of certain points. First, 200 districts are to be selected from the country and remaining districts are to be selected in a phased manner. That should be completed during the tenure of 14th Lok Sabha itself, not beyond that so that the programme is completed in a fast manner; people get more opportunities to work for at least 100 days in a year, and each family is guaranteed a small income.

It is said that ten per cent of the amount to be given to the employees is to be borne by the State Governments. But eventually the State Governments are going to ask the Central Government to fund for this ten per cent also. Why not the Central Government think in terms of bearing the full 100 per cent of the wages? The compensation for the non-employed persons shall be Rs. 50. It should reach the poor persons in all cases. That has to be guaranteed.

Then, similar job guarantee should be given for the agricultural workers and the agricultural coolies. With that the income of the rural people will be enhanced and they will get a small benefit at least. Involving small scale industries or cottage industries will be the best and the ideal way to give rural employment. Otherwise, it is going to be a waste. It is because they have to select a job which the person knows. The number of such jobs are minimum. We have to give training in small scale industry or cottage industry so that they earn throughout the year and it will be of use for the family as such.

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने भााण में बताया है कि commitment to solve two major problems, इस बिल में यह बात आई है, दो प्रााबल्मस - अनइम्प्लॉयमैंट एंड पावर्टी बताई गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनइम्प्लॉयमैंट अलग है और पावर्टी अलग है? यह दो हो ही नहीं सकते, क्योंकि पावर्टी अनइम्प्लॉयमैंट से ही आती है। इसलिए it is one and the same. मंत्री जी किसान हैं और गांव से आते हैं। अगर 1952 की 70 फीसदी गांव की जनता के बारे में सोचा जाए, तो पता लगेगा कि वहां 70 फीसदी किसान हैं। 1952 में 70 फीसदी किसानों का जीडीपी 69 प्रतिशत था, लेकिन आज वह 20 प्रतिशत तक आ गया है - क्यों? किसान या देहाती व्यक्ति का काम इम्प्लॉयमैंट जनरेशन के माध्यम से होता है। Sir, 57 per cent of the population of the village is totally dependent upon agriculture. यह सोचना चाहिए कि हम जो अनइम्प्लॉयमैंट और पावर्टी इरैडीकेशन कर रहे हैं, उसके लिए पहले सोच होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद विकास का केन्द्र बिन्दु देहात का व्यक्ति और किसान होना चाहिए, तब समृद्धि आएगी और पावर्टी नहीं रहेगी। लेकिन क्या वह सोच सार्थक हुई? हमारी सोच अलग हुई। देहात के व्यक्ति पर कन्सैंट्रेशन देने की बजाए बड़ी-बड़ी सोच हुई, जिससे माहौल चेंज हो गया, अर्थशास्त्र चेंज हो गया। इसलिए आप देखें कि कई सालों से पावर्टी कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। Take, for example, the PDS working in Maharashtra. महाराट्र में रोजगार योजनाओं के माध्यम से जो काम चल रहा है, अगर आप तीस साल पहले की पावर्टी देखेंगे तो पता लगेगा कि उससे कई गुना ज्यादा पावर्टी बढ़ गई है। इसका मतलब बिल के माध्यम से जो काम होना है, वह जरूर अच्छी तरह होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है।

आदरणीय सोनिया जी ने कहा कि "We are trying to bring fundamental changes in villages" - क्या 58 साल के बाद ऐसा विचार आया, पहले क्या किया? What have they done in 51 years? They have not thought of any village. अभी फंडामेंटल चेंजेस इन विलेजेस क्या करना चाहते हैं। Is it related with the development of village people? Or, is it related with the eradication of the unemployment of the villagers? यह मुझे पता नहीं लगता। अगर बेसिक काम किया होता, तो मेरे ख्याल से ऐसी परिस्थिति नहीं होती, क्योंकि सब तरह से देहात का व्यक्ति, जो हमारा केन्द्र बिन्दु था, उसे नहीं माना गया।

मैं इस बिल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं अपने मित्र मंत्री महोदय को यह जरूर बताना चाहता हूं कि आप पंचायतों के माध्यम से उसकी इम्प्लीमैंटेशन कर रहे हैं, वह अच्छी बात है, क्योंकि अगर पंचायतों के माध्यम से करेंगे तो definitely, devolution of power अच्छा होगा। लेकिन आपके पास पंचायत विभाग नहीं है, पंचायत विभाग दूसरे मंत्री जी के पास cè[R72]*

इस स्कीम के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए जो पैसा मिलेगा, वह कहां जाएगा। इसका मतलब उसका ट्रांजैक्शन दूसरे विभागों में होगा, दूसरे मंत्री के पास जाएगा। कौन इसे लागू करने वाला है- यह कंट्राडिक्शन ऊभर कर सामने आता है। आपकी सोच और विचार अच्छे हैं, आप इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको इस इम्पलीमेंट करने में कितना यश मिलेगा, हमें इस पर संदेह है। दूसरी एक और परेशानी मुझे यह दिखायी देती है कि पंचायती राज में जो 29 सब्जेक्टस या फंक्शन्स पंचायतों को दिए जाने हैं, out of the 35 States and the Union Territories in the country, hardly 9 to 10 States have adopted 50 per cent of the subjects. मेरे ज्ञान के अनुसार केवल गोवा और कर्नाटक दो ही राज्यों ने पंचायतों को पूरे 29 सब्जैक्टस और पावर दिए हैं, लेकिन दूसरे राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। तमाम राज्य ऐसे हैं जिन्होंने दस सब्जैक्टस भी नहीं दिए हैं। ये पावर्स राज्यों से पंचायतों के पास कैसे आएंगे, यह भी एक कठिनाई है। आपको बिल में इसे स्पट करना चाहिए कि ये पावर्स कैसे दी जाएंगी? आप इसे पंचायतों के माध्यम से लागू कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने न्यूनतम मजदूरी 60 रूपये निर्धारित की है, लेकिन हर एक राज्य में न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग हैं, जैसे केरल में 134 रूपये, पश्चिम बंगाल में 80 रूपये। …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No question and answer is permitted now.

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : इसलिए आप इसका भी प्रावधान करें। इसके लिए मैंने रूरल डेव्लपमेंट कमेटी में यह सुझाव दिया था कि जिस राज्य में जो न्यूनतम मजदूरी है, वही रेट इसमें आप इम्पलीमेंट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि तभी इस रेट और उस रेट में डिफरेंस नहीं होगा, यह मेरा सुझाव है।

MR. CHAIRMAN: Already, there are 20 more speakers. When are we going to finish it?

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I have to correct myself. There are 40 speakers to speak. Even after midnight, we would not be able to finish the discussion.

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : आप यह 2 बिल लाए हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Sir, with your kind permission, I would like to inform the House that dinner will be served from 8.30 p.m. onwards for the hon. Members, members of the Press and the members of the Staff.

SHRI NIKHILANANDA SAR Mr. Chairman, Sir, I stand in support of the Bill. Though many hon. Members are hesitant to accept it as a historical one, yet I am sure they are ready to accept it as a radical piece of legislation. At least it must be admitted as per their versions.

In this Bill, there is no provision of any permanent employment for the poor rural people nor is it for the whole country as the towns and municipalities are outside the purview of this Bill. We should first realise that it is the beginning of a new era. That much should be realised[R73].

What is the condition of the villages? Two out of three Indians live in villages. The condition of most of the villages is beyond description. Poverty and unemployment are rampant. There is a food scarcity. There is no education, no civic amenities, lack of irrigation is there, rural indebtedness is on the increase. That is the real picture of the Indian villages. On the other hand, the poor people of the villages do not get even two square meals a day. In many parts of the country, people take leaves and roots due to hunger. Hundreds of suicides are taking place in villages. At the same time, poor mothers are selling their kids just for Rs. 10 to Rs. 15 for being unable to feed their kids. This is the grim reality. It has come to our focus through Electronic Media or Press Media. Our friends from the Opposition Benches are criticising the things but they still have not made alternative suggestions that what we should do. Now, the position is that they are not able to do any good thing in their own States. Mr. Swain made a very bad remark regarding State of West Bengal. He has already admitted in his speech that more than 50 per cent people in Orissa are below the poverty line and he is after West Bengal where BPL level is within 20 to 24 per cent and that is the position. Still, he is after West Bengal. He should know that Mr. Rajiv Gandhi, after being the Prime Minister, wanted to know in actual what should be the Panchayat. He had held a two day long meeting in Calcutta with the heads of the Panchayat bodies. Finally, he came to a conclusion that Constitution should be amended and 73rd and 74th Amendment took place afterwards. He got the experience from West Bengal. Now, he is after West Bengal. He said that Telangana is better than Orissa. What logic has he made? It is difficult to understand that. This is the position… (*Interruptions*)

SHRI REWATI RAMAN SINGH (ALLAHABAD): He is not listening to you.

SHRI NIKHILANANDA SAR : However, we should know that this is a very long standing problem which we should overcome.

SHRI ANNASAHEB M.K. PATIL : May I clarify you?

MR. CHAIRMAN : No clarifications please. You need not answer that. If you begin to answer, you will lose your time.

SHRI NIKHILANANDA SAR : The position here is that at least 90 million people in our country are Scheduled Tribe people. This 90 million is more than the total population of many countries. What is their position? They live either in the forests or in the outskirts of the forests[bts74].

Their life is forest-oriented. Now, they are driven out of the forest. This is the position. What has been done for them? We should think in that way. So many schemes have been started. The Assurance Scheme was there. Now, there is an Employment Guarantee Bill. One should remind that the problems will not be overcome through this Scheme only. It should be our precept that something is better than nothing. We should take it. We should start in such a way that other things can take place simultaneously.

The other thing is the land development. If you want to improve the conditions of the villagers, the land productivity should be increased. Who will be the owner of excess production? It is the kulaks of the villages and the land sharks. Therefore, the purpose will be foiled? Are they ready to take land reform measures? In West Bengal, it is a prior condition of success in Panchayats in rural areas. It must be done; otherwise, the rural development cannot take place, and it will remain in imagination only. For that reason, the land reform measures should be given priority.

Shri Kalyan Singh calculated for 100 days. He said that only Rs. 6000 per year, that is, Rs. 500 per month. How can a person manage his family? It is a clear case of misconception. It should be realized. Now, what does a poor villager get? It is Rs. 500, which will be his additional income in a lean period. Now, what is the remuneration? It differs from State to State. There are many legal clashes. Now, this is a Central Government Scheme. But, at the same time, it will create problem from one State to another. There is no doubt that legal disputes may take place. For that reason, we thought of 75 per cent of the total national average wage. It will be something around Rs. 50. The Government has come out with a suggestion giving Rs. 60. It is not bad. At the same time, I would like to caution the Government that what are you going to do if you are not serious. The Government must be serious otherwise the people all over India will censure you whenever they get the opportunity. You have to be very serious in tackling the question of poverty.

With these words, I support the Bill.

श्री शैलेन्द्र कुमार माननीय सभापति जी, आपने मुझे राट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रियरंजन दास मुंशी जी ने अभी अपने वक्तव्य में एक बात कही कि चाहे हमारी योजनाएं श्रमिकों के लिए हों, वे इसलिए आ रही हैं चूंकि देश की आबादी बढ़ रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें इस पर भी रोक लगानी पड़ेगी, चाहे इसके लिए हमें इस सदन के माध्यम से कोई कानून ही क्यों न लाना पड़ä[r75]*

आज हमारे समाज में जो गरीब है, मजलूम है, जो रोज कमा के खाते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हमें आबादी पर नियंत्रण करना होगा। इस विधेयक का श्रेय लेने के लिए हमारे कांग्रेस के साथियों और वामपंथ के साथियों में बड़ी होड़ लगी हुई है कि इसका श्रेय किसे मिले? मैं यही कहूंगा कि इसका श्रेय दोनों लोगों को मिल जाए, खासकर वाममोर्चे को मिल जाए, जो हमारे साथी है, जिन्होंने समय-समय पर हर बिल पर, विधेयक पर सरकार को चेताया भी है और संशोधन लाकर इस सरकार को सही ट्रैक पर ले जाने का काम किया है। मैं अभी इस रोजगार बिल को देख रहा था। इसमें साठ रूपए मजदूरी फिक्स की गई है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे गांव के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो गांवों के रहने वाले रोज कमाते खाते हैं, उनका पलायन शहरों की तरफ हो रहा है। शहरों में भी बहुत समस्या है। आप चौराहों पर जाइए, वहां लेबर बैठे हुए हैं। लोग उन्हें ले जाते हैं और उनको अच्छी-खासी मजदूरी मिलती है- सौ रूपए से ऊपर, 120 रूपए, 130 रूपए, 135 रूपए। मैं कहना चाहता हूं कि जिस मजदूर को, जिस श्रमिक को 120-125 रूपए मजदूरी प्रतिदिन मिलेगी, वह 60 रूपए की मजदूरी अपने गांव में नहीं करेगा। इसके साथ ही, इसमें यह भी बंधन है कि केवल एक परिवार से एक बीपीएल कार्ड धारक को 100 दिन का रोजगार मिलेगा और एक हफ्ते में उसका भुगतान होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि परिवार में जो भी लोग रोजगार चाहें, उनको रोजगार मुहैया कराना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। अगर वे काम करना चाहते हैं तो उनको काम मिलना चाहिए, जो हमारी सरकार की मंशा भी है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम यह विधेयक लाए हैं। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, कि शहरों में बहुत बड़ी तादाद में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके लोग आए हैं, जो झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं। वही मजदूर शहरों में भी काम करता है, देहात में भी काम करता है, इसलिए हमें शहरों की तरफ भी विशेा ध्यान देना होगा। इसके लिए फिलहाल अभी 150 जिले रखे गए हैं तथा 50 और जिलों को इसमें शामिल करेंगे। मेरा यह सौभाग्य है कि ग्रामीण विकास एडवाइजरी कमेटी के सदस्य होने के नाते मैंने दो बार अपने संसदीय क्षेत्र के जनपद कौशाम्बी की तरफ आपका ध्यान आकर्ति किया था और माननीय मंत्री जी को भी लिखित रूप में दिया था कि यह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, गंगा यमुना के बीच बसा हुआ पिछड़ा इलाका है, सभी मानक पूरे कर रहा है, इसलिए इस कौशाम्बी जनपद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, को इस योजना के तहत शामिल कर लें तो बहुत उत्तम होगा। जो 50 गांव आप शामिल कर रहे हैं, उसमें इसे भी लिया जाए।

इस योजना में आपने शुरू में 120 हजार करोड़ रूपए की व्यवस्था की थी, फिर 40 हजार करोड़ रूपए की और अंत में लगभग 1.5 लाख करोड़ रूपए की योजना आपने बनाई। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि राट्रीय रोजगार फण्ड भी बनाने की अवश्यकता है। जिस हिसाब से रोजगार देने की बात हमारी यूपीए सरकार कर रही है, हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि राट्रीय रोजगार फण्ड बने ताकि हम समय-समय पर ऐसे श्रमिकों, मजदूरों को रोजगार दे सकें। इस योजना का शत-प्रतिशत वित्तीय भार केन्द्र सरकार वहन करे तो उत्तम होगा। चूंकि राज्य सरकारों के ऊपर पहले से ही इतना भार है, अपर्याप्त रूप में उनको धन मिलता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका वित्तीय भार केन्द्र सरकार उठाए। बेरोजगारी भत्ते के बारे में कहना चाहूंगा कि वे इसकी दर को थोड़ा बढ़ाएं और बिना शर्त उनको भुगतान करने की व्यवस्था आप करें, तभी हम इस योजना

में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि पंचायती राज संस्थान को केन्द्रीय दर्जा दिया जाए तो मेरे विचार में उस पर कंट्रोल भी अच्छा होगा और उस योजना को भी अच्छी तरह से हम देख सकते हैंइह76ट।

जहां तक इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की बात है, उसमें शिथिलता बरती गई है। यदि कोई अधिकारी दोाी पाया गया तो उसके खिलफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए तभी इस योजना को सफल बनाया जा सकता है। पंचायतें इसके कार्यान्वन में विशेा योगदान देंगी तो यह योजना अच्छे तरीके से लागू होगी।

चूंकि समय समाप्त हो गया है और सभापति जी ने घंटी बजा दी है। इन्हीं चंद सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the time allotted for discussion on this Bill is over. But still we have 40 hon. Members to speak on the Bill. If all the hon. Members cooperate and conclude their speeches within the specified time, we will be able to go on, otherwise, we will go on to the next item of business.

SEVERAL HON. MEMBERS: We should continue.

MR. CHAIRMAN: All right.

श्री सुभाा महरिया सभापति महोदय, आपने बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है, धन्यवाद। मैं सबसे पहले माननीय रघुवंश जी को जरूर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि वह एक ऐसा बिल लेकर आए हैं जो गांवों के गरीबों, मजदूरों, देश की 2 लाख 32 हजार ग्राम पचायतें जिस में साढ़े 7 लाख गांव हैं, जहां के लोग बेकारी और बेरोजगारी से तंग हैं, इससे निश्चित रूप से उनकी आंखों में चमक आई है।

19.32 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav *in the Chair*)

प्रतिपक्ष के सदस्य के रूप में आदरणीय रघुवंश जी बहुत सी बातें करते थे। जिस समय स्टैडिंग कमेटी की रिकमंडेशन्स आदरणीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में आने की बात चल रही थी, सभी मैम्बरान के मन में खुशी थी कि एक ऐसा अध्यक्ष जो गांवों की समस्याओं से रूबरू है, गरीब तबके के लोगों को काम देना चाहता है, उनके बारे में लालायित है, अनुभवी है, अच्छी सिफारिशें देगा। वे सिफारिशें ऐसे व्यक्ति के पास जा रही हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखता है, गांव के लोगों की समस्याएं भली-भांति जानता है। हर पन्ने में जो सिफारिशें थीं, रघुवंश जी, हम देख रहे थे कि आप गांव के लोगों से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इन सब बातों का समावेश करेंगे लेकिन मुझे थोड़ा इस बात का खेद है कि आपने हमारी सिफारिशों को देखा भी है, सुना भी है, विचार-विमर्श भी किया है लेकिन अपरिहार्य कारणों से दबाव में, वे सब बातें बिल में नहीं आ पायी हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : हमने नौ सिफारिशों को 16 आने मान लिया है, सात को आंशिक माना है और 6 को नहीं माना है।

श्री सुभाा महरिया : रघुवंश बाबू आप प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी अपने समय में लाए थे। आपने कहा था कि मैं हर सूरत में गांव के मजदूरों, गरीब तबके के लोगों के लिए अपनी बात सदन में रख कर छोडूंगा। गांव के हर व्यक्ति को जब तक रोजगार नहीं दिया जाएगा, जब तक उसकी बेरोजगारी दूर नहीं की जाएगी, यह देश खुशहाल नहीं हो सकता है। देश आर्थिक रूप से खुशहाल तभी हो सकता है, जब गांव के लोग सुदृढ़ होंगे। नम्बर दो पर कहते थे कि गांव के हर व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराया जाए। एनडीए की सरकार को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी निर्णय करे।

अब आप यूपीए सरकार के मंत्री के रूप जो बिल लेकर आए हैं, इस पर हमें बड़ी खुशी है। आप इस बिल का कार्यान्वयन बहुत अच्छी तरह से करेंगे क्योंकि आपके पास इस प्रकार का मंत्रालय है। मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि विधेयक में जो राशि का आवंटन होने वाला है, उसे छुपाया गया है। कितनी राशि का आवंटन होगा? अगर 200 जिले लिए जाएंगे तो इसका मतलब है कि 2 लाख 32 हजार पंचायतों का एक तिहाई लिया जाएगा। देश के 600 जिले, देश की 6 हजार ब्लॉक पंचायतें हैं। 200 जिलों का मतलब है सीधे-सीधे कम से कम 80 हजार ग्राम पंचायतों को लिया VÉÉAMÉÉ[R77]*

एक ग्राम पंचायत में तीन से चार गांव यानि करीब-करीब दो लाख चालीस हजार गांवों को लिया जाएगा। अगर एक स्ट्रैथ होगी, पचास व्यक्तियों के समूह और सौ दिन का रोजगार होगा इसके लिए पंचायतों का आधार देखें तो फिलहाल एक लाख पचास हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है जबकि राशि का जो प्रावधान आया है वह इसका बीस प्रतिशत ही महसूस हो रहा है। इसलिए मेरी बात को जरूर इसमें शामिल किया जाए कि राशि का आबंटन कैसे होगा, कितना होगा, किन जिलों के लिए होगा, जो भी जिलें शामिल किए जाएं वहां पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या निर्धन परिवारों के चयन की प्रक्रिया क्या होगी? क्योंकि आज जो भी चयन की प्रक्रिया है, गावं में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में चयन का जो आधार है वह धीरे-धीरे लाठी का आधार होता जा रहा है। गांव के सब लोगों को इकट्ठा करके, हर वार्ड के लोगों को इकट्ठा करके इसका सही चयन नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो विधेयक हम ले कर आ रहे हैं, जिससे पूरा सदन सहमत है, उसकी पारदर्शिता नहीं रह पाएगी। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आजकल परिवार प्रथा में एक व्यक्ति है, जबकि आज गांव में सामूहिक परिवार प्रथा भी है। हम सब जानते हैं कि गावों में कुटुम्ब परिवार सामूहिक रूप से रहते हैं। लेकिन आज धीरे-धीरे इस बिल के जरिए सामूहिक कुटुम्ब प्रथा, संयुक्त परिवार टूट नही जाए इसलिए एक व्यक्ति को नहीं ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्लीज कन्कलूड कीजिए।

श्री सुभाा महरिया : इसमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उन सबको इसमें काम दिया जाए। आज रोजगार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाए।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान के बारे में जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो लगातार पिछले एक दशक से सूखे की चपेट में रहा है। क्षेत्रफल की दृटि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और रोजगार की दृटि से राजस्थान में संसाधन सबसे कम हैं। उधर से बात आई कि पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी इसलिए मदद नहीं की गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जब तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, एनडीए सरकार द्वारा अकाल के समय में राजस्थान को आठ करोड़ गेंहूं की बोरियां दी गईं। अकाल के लिए जितने काम चले, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं गया तो एनडीए सरकार ने राजस्थान में दिया। आज मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे हैं, जो उस समय यहां पर स्वतंत्र राज्य मंत्री थीं, हम भी उनके नेतृत्व में थे। राजस्थान के हर गांव में इम्पलीमेंटेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों को एक बार नहीं, दो बार नहीं दस बार सांसदों के साथ भेजा गया और सांसदों से रिपोर्ट मंगाई। उस समय वहां कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सारे मैम्बर्स के सामने, सभी पार्टियों की सर्वदलीय मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी की और वित्त मंत्री जी की इस बात के लिए अपनी तरफ से तारीफ की कि हमें जो मिला है उसके लिए हम तहेदिल से आभारी हैं। लेकिन आज यह कहना कि राजस्थान में कुछ नहीं दिया गया था, यह गलत है, इसलिए इसका सुधार करना आवश्यक है। देश के जो भूभाग हैं, वहां पर दस-दस या बारह-बारह...(व्यवधान) समूह बनाने चाहिए। जब तक ऐसे समूह नहीं बनेंगे...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी काफी माननीय सदस्यों ने आपके दल से भाग लेना है, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री सुभाा महरिया : सभापति महोदय, हम आपको सुनते रहते हैं, इसलिए मुझे समय और दिया जाए।

सभापति महोदय : आसन पर रहकर ऐसा कुछ नहीं कर सकते।

श्री सुभाा महरिया : सभापति महोदय, मैं आपसे यही कह रहे हैं कि समय और दीजिए। दो मिनट का समय और लेंगे।

सभापति महोदय : यह न्याय का आसन है, इसलिए तराजू इधर-उधर नहीं हो सकता।

श्री सुभाा महरिया : मैं एक मिनट का समय और लूंगा। मैं इसी मंत्रालय से संबंधित अति महत्वपूर्ण एक बात बताना चाहता हूं कि कार्यों की जो श्रेणी है वह हर राज्य अलग अलग है, कहीं पानी ज्यादा है, कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है और कहीं बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं है। इसलिए जब कार्यों की श्रेणी का चयन किया जाए तो उसमें राज्यों की राय ली जाए बल्कि वहां के जिलों की राय ली जाए, ग्राम पंचायतों की राय ली जाए, पक्के काम और कच्चे काम, इन सबके बारे में राय ली जाए और किस गांव में क्या काम हो सकता है। उस गांव की स्थिति जहां पर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जो एक प्रोजेक्ट हम देने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट के काम में कौन सा काम गांव के लिए निहित किया जाए, इसके लिए गांव के लोगों की राय ली जानी चाहिए क्योंकि कहीं सड़क बनी है और हम कह रहे हैं कि सड़क पर और सड़क बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है।

सभापति महोदय, मजदूरी की दर जो साठ रुपए है, इस जमाने में, इक्कीसवीं शताब्दी की दौड़ में जब हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ दौड़ना चाहते हैं और आगे भी जाना चाहते हैं, साठ रुपए की दर निश्चित रूप् से बहुत कम हैइद्ध78ट।

सरकार के पास अलग-अलग राज्यों से न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने के लिए बात सामने आई होगी जिस पर सरकार को फैसला लेना होगा। मेरा आग्रह है कि कुशल युवकों को इसमें शामिल किया जाये। इसके अलावा जो अकुशल लोग हैं, उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जाये। जहां काम मिला है, वहां पानी की व्यवस्था की जाये। एक निगरानी समिति बने जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को लिया जाये। मेरी यही विनती है।

SHRI BIR SINGH MAHATO Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill. This Bill is a unique Bill and a historic Bill. This Bill is for the rural people and poor people. This Bill will have a far-reaching consequence for the people in the rural areas. The people in the rural areas are waiting for a long time for this Bill. The entire rural community has appreciated this Bill and it is also appreciated and praised by the United Nations Organisation.

After the passing of this Bill, I hope that there will be no starvation and people will not go to towns in search of work. Also the people in the rural areas will be able to fight poverty and unemployment.

The Food for Work programme is going on in 150 districts. After the passing of this Bill, another 50 districts will be added because of the beginning of these novel schemes.

I would like to mention some of the significant features of this Bill. There will be social audit and public scrutiny. The muster rolls, the sanction orders and all these things will be shown to the Gram Sabhas. There is no secret, and everything, budget and other works will be made available to the public.

Sir, we are demanding right to work for a long time and this has been mentioned in our Constitution. This Bill, to some extent, gives recognition to that demand.

Sir, amendment relating to wage rate has been brought and it says that the minimum wage rate will be not less than Rs. 60. It is all right in the States where the minimum wage rate is less than Rs. 60. But there are States where the minimum wage rate is more than Rs. 60. So, what will be the minimum wage rate in those States? I urge upon the Minister to come forward with an amendment so that the minimum wage rate of that particular State where it is more than Rs. 60 can be given to the workers.

श्री जोवाकिम बखला सभापति महोदय, राट्रीय ग्रामीण नियोजन गांरटी विधेयक, 2004 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्र ात्येक व्यक्ति को कम से कम न्यूनतम दिनों के लिये नियोजन की अति आवश्यकता है। कतिपय न्यूनतम दिनों के लिये मजदूरी नियोजन को निश्चित रूप से करने की आवश्यकता को समझना चाहिये। यू.पी.ए. सरकार ने अपने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में घोाित किया है कि वह राट्रीय नियोजन गारंटी अधिनियम तत्काल अधिनियमित करेगी। इसके पीछे मंशा की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं क्योंकि जो योजना बनाई गई है और इस विधेयक के अंतर्गत जिस योजना की कल्पना की गई है, वह अपने आप में सराहनीय कल्पना cè[RB79]*

इस कल्पना को साकार करने के लिए जब इस विधेयक की कल्पना की गई तो इसके पीछे अन्य सहयोगी दलों का सहयोग था। उन सहयोगी दलों के साथ-साथ वामपंथी दलों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस विधेयक के पीछे थी। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसके अंतर्गत जिस योजना की कल्पना की गई है, वह एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मैं इस विधेयक को ऐतिहासिक नहीं कहता, क्योंकि इसमें जिस समस्या का समाधान करने की बात सोची गई है, इस विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को कम से कम सौ दिन का काम देने का प्रावधान है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने इस विधेयक के माध्यम से इस परियोजना की कल्पना की है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए इसमें पंचायती राज के ज्यादा से ज्यादा सहयोग की भी कल्पना की गई है और उन्हें अधिक से अधिक दायित्व भी दिया गया है। मैं जानता हूं कि यह स्थाई समाधान नहीं दे सकेगा। इस योजना से कुछ लोगों को अवश्य ही नियोजन मिलेगा। लेकिन यह नियोजन स्थाई समाधान नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, जिस समय देश को आजादी मिली, उस वक्त हमारे देश की आबादी क्या थी और हम देख रहे हैं कि उसके बाद से आबादी किस गति से बढ़ रही है। यदि इस बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश नहीं लगाया गया, यदि इस पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो यह परियोजना सार्थक सिद्ध नहीं हो सकती है। इसमें एक गृहस्थी को चुना गया है, लेकिन उस परि वार के जो दूसरे सदस्य हैं, उनके साथ अन्याय होने की संभावना है। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के मालिकों ने जिस तरह से अनिश्चित काल के लिए चाय बागानों को बंद कर दिया था, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उन बस्तियों में रहने वाले लोगों को 12 महीने काम नहीं मिलता है। इस स्थिति में जो यह विधेयक लाया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत कम से कम उन लोगों को काम मिलेगा जो काम करना चाहते हैं। अकुशल शारीरिक श्रम के लिए जो स्वेच्छा से काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं, कम से कम उन्हें सौ दिन का काम मुहैया करने का प्रावधान इस विधेयक में रखा गया है। लेकिन इसमें जो 60 रुपये न्यूनतम दैनिक मजदूरी रखी गई है, उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ प्रदेशों में दी जाने वाली दैनिक मजदूरी और इस विधेयक में उल्लिखित दैनिक मजदूरी में काफी अंतर है। इसलिए मैं

19.48 hrs. (Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि कुछ प्रदेश इसमें दी गई न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी अपने यहां देना चाहते हैं तो क्या उन प्रदेशों को इसका अधिकार मिलेगा? इसी के साथ

अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निखिल कुमार जी, अब आप बोलिये। लेकिन उससे पहले मैं कुछ रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि पार्टीज को जितना टाइम दिया गया था, वह खत्म हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर्स दो-दो, तीन-तीन मिनट बोलने की कोशिश करें।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : सर, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम बोलूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पार्टीज का समय खत्म हो गया है। अन्यथा 12 बज जायेंगे, मेरे पास लगभग 45 मैम्बर्स की लिस्ट है।...(व्यवधानइ‹ड80ट)

2

श्री निखिल कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मुल्क में बहुत बेरोज़गारी है और यह बेरोज़गारी हमारे ग्रामीण इलाकों में अधिक व्याप्त है। इसका नतीजा यह होता है कि ग्रामीण इलाकों से लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर जाते हैं और शहरों में ही बस जाते हैं। This is not a satisfactory situation. This migration has to stop. There has to be some amount of effort made to provide employment to the rural folk so that they are not tempted to go to the urban areas. I speak specially of our State of Bihar from where there has been a regular exodus to urban cities, metropolitan cities, and other States. This Bill is an attempt to provide legal guarantee for employment to the rural folk in the countryside for at least 100 days at a minimum wage of Rs. 60 per day per head. There is a little confusion here as to what should be the minimum wage. If we peruse the Financial Memorandum attached to the Bill along with the Amendments for which a notice has been given by hon. Minister for Rural Development, it becomes clear that the minimum wages enshrined

in the Act of any State or, in fact, all over the country, vary from Rs. 25 to Rs. 135. It is at an average of Rs. 60 that the Financial Memorandum has calculated the overall financial implication at about Rs. 20,000 crore. It is with this in mind that the matter has been clarified.

I read from the notice of amendments given by hon. Minister for Rural Development regarding wage rate relating to Section 6 which says:

"Notwithstanding anything contained in the Minimum Wage Act, 1948, the wage rate for the purpose of Clause (a) of sub-section (1) of Section 22 shall be Rs. 60….."

Then it further goes on to say :

"…provided that the Central Government may by notification specify the wage rate at a rate not less than Rs. 60 from time to time."

It is, therefore, quite clear that the wage rate in a State if it happens to be in excess of Rs. 60, will be the wage rate for that State. And if the wage rate happens to be less than Rs. 60 in any State, the wage rate there will be a minimum of Rs. 60. So, there should be no apprehension about, as our friend Shri Dharmendra Pradhan had, that there is some kind of a fraud being played through this Act; the wage that is being paid to the labour is less than Rs.60. Nothing of that kind is going to happen. The minimum wage will be Rs. 60, and if it happens to be more than Rs. 60 in any State, as per the Wage Act applicable to that State, it will be that wage which will be applicable.

Sir, there is also a provision in this that where the authorities concerned fail to provide employment to an applicant, there is a provision for paying that applicant a penalty, the kind of a dole. I commend the UPA Government for bringing in the concept of social security here, which so far had been lacking. There have been a number of schemes that have been implemented in the country in the past 15 years. But the concept of social security was lacking there. If this is implemented, it will be a very welcome move, and I support it.

There is, of course, a great fear of corrupt practices being implied in the implementation of this Scheme. This can be done at any level. The proposed Act has a provision, which gives us confidence that the Government is determined to see that corruption is not allowed[t81].

I may be permitted to read that provision, which says:

"The application from any person wanting employment could be made at three levels. It could be made at the level of the panchayat, at the level of the block, and at the level of the district."

There is, therefore, some kind of a cross-referencing which would ensure that there are no fake applications or there is no attempt by the authorities concerned to keep an application pending for more than the required time. After the required time stipulated in the Act as 15 days is over, it would be a question of passing a dole, which would not be justified. It is in these cases that some corrective action would have to be taken. If it is found that some fraud has been played by authorities concerned, they would have to face criminal action. If it were found that there has been genuine laxity, there would be a fine.

I would appeal to the hon. Minister that if there were to be a criminal prosecution, it would take time and knowing the criminal justice system that obtains in our country, it would not be wise to allow the people concerned to launch a criminal prosecution. Why could we not examine imposing a greater fine? For instance, instead of Rs. 500, which has been prescribed for those who are found guilty of laxity, it could be to Rs. 1,000. For those who are found to have played a kind of fraud, it could be raised to Rs. 10,000. If these amounts were increased, it would be possible to provide a very great deterrent to people who want to indulge in corrupt practices. In fact, the increase in the amount of fine is something which has also been prescribed and recommended by the 154th Report of the Law Commission. So, this principle could be made applicable here also.

Two hundred districts, which are economically backward, have been proposed to be covered by this scheme. It is expected that these 200 districts would enjoy the benefits of this Scheme in the next two or three years. If indeed this Scheme is implemented honestly, it should be possible to reap the benefits of this Scheme in at least two years. So, why is it not possible to extend the benefits of this Scheme to all the districts in India, which would be about 550 to 600, within a period of five years? This is something which I wish to submit before the hon. Minister. He might consider extending this Scheme to all the districts in India within a period of five years.

Unfortunately, my district and constituency, Aurangabad, in Bihar is one of the 170 economically backward districts but it has not been included in the Food-for-work Programme. I appeal to the hon. Minister that this time around, when this Scheme is implemented, Aurangabad should be included in it so that it could give us a great deal of relief.

I had referred to the question of dole earlier. It is not a very happy thing to have a dole of some kind but if at all a dole is being given it is not the intention and any case should be for a basic minimum period. That should be our intention. That is why I suggested that instead of 200 districts being covered in the next two or three years, attempts should be made to cover the entire lot of districts in the country in a period of five years. If that is done, automatically, it would be possible for us to increase the number of people who get employment in the rural sector. The previous Government had announced that it would come up with one crore jobs throughout the period but at least this would provide a big fillip to people who are in our rural countryside and the concept of dole would go. It would be a genuine attempt at providing employment to rural people in the countryside.

20.00 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Uday Singh. First of all, you will have to go to your seat.

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): Sir, I may be permitted to speak from here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should seek permission prior to speaking.

SHRI UDAY SINGH : Sir, I may be permitted to speak from this seat.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right. You can speak from this seat.

… (*Interruptions*)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने के लिए थोड़ समय दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास बोलने वाले वक्ताओं की बहुत लम्बी लिस्ट है, फिर भी मैं देखूंगा कि आपको किसी न किसी प्रकार एडजैस्ट कर सकूं।

SHRI UDAY SINGH : Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this important Bill. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You conclude your speech within five minutes. This is my humble request.

SHRI UDAY SINGH : Sir, I will try and finish it in less time than that. This Bill at least has the potential of becoming a historic Bill. It is being called a historic Bill today. As it is not historic but it has the potential to become a historic Bill. Sir, I am in complete agreement with the need for this Bill, but in equal disagreement with the manner in which it is sought to be implemented.

The Congress Government has governed this country for longer than most parties. But it is not learning from its experience. It is not bracing to face the challenges posed by a wretchedly faulty public delivery system. Therefore, it is lending itself open to being charged with repeated wrong-doings at great public expense which is an extremely serious matter. It is said that the only thing more painful thing than learning from experience is not learning from experience.

The other day I was duly impressed by the very impassioned speech of Shrimati Sonia Gandhi. It was plain to all of us that she actually believed in this Bill not only as a redemption of her party's electoral promise, but she also saw this as a panacea for rural unemployment. Now, this is what makes me speculate whether her UPA Government is serious about this Bill becoming a success, but I feel not. The hon. Minister who piloted this Bill is none other than Dr. Raghuvansh Prasad Singh. I do not want to excite him for the fear that he will raise his decibels even more, but we know Dr. Raghuvansh Prasad Singh. We know that he is a grass-root politician. I do not know whether he shared with the Cabinet his own experience with the other poverty alleviation schemes that are currently running under his Ministry. If he has not, then he is wronged, and if he has, then this Government has certainly again displayed the ostrich syndrome.

Sir, if I may ask what should our holistic approach of our responsibilities, towards our poor actually be. We must strive to give them a livable house, safe drinking water, primary health and educational facilities and, above all, an opportunity to make a decent living for self and family. But is it not time that the Government really asks itself as to how many different schemes do we actually require to fulfil there very basic needs? At present, I think, there are more than two dozen such schemes which are running and the reason given for running so many schemes is that each scheme needs a close monitoring to reach the target audience or to reach the target group. But who, may I ask, are we charging with the responsibility to reach this to the target group? This is going back to the same District Magistrate, to the same DRDA official in States. So, while the Government says or pretend that one comprehensive Bill will become too unwieldy, it is assuming that these district officials possess some super-natural powers and they will do justice to all the schemes that they are presiding over. I am sorry to say that this Bill will be one more addition to that long list which is already there in the districts.

महोदय, मैं रघुवंश प्रसाद सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि उनके और हमारे गावों में जो लोग रहते हैं, क्या वे जानवरों से भी बदतर जीवन नहीं जीते हैं, क्या उनकी कोई पहचान है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक बी.पी.एल. की टूटी-फूटी लिस्ट थी, वह भी वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है, उसका क्या हो रहा है ? Sir, I want to say that when a poor villager gets to meet an official minion, which by itself is no easy task, the first question asked is: "who are you?" If he says मेरा नाम उदय सिंह है। then he is told: "I do not know you". Sir, then comes along an agent who helps to identify this poor villager to that crony and this is where that long story of that villager's indebtedness to his identifier starts[R82].

This is the start of all the ills. There is no *pehchan*. उस आदमी की कोई पहचान है, क्या आपके साथ मैं रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस के यहां जाकर पूछ सकता हूं कि मेरी फलां पंचायत में कौन-कौन लोग रहते हैं, उनके नाम दीजिए, इनकी कोई पहचान नहीं है।

Sir, if poor countries in Africa – numerous of them – are following the identity card system, it is about time that we did it too. India is the software provider to the world. It is a matter of shame that it cannot do this in its own country and this identity card must be intelligent. It must be a smart card. रघुवंश जी, इस कार्ड के जरिये उस व्यक्ति की एंटाइटिलमेंट दिखेगी कि उसको सरकार से किस चीज की एंटाइटिलमेंट है, उसे क्या डिस्बर्स हुआ। आपने देखा कि पूरे सदन में जितने सांसद बोले हैं, सभी ने अलग-अलग भााओं में आपके सामने एक ही विचार रखा है कि चोरी कैसे रोकेंगे। आपका जो बिल है, उसे देखकर मुझे याद आता है, हमने रामायण का कहीं एक बहुत छोटा सा अंशा पढ़ा था, लोग कहते थे कि एक राम था, एक रावण, दोनों में एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण, एक ने एक की नारी चुराई, उसने उससे की लड़ाई, इतनी छोटी कथा की तुलसी लिखे रामायण। जितना आपका बिल बना हुआ है, इसमें तो सिर्फ यह लिखा हुआ है कि कौन किसकी चोरी रोककर कैसे देखेगा। यह कोई बात बनी?

आज के युग में जब आपके पास टेक्नोलोजी एवेलेबल है, जब आपके पास साधन एवेलेबल हैं तो हम अपने लोगों को, हम अपने गरीबों को अगर यह आइडेंटिटी कार्ड दे दें तो आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी।

बिल पर वापस आते हुए मैं बहुत जल्द अपनी बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। बिल पर वापस आते हुए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आपको मालूम है कि आर्थिक कठिनाइयों की वजह से हमारी जोइंट फैमिली में एक दरार आ गई है। आज दो भाई आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं रख रहे और अगर इस बिल की भावना के अनुसार किन्हीं भाइयों में से अगर एक भाई को नौकरी दी जायेगी तो क्या आप फैमिली में कोहिसिवनैस जो आप चाहते हैं, वह बनाएंगे या उनमें और बिखराव लाएंगे। मेरे ख्याल से इससे और बिखराव बढ़ेगा। सब ने कहा कि जिले बढ़ा दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिले कम करने हैं तो कर दीजिए, आप इसको स्टैगर कर दीजिए, लेकिन जहां भी आप यह ऑफर करें, सब के लिए वह ऑफर करें, जो भी एबल बॉडीड परसन वालेण्टरीली इस काम के लिए आगे आता है, उसे इस काम में लगायें, यह मेरी आपसे गुजारिश है।

दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो काम का चयन कर रहे हैं, why are you restricting it to local areas? If cheap and free Indian labour was used to build infrastructure in far-off lands, when we are paying our own people, why can we not utilise their services to build our own, much-required infrastructure if the national exchequer, if the public exchequer is being used to pay for this? We know that for any mega project the cost of manual labour constitutes almost 40 to 50 per cent of the total cost. Why can we not use this labour so that this does not become a 100-day project or this does not become a 25-day project but this becomes a project of nation-building? आपकी सरकार ने भारत निर्माण की बात की है, इसी को आप भारत निर्माण के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते। आपके पास राशि की कमी नहीं होगी और हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर दिन दूनी रात चौगुनी बहुत तेज गति से बनेगा। We can build better, bigger and quicker infrastructure.

अन्त में, सोनिया गांधी जी यहां नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे इस बिल की आर्कीटैक्ट हैं और हम सभी लोग उनसे प्रभावित हैं, हम सभी लोग उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा she will have to decide and decide very quickly whether in the medium term she wants to take the credit for this Bill or take the discredit for this Bill. If she wants to take the credit, as we all hope that she wants, then she better listen to some sane, good advice that has been tendered by Members here and very quickly put in another delivery mechanism in place. Otherwise though, I quiver to think that she would want to take the discredit for it, but in any event, we all wish this Bill to be a success because we would like to see our poor a little more contented.

श्री लालमणि प्रसाद माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना विधेयक पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त कते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके द्वारा यह बिल लाया गया है।

यह ऐतिहासिक कदम है और इसके साथ-साथ मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आजादी के 58 साल का समय व्यतीत हो गया। पिछली सरकारों ने इस पर गम्भीरतापूर्वक िवचार न करने के कारण +ÉÉVÉ MÉà£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉÉ nä¶É BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉºÉÉ cÖ+ÉÉ cè*[i83]

देश में आज भयावह स्थिति है। देश में करोड़ों लोगों को पेटभर भोजन नहीं मिल रहा है। पैसे के अभाव में लोग दवाई नहीं खरीद सकते हैं, करोड़ों लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है। इस सब के लिए कौन दोाी है? आजादी के 58 साल बाद भी क्यों सरकारों ने गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया? भारत देश, जापान से पहले आजाद हुआ था लेकिन जापान अपनी तकनीक के आधार पर आज दुनिया का सिरमौर बन चुका है। भारत में खनिज लवण पदार्थों की कोई कमी नहीं है। यदि इनका ईमानदारी से प्रयोग किया जाता तो भारत भी दुनिया का सिरमौर बन सकता था। लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। मैंने बजट के समय भी इस बात का जिक्र किया था कि ईमानदारी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को इस देश में लागू नहीं किया गया है। संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित धर्मनिरपेक्ष संविधान की बात की गई है। इन सब में समता शब्द पहले आता है लेकिन आजादी के 58 साल बाद भी समता शब्द पर विचार नहीं किया गया है। अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय मुल्क की पांच राट्रीय समस्याएं हैं। इन समस्याओं में यह भी एक समस्या है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि आज गांवों में भयावह स्थिति है। अखबारों में सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा कि दस किलों अनाज के लिए गरीब परिवार ने अपने बेटे को बेच दिया या बीस किलो अनाज के लिए अपनी बेटी को बेच दिया। सौ रूपये में अपने बेटे और दो सौ रूपये में बेटी को बेच दिया। क्या यही हमारा देश है? इस भयावह स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। मेरे मन में बहुत पीड़ा है। मैंने इस बिल का समर्थन किया है। लेकिन आज गांवों में क्या स्थिति है? आज जिनके दरवाजों पर ट्रैक्टर-ट्रालियां खड़ी हैं, उनको गरीबी का

राशन कार्ड दिया गया है और जिनकी झौंपड़ी का पता नहीं, जिनको पेटभर भोजन नहीं मिल रहा है, उनको अमीरी का राशन कार्ड दिया जा रहा है। इस नाते यह एक भयावह स्थिति है। गांव के दबंग लोगों पर कैसे अंकुश लगाया जाए? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन सब पर भी उन्हें पैनी नजर रखनी होगी और गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

काम के बदले अनाज की जो योजना चल रही है, उसके तहत गांवों के लोगों अनाज नहीं मिल रहा है। राशन को डिस्ट्रिब्यूट करने वाले, उस राशन को खुले बाजार में बेच रहे हैं। गांव के गरीब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि सौ दिन की बजाय पूरे साल रोजगार देने का प्रयास किया जाना चाहिए। सौ दिन रोजगार करने के बाद बाकी 265 दिन क्या आदमी बेकार बैठा रहेगा? इसके लिए सरकार की क्या योजना है? क्या सिर्फ एक ही आदमी कमाएगा और बाकी लोग बेकार बैठे रहेंगे? मेरा निवेदन है कि यहां से एक संसदीय दल जापान की तकनीक को जांचने के लिए भेजा जाए कि कैसे जापान के हर हाथ को काम मिल रहा हैझ्रच्छढत्तह्ल84टजापान के हर हाथ को कैसे काम मिल रहा है। उस टेक्नोलॉजी को भारत में भी ऐडॉप्ट किया जाए। अन्य देशों में कैसी टेक्नोलॉजी है कि वहां हर हाथ को काम मिल रहाह है ककहकह ह भी ध्यान देना चाहिए अंत में मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Members who want to lay their speeches on the Table of the House may kindly do so, and the same would form part of the proceeding.

Now, I would request Shri Rupchand Pal to make his speech on this Bill. I woulbe able to give you only between four minutes and five minutes to speak.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Thank you, Sir. I will be very brief or should I say as brief as possible. The Left Parties expected that this Government would move ahead on the right track and fulfil, as early as possible, the assurances made to the people of this country when the Left Parties decided to support the new UPA Government from outside on the basis of the NCMP. Now, we are happy that, at least, one assurance with regard to employment guarantee for the rural people is shortly to be implemented by this Government. But it is only a beginning, and we have miles to go. I am saying this because only 200 districts are being covered, and the rural poor are still to be addressed. Therefore, the hon. Minister while replying to the debate must assure this House that not only within a period of 5 years, but, as early as possible, the case of the rest of millions of our mute, hungry people is also going to be addressed.

In India, there are two Indias. One India is glamorous, billionaire, and a handful spending lots of money in five-star culture. On the other hand, there is an India of 85 per cent or 90 per cent of the population living in hunger, destitution, and who are downtrodden and underprivileged. There have been several schemes to provide them employment and to provide them food, but most of them have gone astray as there have been targets that have been missed. Although, no constitutional guarantee can be given, but legal guarantee is being given here. I think, it would become an irreversible programme irrespective of the complexion of the Government, and whoever might be in the Government would have to pursue it. Therefore, it is historic in this sense. There have been programmes like *garibi hatao*, 20-Point programme, etc., but there have not been any guarantees for it. Now, for the first time it is being done.

There are people who have been raising different issues. Where would the funds come for it? I would say that there is no dearth of funds. In a country where out of 1.1 billion people only 80,000 people are declaring that their income is Rs. 10 lakh, while at the same time luxury cars costing more than Rs. 15 lakh are being sold. Therefore, there is large-scale evasion, black money, etc. If the Government is serious, then it can even take into the account the recommendations made by its own Committees for collection of tax arrears to plug the loopholes for tax evasion, and there would be no dearth of money.

There have been some other issues like minimum wages. A question has been raised that all other schemes like poverty alleviation scheme, etc. -- now currently in vogue -- may be merged. What will happen by doing it? Is the minimum wage that is already being given in other areas -- barring this area -- also going to be reduced or not? This was a question raised by no less a person than the former Prime Minister of this country Shri V. P. Singh. Therefore, it must be addressed. But the House should be assured that this is the beginning, and there are miles to go.

It is also very amusing that the NDA and the BJP are trying to ask : "why is it not being done? Why the urban poor is not being addressed in it? Why only 200 districts are being covered in it?" At the time of severe drought we have been repeatedly asking the same people to introduce the Food-for-Work programme. But it all fell on deaf ears[ak85].

They did not care for that. Now, we are happy that at least this Government is taking care of them. Although we have serious differences with them, we want to convince them that the Left is not against reforms. The question is, reforms in whose interest or reforms in what direction. Millions of our people are hungry. If the reforms mean that their hunger should be addressed, then I say that you are on the right track of reforms.

Sir, I do not want to take much time. I support this Bill. The merger of the schemes may create certain problems. The quality of the schemes should be such that they create durable assets, like water resources, irrigation, which may increase productivity; it may be part of the 'Bharat Nirman' process; it may add to the purchasing capacity and contribute to the acceleration of the industrial process.

The empowerment issue has emphasised that womenfolk should be given priority as it will stop migration because when the men go out or migrate, all the work is done by the womenfolk. Rightly, the Panchayati Raj system should be involved; the Gram Sabhas should be involved. It is

a historic step. We should be cautious, we should be careful, we should be serious about the implementation and extending it to the rest of the districts and to the urban areas.

Due to the time constraint, I wish to conclude my speech. I support this Bill and I believe that the Minister while replying to the debate will give the full assurance to the nation that they are serious about the achieving the goal within a short while.

SHRI AJAY MAKEN (NEW DELHI): Sir, with your permission, I beg to lay the text of my speech on the Table of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, you can do so. Is there anybody else who wants to lay his or her speech on the Table of the House?

SHRI AJAY MAKEN Chairman Sir, I thank you for the opportunity to speak on National Rural Employment Guarantee Bill, 2005. I consider myself to be extremely fortunate to speak in support of this Bill and thus in turn be a part of the History. This Bill will prove to be a milestone in the Indian history. Thus, it can be well imagined, why the opposition is getting jittery on this bill. Everyone knows that the people on account of their dismal performance at rural development and employment generation front rejected the NDA government. Their tenure is marked by jobless growth. Only the share markets went up and the rural folk continued to commit suicide.

However, I observed a very remarkable behavior amongst the BJP members today. But before going on to it, I shall refer to some of the statements made by their leaders in and outside the Parliament. They first complained about just 150 districts being covered in the programme. But we have not only increased it to 200, but also an undertaking that the programme will be implemented in the rest of the country within 5 yrs. This made NDA jittery. They started asking for universal application. We agreed and said that instead of BPL households, it would be universally applicable to all households. Then instead of being satisfied, they have now started saying that they want it to be universally applicable on all *persons* instead of *households*. It is strange that initially, one of the former BJP President, in a statement alleged that the Government is handing over the bill to a specially formed select committee and not to the standing committee on rural development (which is chaired by Sh. Kalyan Singh, a BJP leader). This allegation was also totally unfounded when the bill was handed over to the standing committee only. Then many suggestions made by the committee, such as social audit by the gram sabha etc, were also incorporated in the Bill. So the BJP is totally dumbfounded

---

* Speech was laid on the Table.

and speechless now. So today they have devised a strategy. Instead of fully criticizing the Bill, they have now decided to not criticize the Bill, but to some how try and dilute the credit, which is going to the Congress party, and Smt. Sonia Gandhi. But let me assure them that the country knows it very well, as to who is behind the bill and how this bill is an extension of Maharshtra State Employment Guarantee Act, which was introduced and practiced by the Congress party in the State.

It has been argued by some members of the BJP and NDA, that the Bill should also be extended to the urban areas. They are perhaps oblivious to the demands of the urban areas. They perhaps do not know that such type of schemes would be a failure in the urban areas. I would just like to tell the house that an NGO, ***Aashray Adhikar Abhiyan*** AAA, in the year 2000 conducted a survey of homeless persons of Delhi. They found out that, 89% of the homeless and shelterless people are employed in the unorganized sector. Propagationists of such schemes in the urban areas perhaps do not know that any person who offers his services for daily wages in a ***Chowk*** of the city, gets work every two days out of three days. Thus the problem in urban areas is not that of employment but that of underemployment. The problem is of shelter more than any thing else.

I would like to present before this august house, very stratling figures. If we look at the ten year figures of population growth and compare it with that of GDP growth, we will see that when the GDP has grown more in the average of a ten year span, then the population in urban areas has decreased for that particular period.

Years	Urban Population growth	Average growth in GDP for this period
1971-81	46.1%	
1981-91	36.4%	5.2%
1991-2001	31.2%	6.7%

But the question arises, as to why is there a need for this bill? Because in 1980s, average GDP grew by 5.2% and employment growth by 2.7%. Surprisingly when in thw 1990s, the GDP grew by 6.7 % (1.5% more than the previous decade), the employment growth slowed down to 1.07% from 2.7%.

10th Plan document also says that by the end of 10th plan, there would be a backlog of 35 million unemployed. In the eighth plan, the amount of money spend on rural development was 13%, but it slid down to 5% now. Sampoorn Gramin Rojgar Yojna (SGRY) was able to generate only at an average 20 man days of employment in BPL households annually for the year 2002-03 and 2003-04.

Thus there was a crying need for such a scheme and I am thankful to UPA chairperson, Smt Sonia Gandhi and our Prime Minister Dr Manmohan Singh to have brought such a Bill.

Besides experience of Maharashrta also shows that this bill, when enacted would meet considerable success. In maharashtra:-

- This bill is successfully working since last 30 yrs
- It has resulted in geration of 370 crore mandays
- Rs 9000 crores have already been spent through this scheme
- In the 1990s decade, 10 lakh hectare has been made fit for horticulture
- Agriculture labour now get better wages
- In many areas, it has been reported that 40 to 50% of women get the work

Amongst numerous advantages of the Bill, I would like to mention the following:-

- For the first time a poor village-folk will now get a right in the form of guarantee of a Parliamentary Act, to ask for something from the Governemnt.
- Through this Act, the size of the development programme shall be determined by the workers and not by the officials
- Panchayats, shall be the nodal agency for planning. Thus planning for spending 40,000 crores would be decided at the lowest level.The planning process would be from bottom to top and not from top to bottom.
- The guarantee word shall increase the flexibility of this bill. Thus in times of need more work and otherwise less.
- This will stop migration of workers from rural areas.
- This Bill if enacted, shall not only generate employment, but also develop the rural areas.
- In this Bill, a number of new kind of works have also been added, which can be undertaken. These works will improve the agriculture production and also condition of agriculture land. It will favourably tilt ecological balance.
- I would like to mention here an experience of Madhya Pradesh. The Digvijay Singh government through land reforms, gave agriculture land to landless SC/ST people. But the productive land were at many places, not handed over to the deserving SC/ST; and only those plots of land not fit for agriculture were only allowed to be taken over by the SC/ST. Now the Bill provides for the irrigation works to be undertaken in the land of SC/ST. This Bill thus would help in land reforms also.

At this juncture, I have some suggestions to make :-

-We should use the Right to Information to oversee the success of this Bill. NGOs should be encouraged to come in and act as watchdogs. But I would also call upon the Political Parties to train their cadre and take the place of NGOs where there are none. I would also congratulate our

leader Smt. Sonia Gandhi who has already entrusted upon this task to Seva Dal of Congress party.

- We should have a solid financial foundation. This could be achieved only through improved Tax-GDP ratio. In 1987-88 the tax –GDP ratio was 10.6%, now it is 9.3%. If are able to achieve the Tax-GDP ratio of pre-reforms period, we may generate more than 35,000 crores. This amount can take care of this scheme
- There should be proper selection of districts. I would suggest that the names of districts should not be fixed. But after annual review on various important parameters, depending upon various natural factors, new districts should be allowed to replace some old ones.
- Skill training and better planning and sequencing of work should be taken care of.

In the end, I will quote Gandhi Ji :-

" The Blood of the villages is the cement with which the edifices of the cities is built. I want the blood, that is today inflating the arteries of the cities, to run once again in the blood vessels of the villages"

SHRI M. APPADURAI Hon. Deputy Speaker Sir, I thank the Chair for giving me this opportunity to speak on the National Rural Employment Guarantee Bill. I welcome this move by the Government to reach the rural poor directly after 58 years of independence during the tenure of 14th Lok Sabha. I welcome and extend support to this Bill on behalf of our party Communist Party of India. I am happy that this Bill is a consummation of the efforts put in by the left parties in this House.

The Bill seeks to extend this scheme to 200 districts and I would like to point out that this is not adequate and other districts with rural areas must also get a similar scheme. It is a welcome step that Departments concerned will be responsible for implementing various schemes. Another welcome feature of the Bill pertains to the non-inclusion of contract system. I also want to urge upon the Government to ensure proper monitoring to keep away mechanisation and use of machines in schemes to be carried out under this Act. Only 4 districts out of 29 districts in Tamil Nadu have been covered in the ambit of this Act.

I would like to draw your attention to the fact that southern districts in Tamil Nadu have been neglected. Tirunelveli, Tuticorin, Ramanathapuram, Sivaganga and Virudhunagar districts that come under my Thenkasi constituency are drought prone districts and worst hit by caste and communal riots hitting hard the deprived classes in the rural areas. Hence I urge upon the Union Government to include these districts also in the ambit of this Act to benefit especially the downtrodden people of these districts.

In order to accomplish the purpose for which the legislation is made, proper vigil and monitoring mechanism must be in place. This Act lists out the works that are to be carried out in the rural areas. I would like to emphasise that small irrigation projects, building of small tanks and reservoirs, laying of village roads, _____*Translation of the speech originally delivered in Tamil.

sanitation and drinking water schemes and housing must get priority in the implementation of this Act.

It is a boon to the rural poor that they get a guaranteed job opportunity directly in developing infrastructure facilities in their local areas. We must also bear in mind that this enactment in itself is not enough to alleviate poverty in the country. The minimum wage fixed is Rs 60 as per this Act. It may be revised as early as you can. Wherever deviations are noticed such jobs must be taken away from the ambit of this scheme and such works must be stopped.

In order to take the entire benefit to the rural poor, Centre must enact Land Reforms Act. "Land to the tiller not to the farmer" is what we want to reiterate when we talk of land reforms. Our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru said that State Governments must endeavour to bring about land reforms in their respective States. Distributing lands is different from land reforms. To implement this Act and to cover 200 districts, 63000 crores of rupees would be required. If it is to be extended further 1 lakh 40 thousand crores of rupees would be needed. I would like to impress upon the Union Government that this viable Act must be reenacted to cover urban poor also.

One adult from every household would be eligible to get the guaranteed job. If the household has a joint family then the head count may not be practical giving rise to practical problems. Wiping out poverty in its entirity may not be possible. This Act is but a noble effort. Rural women the poorest of the poor will get priority while the beneficiaries are identified. It has been ensured 33% reservation would be earmarked for them. Considering the fact that 34% of our people are much below in the social strata and far below poverty line, we must increase the minimum wage and the number of days of work. Rs 6000 per annum is not sufficient and calls for an upward revision.

The Central contribution of 90% and States' contribution of 10% are there for this programme but it needs to be ensured that there are no stoppages due to non-availability of earmarked funds. Proper care, constant vigil, able monitoring can ensure the successful implementation of this programme.

Let me conclude my speech welcoming this Bill.

[R86]

श्री रेवती रमन सिंह उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। यह एक महत्वपूर्ण बिल है, इसमें कोई संदेह नहीं है और यह बिल उन लोगों के लिए लाया गया है जो कि आज गांवों में निवास करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि इस बिल के द्वारा जो मंशा है, उसे हम कैसे पूरी कर पाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी खामी है और जो बहुत से सम्मानित सांसदों ने भी कहा है कि परिवार में मात्र एक आदमी को काम दिया जाएगा, यह उचित नहीं है। परिवार के 18 साल की उम्र के चाहे युवा हों या युवतियां हों, सबको काम दिया जाना चाहिए, यह इसमें कम्पलसरी होना चाहिए चाहे इसमें धन और बढ़ा दिया जाए, जैसे अभी अन्य सांसदों ने कहा कि 200 जिलों में इसे लागू करने की बजाए उसे घटाकर हम भले ही सौ जिलों में इसे लागू करें लेकिन गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को काम देने की गारंटी देनी चाहिए। यह आधा-अधूरा बिल है। इसमें एक व्यक्ति को काम मिलेगा और परिवार में अगर छ: व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति को काम मिलेगा तो बाकी पांच व्यक्तियों का क्या होगा ? उनको कहां से काम मिलेगा ? इसमें यह भी प्रावधान है कि एक तिहाई काम औरतों को दिया जाएगा। इस बिल में बहुत विामताएं हैं। इसमें क्लेरिटी नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि बिल पास करने के बाद, …(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, आपने अभी चार मिनट का समय मुझे दिया और एक मिनट में ही आप घड़ी देख रहे हैं। …(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे पास कराना चाहते हैं लेकिन इसमें जो विामताएं हैं, उनको जब तक दूर नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने देखा है कि जिला पंचायतों और ब्लॉकों में एक ही सड़क बनाने के लिए चार-चार बार पैसा दिया जाता है और वही सड़क बार-बार बनाई जाती है*[R87]

मान्यवर, अगर इसी तरह से धन का दुरूपयोग होगा तो देश में कोई परमानेन्ट एसेट नहीं बनेगा। इसी के साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस बिल में राज्य सरकारों के लिए 10 प्रतिशत योगदान देने का जो प्रावधान किया गया है, वह सही नहीं है क्योंकि ज्यादातर राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी के साथ ही साथ पक्के काम के लिए 40 प्रतिशत योगदान राज्य सरकारों को देना पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकारें यह राशि कहां से लाएंगी? बिल में यह जो प्रावधान रखा गया है, उसे हटाया जाना चाहिए। इसी के साथ, मैं इस बिल से हटकर यह कहना चाहूंगा कि आजादी के 58 साल बाद भी शिक्षित बेरोजगारों के लिए हमने कुछ नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए अलग से सरकार एक बिल लाए। हमारे लेफ्ट फ्रंट के साथी यहां बैठे हुए हैं और पश्चिम बंगाल में शायद वे बेरोजगारी भत्ता देते हैं। मैं चाहता हूँ कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए और हमें पढ़े-लिखे नौजवानों को काम देना चाहिए। अगर सरकार उन्हें काम नहीं दे सकती है तो उनको जिस तरह मजदूरों के लिए 60 रूपए न्युनतम मजदूरी देने की बात कही गयी है, उसी से बेरोजगारी भत्ता देने का काम करें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bikram Keshari Deo - only four minutes please.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): I will be very brief.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not only very brief but you also have to complete your speech in four minutes.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO Sir, one minute has already gone. You have taken one minute away. So, I will speak for four minutes.

Sir, the Bill is a good Bill. Its intentions are good as it provides rural employment to the poor people. It is a good Bill. There is no question of opposing it. But we have the past experience in this regard. So also the C&AG reports, various reports and the reports of the Planning Commission which tell us about its implementation. These schemes have been there for 30 years - Swarn Rozgar Yojana, Sampoorna Grammen Rozgar Yojana and JRY. The outcome is that there has been no decline in the demand for unskilled wage labour under any of the schemes. Modest impact has been made in the reduction of poverty and reduction in the unemployment sector in the States. These are the results. Let the same thing not happen to this scheme also. Seriousness should be there.

Dr. Raghuvansh Prasad Singh is an able Minister. I have seen him performing as the Opposition Member. I think, he will implement this Bill in its true soul and spirit so that the poorest of the poor are benefited.

But here we are very sad to state that till now the BPL list is a matter of *sub-judice* as it is before the Supreme Court. So, the Government should at least make a prayer before the hon. Court to immediately take a decision on it so that more people can be benefited from this Bill.

I support all the amendments made here by the hon. Minister. But in the amendment No.49(1) moved by the Minister, in the Schedule, land reforms beneficiaries and the Indira Awaz Yojana beneficiaries are inserted.. I would request to plead that another category, that is, those people who have been affected by natural calamities like the Supercyclone, be added. People from the category of APL, because of being affected by

natural calamities, come under the category of BPL. For them, again to come back to the category of APL, it takes about three to four years. So, this category of people should be included in the Schedule. Therefore, I would request the hon. Minister to kindly take up this matter.

Sir, another matter is that in case of deaths, injuries under this scheme, it has been assured that they would be getting Rs.10,000. हम यह कहना चाहते हैं कि उनको एश्योरेंस कवर दीजिए और इसे मैण्डेटरी कीजिए[r88]*

उसके जरिए एक गरीब आदमी का भविय, उसके परिवार का भविय सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं उसे इंशोरेंस कवर मिले। हमने अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में देखा है कि नेशनल फैमिली बैनिफिट स्कीम्स, जो गरीबों के लिए लागू की जाती हैं, अभी तक हमारे जिले में नहीं पहुंची हैं। वे योजनाएं उड़ीसा में, केबीके जिले में नहीं पहुंच पाई हैं। यदि यह भी इसी तरह से होगी, तो फिर लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। यदि कोई गरीब आदमी काम करते समय मर जाता है, तो उसके परिवार का भविय अंधकार में डूब जाता है। इसलिए उसे इंशोरेंस में क वर किया जाना चाहिए। अब तो प्राइवेट सेक्टर भी इंशोरेंस में आ गया है। उन्हें आप गांवों में जाने के लिए कहें। वे अभी तक शहरों में ही काम करते हैं, उनके लिए हमने 26 प्रतिशत का नि वेश करने को कहा है कि इस आधार पर वह इंशोरेंस सेक्टर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी तक प्राइवेट इंशोरेंस कम्पनीज गांवों में नहीं गई हैं, रूरल बेरूड नहीं हुई हैं इसलिए वे वहां जानी चाहिए और उन्हें काम करना चाहिए।

हमें पता चला है कि the private sector in the insurance sector will be actively serving the poor. Sir, I come from a very, very backward area, that is, the KBK district. कई एनजीओज भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। लेकिन जिन एनजीओज की क्रैडिबिलिटीज है, जो हर साल रिपोर्ट देती हैं, वैसी एनजीओज को लगाएं। जैसे रामकृण मिशन है, उनकी इंटरनेशनल मानिटरिंग फंड ने और विश्व बैंक ने सराहना की है। They have said that Ramakrishna Mission is one of the best organisations of India and Bengal. Their work has been commended by the International Monetary Fund. वैसी संस्थाओं को लगाएं। इसी तरह से चिन्मय मिशन है, उसे लगाएं। जो एनजीओज बीच में आती हैं, उससे पता चलता है कि उनकी कोई क्रैडिबिलिटी नहीं है। हमारे राज्य में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे डीएफआईडी है, इंटरनेशनल फंडिंग की स्कीम चल रही है, सर्व शिक्षा अभियान का काम चल रहा है और कई एनजीओज इसमें लगी हुई हैं। लेकिन वे ठीक से काम नहीं कर रही हैं। हम जब विजिलेंस कमेटी की मीटिंग में उनकी सालाना रिपोर्ट देखते हैं, तो पता चलता है कि वे ईयरली परफारमेंस उपस्थापन नहीं करते हैं। इसलिए एनजीओज वह होनी चाहिए, जिसकी कोई साख हो।

इस बिल के शुरू में है, Clause 2(g) in Chapter I says that '"implementing agency" includes any department of the Central Government or a State Government, a Zila Parishad, Panchayat Samiti, Gram Panchayat or any local authority or Government undertaking or non-governmental organisation authorised by the Central Government or the State Government to undertake the implementation of any work taken up under a Scheme.' नॉनगवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशन होगा, उसे क्रैडिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी और वह जिले में एनुअल रिपोर्ट सब्मिट करे, नहीं तो विभिन्न जिलों में जो एनजीओज आकर काम करती हैं, वह देश के पैसे को लूटती हैं और धर्मांतरण का काम करती हैं। इस तरह से वे बेकार के धंधे कर रही हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए, जिससे वे इस तरह के धंधों में लिप्त न हो सकें।

मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि जब मणि शंकर जी बोल रहे थे इम्प्लीमेंटरी एजेंसीज के बारे में कि ग्राम सभा में निर्णय होगा आपके काम का और वहां एक प्रोग्राम अधिकारी रहेगा। प्रोग्राम अधिकारी यदि 50 प्रतिशत काम का निर्णय लेता है, तो आपके 73वें संविधान संशोधन का, जिसमें पंचायतों को एम्पावरमेंट दिए गए हैं, सक्रिय किया गया है, उनके रोल को मजबूत किया गया है, वह कहां जाएगा, क्योंकि वह भी जन प्रतिनिधि है। आपका जो प्रोग्राम अधिकारी नियुक्त होगा, तो जैसे सचिव और सरपंच में विवाद चलता रहता है, वह वहां भी रहेगा। इससे आपके गांवों में जो काम होगा, उसमें क्षति होगी। मणि शंकर जी अपने भाण में कह रहे थे कि 'Panchayat has got all the powers.' The Panchayat has all the powers right from 73rd Amendment. When the Constitution was amended for the 73rd time to empower Panchayats, what were they doing? JRY was there; EGS was there; RLAGP was there. What were they doing? They were doing nothing[k89]..

If you truly want to give power to the people, Panchayats and Gram Sabhas should be strengthened. Otherwise, the spirit and soul of the 73rd Amendment will be lost and the decentralisation of power right from the Centre to the grass roots will be destroyed. So, that channel has to be kept clean. Like late Shri Rajiv Gandhiji had mentioned, out of every one rupee spent, only 19 paise reach the masses.

With these words, I support this Bill and I am supporting it because it is a progressive Bill. But I would say, do not make this Bill a Utopian dream.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH I thank you hon. Deputy Speaker, Sir, for giving me this opportunity. I rise to support this National Rural Employment Guarantee Bill brought forward by this UPA Government in this august House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can speak only for four or five minutes.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : Sir, I feel very proud in congratulating my UPA Government, UPA Chairperson, our hon. Prime Minister and, of course, the champion of the poorest of the poor, our Rural Development Minister Dr. Raghuvansh Prasad Singhji. I would also like to thank our Chairman, Standing Committee on Rural Development, Shri Kalyan Singhji, who, under his leadership, ensured consensus on these recommendations. No doubt, it is a historic Bill. Though my friends in the Opposition will not agree with me, it is a historic and revolutionary Bill. But I am having my own arguments.

Sir, this Bill, which ensures job to the unemployed youths in the largest democracy, that is, India, is the first of its kind in the world. Our Government is candid and honest in accepting that unemployment in the rural sector is a challenging national problem. It is honestly trying to address this problem by bringing a ray of hope among these hopeless millions of unemployed youths in the rural sector, who are suffering from illiteracy, ill-health and other infrastructure problems. Sir, in my view, unemployment is an undeclared death sentence passed on to the millions of

youths whereas this country requires their dynamic energy for nation building. It is not only a social crime, but a national crime also. We cannot reject our younger brothers and sisters from participating in nation building. That is why I see a direct link between unemployment and terrorism, naxalism and dowry deaths. I also see a direct link between unemployment and prostitution where our beloved sisters, mothers and daughters are selling their bodies to feed their children and families. It is a social crime. We should, rising above party differences, address this. I hope my brothers on the other side will accept this.

Sir, a hungry mouth or stomach will not understand what is dignity, what is humanity or patriotism. Even though they are patriotic youths, but this nation rejected them. Whether we belong to this side or that side, we must admit that as a nation, we failed to address this unemployment problem. But, at least, this UPA Government has accepted this and admitted that it is a problem; let us honestly try to address this problem in a challenging manner.

Sir, in this Bill, there is one thing which I would like to appreciate. My brother from the Opposition, Shri Swain, has expressed some doubts and said that things like afforestation, watershed, linking of villages, and all that are unproductive. I would like to bring it to the notice of this House that in the rural sector, the women, youths or these boys are not skilled labourers. You do not look at things in a direct manner. Even irrigation can generate lots of job opportunities in agriculture sector. When they get some perks through these activities, it will generate a lot of opportunities in the education sector. It will bring some confidence and that is very important. It will bring some hope and will really bring some patriotism. My country will be steering like that.

I, now, come to my last point. I would like to mention here that Indiraji dreamt to empower the women. We cannot empower women through speeches alone. We must ensure one-third reservation for them in the jobs under this scheme. Then only we can have this empowerment of women where a mother will not face a situation wherein she sells her dear babies. That is why, I would say that this Bill is not everything. This Bill is not going to bring heavens to this nation. We are not in such illusions. It is definitely an honest and a bold attempt to address this problem. I would request that the whole House must stand united to address this problem.

With these words, I support this Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Sita Ram Singh. You may please take only four minutes.

श्री सीताराम सिंह महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं अपनी बात तीन मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। महोदय, मैं इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन करता हूं और मैं माननीय ग्रामीण ि वकास मंत्री जी को, यूपीए गवर्नमेंट को और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जी को धन्यवाद देता हूं। हमें इस बात की खुशी है और मेरा सौभाग्य है कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर की हैसियत से इस बिल के लिए जो हम लोगों ने सुझाव स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से देने थे, हम लोगों ने दिए थे। महोदय, सुझावों के काफी अंशों को इस विधेयक में लिया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुछ अमेंडमेंट भी किए गए हैं और कुछ नई बातें भी आई हैं। महोदय, मैं इसी बिल को इस पार्लियामेंट के अंदर देख रहा हूं, चाहे वे किसी भी पार्टी के माननीय सदस्य हों, मगर इसका विरोध करने की किसी में हिम्मत नहीं है। …(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may please address the Chair.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb him.

श्री सीताराम सिंह : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल गांव जहां इस देश की सबसे बड़ी संख्या बसती है, उस संख्या के लिए लाया गया है। विशेाकर जो खेतिहर मजदूर हैं, जिनको एक दिन काम देने की गारंटी इन 58 वर्ाों में नहीं मिली, भले ही उन्हें काम मिल गया हो, लेकिन सरकारें आतीं-जातीं रहीं, लेकिन उनको एक घंटे भी काम मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं थी। महोदय, यह पहला बिल है, पहली सरकार है, पहले मंत्री हैं, जिन्होंने हिम्मत जुटाई है कि कम से कम सौ दिन के काम की मजदूरों की गारंटी दी है।

महोदय, इसलिए यह बिल ऐतिहासिक तो है ही, साथ ही सराहनीय बिल भी है। मैं कहना चाहता हूं कि यह तो प्रशंसा की बात हो गई, लेकिन इस पर अधिक न बोलकर मैं मजदूरों के पक्ष में दो शब्द कहना चाहता हूं। उन्हें सौ दिनों का काम मिले, चलिए यह एक बार में किसी सरकार के लिए संभव नहीं है कि वह इतना खजाना खोल दे। यद्यपि देश की सबसे बड़ी आबादी के लिए सबसे कम खजाने का प्रतिशत खर्च हुआ है और सबसे छोटी आबादी के लिए सबसे अधिक देश के खजाने को खर्च किया गया।

महोदय, मैं पिछली सरकार के लिए कोई आपत्तिजनक बात नहीं कहना चाहता, मगर मैं कहना चाहता हूं यह जो सौ दिन काम के लिए विधेयक लाया गया है और सभी माननीय सदस्यों ने इस विाय पर अपने सुझाव दिए हैं, मेरा भी सुझाव है कि आप परिवार की आपने जो परिभाा दी है, उसे आपने ठीक से परिभाति नहीं किया है। यह बात स्पट होनी चाहिए कि एक परिवार के 18 वर्ा की उम्र के हर एक एडल्ट आदमी, चाहे दो हों, तीन हों, चार हों, पुरूा हों, मर्द हों, काम करने वाले हैं, तो उसको काम मिलना चाहिए, महोदय यह मेरा पहला सुझाव है।

महोदय, मेरा दूसरा बात यह कहना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, इस रजिस्ट्रेशन के मामले में व्यावहारिक है, उसमें हमें भी संदेह होता है कि इसमें फिर घपलेबाजी होगी और जो पढ़ा-लिखा आदमी है, वह गांवों के अनपढ़ आदमियों के साथ बेईमानी कर सकता है, उसकी दरख्वास्त फेंक दे, उसका रजिस्ट्रेशन न करे, बेईमानी हो सकती है। महोदय, हम लोग तो गांवों से ही आते हैं और यहां से जा समय मिलता है उसके बाद दिन भर गांव में ही रहते हैं। महोदय इस पर किस तरह से सशक्तीकरण हो? मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस पर जवाब देने से पहले एक बार और सोचना SÉÉÉÊcA[c90]*

महोदय, बेरोजगारी के आलम में पूरे देश में सबसे अधिक बुरी हालत बिहार की है। वहां के लोगों को एक दिन काम नहीं मिलने वाला है। वहां के गरीब मजदूर सीधे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली मजदूरी के लिए चले जाते हैं। वे बाहर घूमते रहते हैं। मैं इस बिन्दु पर माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो 200 जिलों की सीमा तय की है, उसमें बिहार पर विशेा कृपा करिए। आपने फूड फॉर वर्क की जो योजना दी है उसके लिए धन्यवाद लेकिन कुछ ऐसे गरीब जिले हैं जहां के लोगों को बाहर जाने के लिए ट्रेन में जगह नहीं मिलती है। हमारा मोतिहारी, सीतामढ़ी, बेतिया जिला जो नेपाल के बॉर्डर में है, वहां के तमाम गांव के गांव खाली हो जाते हैं। वहां पुरुा नहीं रहते हैं। केवल महिलाएं रह जाती हैं। पुरुा बाहर काम करने के लिए जाते हैं। इसलिए आप इस पर कृपा करें। आप इन जिलों को इसमें जोड़ें ताकि वहां के मजदूरों को काम मिल सकें।

यह विधेयक हर तरह से पारित हो जाएगा लेकिन आगे भी इस पर विचार करिए। गरीब मजदूरों के बारे में यहां चर्चा हो रही है। गरीब मजदूरों को काम मिलना चाहिए लेकिन 100 दिन की समय सीमा को आगे बढ़ाइए। इसमें समय सीमा बंधी है। हमने इस बिल को लाने में रघुवंश बाबू की मेहनत देखी है। उनके

मन में साल भर से छटपटाहट थी। हमारी कई बार उनसे इस बारे में चर्चा हुई। उन्होंने हम से कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को लाने में जल्दी क्यों नहीं करते? आज लगता है कि इस बिल को लाकर सदन में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं पुनः इसकी सराहना करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री बसुदेव आचार्य जी, आप केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य उपाध्यक्ष महोदय, मैं यूपीए सरकार का अभिनन्दन करना चाहूंगा कि उसने ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए एक विधेयक सदन में पेश किया। इस पर बृहस्पतिवार को भी चर्चा हुई। मैं इसलिए भी अभिनन्दन करना चाहूंगा कि यूपीए सरकार का जो साझा न्यूनतम कार्यक्रम है, जिसके आधार पर यह सरकार बनी और वामपंथी दलों ने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया। हमारी भी यही मांग थी। साझा न्यूनतम कार्यक्रम जो देश की गरीब जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए है, खेतिहर मजदूरों, गरीब किसानों या छोटे-छोटे उद्योगों में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। हम चाहते थे कि सरकार उस दिशा में कदम उठाए। सरकार ने इस दिशा में एक कदम उठाया है।

देश में 22 करोड़ आबादी खेतिहर मजदूरों की है। 40 करोड़ मजदूरों में साढ़े 37 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र में और 22 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं। पिछले दिनों से जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी है, खास तौर पर खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में कमी आई है, उस दिशा में उठाया गया एक कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है। Growth in employment is only 0.58 per cent. यह एक बड़ा कदम है। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा कि हम बहुत दिनों से यह मांग कर रहे थे कि काम का अधिकार मूलभूत अधिकार होना चाहिए। Right to work should be included within the Fundamental Rights of our Constitution. इस तरह से हमारी वह मांग और मजबूत cÉäMÉÉÒ[R91]*

[p92]

इसकी विरोधी पक्ष के लोग आलोचना कर रहे हैं कि इसमें ये कमियां हैं, इसमें यह है और वह है, एक परिवार में एक को मजदूरी मिलेगी तो परिवार में झगड़ा हो जाएगा, सौ दिन क्यों हैं इसे बढ़ाया जाए, अभी 200 जिले में यह होगा, इसे पूरे देश में शुरू किया जाए। हमारा सवाल यह है कि पिछले दिनों में जब एनडीए सरकार थी, उस समय खास कर कृाि क्षेत्र में जो संकट पैदा हुआ था उसका मुख्य कारण था उस समय कृाि क्षेत्र में सबसे कम कैपिटल फॉरमेशन हुआ था, जिसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट कहते हैं, पिछले दिनों कम हुआ है जिस कारण स्टारवेशन डेथ्स हमने देखीं, सुसाइडल हमने देखा, farmers committing suicide. One single problem is the unemployment both in rural as well as in urban areas. In rural areas, the growth is only 0.58 per cent and in the urban areas, it is 1.17 per cent. पिछले दिनों आर्थिक सुधार की बात सुनते आ रहे हैं, यह हमारा तजुर्बा है कि देश में अमीर और गरीब में अंतर बढ़ा है। The gap between the rich and the poor has increased during the decade of economic reforms. देश में गरीबी बढ़ी है और देश में बेरोजगारी बढ़ी है। हमारे देश में जो कुटीर उद्योग है, उस पर भी संकट आ गया है। No steps were taken to revive the small and cottage industries. With the result, lakhs and lakhs of workers who were employed in the small and cottage industries have become jobless during this period. इसीलिए हमने यह मांग की थी और जिसे हमें प्राथमिकता देनी चाहिए वह है रोजगार देना चाहिए। पिछले दिनों बहुत-से प्रोग्राम्स का इम्पलीमेन्टेशन हुआ है। In the past, the problem of unemployment and poverty have not been addressed properly and because of that, unemployment and poverty have increased, particularly among the rural poor. The implementation of this legislation would definitely address this problem to some extent[r93].

21.00 hrs[RB94]

इसलिये हमारी मांग है कि we should not wait for five years. It has been said that within the next five years the entire rural India would be covered by this programme. My point is that we should not wait for five years for this to happen. The Government should try to extend this programme to all parts of the country as soon as possible. Money will not be a problem for a country like India. Our Tax-GDP ratio is the lowest and we can increase that. Moreover, more than a sum of Rs. 1,30,000 crore is locked in NPAs and every year a few thousand crore of rupees is being written off as bad debt. So, money would not be a problem for implementation of this programme. The Government only will have to sincerely implement the programme. जितनी जल्दी हो सके, इसे पूरे देश में बढ़ाना चाहिये। केवल रूरल एरिया में ही नहीं, अरबन एरिया में भी आज बेरोजगारी की भारी समस्या है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अनुसार केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी बेरोज़गारों को रोज़गार देने और इसकी गारंटी देने के लिये सरकार कानून लाये। इसलिये जितना जल्दी हो सके, ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों के लिये भी अलग से कानून लाया जाये। क्योकि देश की यह सब से बड़ी समस्या है, मेरी मांग है कि

जल्दी से जल्दी शहरी क्षेत्रों के लिये बेरोज़गारों को रोजगार दिये जाने का व्यवस्था की जाये। यू.पी.ए. सरकार का यह ऐतिहासिक कदम इसलिये है क्योंकि इसमें रोज़गार की गारंटी है।

मैं सरकार के इस ऐतिहासिक कदम के लिये सरकार का अभिनन्दन करते हुये अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं।

श्री प्रदीप गांधी महोदय, बेंच में बैठी यूपीए सरकार ने रोजगार की गारंटी वाला विधेयक संसद में पेश कर दिया है। मैं आपके माध्यम से इनके कुछ प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्ति करना चाहूंगा। जैसा कि बिल का नाम है " राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक 2004 " अर्थात शहरी गरीबों के लिए तथा शहर में रह रहे बेरोजगारों के लिए काम की गारंटी नहीं दे रहा

है अर्थात यूपीए सरकार एक बहुत बड़े वर्ग को छोड़कर निर्णय कर रही है। देश के केवल 150 जिलों में यह स्कीम चलाई जाएगी अर्थात लगभग 450 जिले इस स्कीम के लाभ से वंचित रहेंगे। मेरा सुझाव है कि यह योजना पूरे देश में एक साथ लागू की जाए।

इस योजना में बीस प्रतिशत राशि राज्यों को लगाना है, अनेक राज्यों की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण से वे इतना भी अंशदान नहीं लगा पाएंगे। ऐसी स्थिति में वे राज्य योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे। अतः मेरा सुझाव है कि यह योजना शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि अनेक केंद्रीय योजनाओं में राज्यांश नहीं लगा पाने के कारण से राशि वापस हो जाती है, यह हम सब जानते हैं।

इस योजना के माध्यम से जो परिसम्पत्ति का निर्माण होगा, उसकी गुणवत्ता पर विशेा ध्यान देने की आवश्यकता होगी तथा योजना में किसी प्रकार का भ्रटाचार न हो, इसके लिए कुछ ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है, ताकि पूर्व में चलाई गई ग्रामीण विकास योजनाओं का जिस तरीके से हश्र हुआ है, वैसा इस महत्वपूर्ण योजना का न हो। यह चिंता हम सभी को करनी होगी।

पहले कांग्रेस ने गरीबों हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी, बल्कि योजनाएं अपने मूल उद्देश्य से भटक गईं और गरीब व्यक्ति और गरीब बनकर कर्जदार हो गया। सभी ने मिलकर उसके साथ मजाक किया। इसके कारण से हमारे देश में गरीबी और बढ़ी तथा आबादी के बढने से तथा मशीनीकरण से बेरोजगारी भी बढ़ी, अतः ऐसी स्थिति में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह विधेयक वासतव में जरूरतमंद लोगों को रोजगार दे तथा काम के अभाव में पलायन करने वाले मजदूरों को वहीं रोककर जरूरी तथा उत्पादक परिसंपत्ति के निर्माण में लगाकर काम का अवसर दे।

कांग्रेस इस विधेयक का राजनैतिक लाभ उठाने की चेटा न करे, चूंकि पूरा सदन इस बिल पर सकारात्मक दृटिकोण लेकर चल रहा है, अतः यह बिल किसी एक राजनैतिक दल का बिल नहीं अपितु इस देश के लिए तथा समाज के गरीब वर्ग तथा काम के अभाव में पलायन करने वाले लोगों के लिए एक ताकत के रूप में उनका मार्गदर्शन करेंगा।

---

* Speech was laid on the Table.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत बिल निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करने में सहयोगी होगा। सरकार ने 150 जिलों में जहां काम के बदले अनाज योजना चालू है को चयनीत किया है, साथ ही और 50 जिलों को भी सम्मिलित करके कुल 200 जिलों को प्रथम चरण में लेने का जो निर्णय किया है, वह सराहनीय है। सरकार ने इस योजना के लिए बजट राशि का खुलासा नहीं किया है। हमें शंका है कि रोजगार गारंटी योजना में 150 वे जिले चयनीत हैं जहां काम के बदले अनाज योजना चालू है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनाज तथा राशि को इस योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए अलग से राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मेरा सुझाव है कि रोजगार उन्मूलक कार्यक्रमों को ही लिया जाए तथा राज्य की अंश-राशि के प्रावधान को विलोपित किया जाना चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की पुनः समीक्षा करके इनकी पहचान की जाए और कार्यों पर सतत निगरानी का आवश्यकता है। अतः सांसदों की अध्यक्षता में गठित सतर्कता निगरानी कमेटी को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।

---

* Speech was laid on the Table.

SHRI L. RAJAGOPAL Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support this National Rural Employment Guarantee Bill. At the very outset I would like to recollect the words of Mahatmaji, who said: `The cost of liberty becomes a mockery if the prices to be paid is wholesale destruction of those who are to enjoy this liberty.'

Sir, today we are witnessing huge unemployment both in rural as well as in urban areas. People need employment so that they can live with dignity, they can live with confidence, they can have a source of income and also they can feed their families and live happily. But unfortunately we have the liberty to speak and express ourselves in this august House in as many words as we want, but in reality what is happening in terms of deeds is that words are not getting translated into deeds. That is the reason why this Government, headed by Dr. Manmohan Singh and with the blessings of Shrimati Sonia Gandhi and support of the alliance partners, has brought forward this historic Bill, namely, the National Rural Employment Guarantee Bill[snb95].

A lot of people think what is historic or unique about this Bill. Nowhere in the world we have the National Rural Employment Guarantee Bill. This Bill ensures that every member of a family gets work for minimum 100 days. That is the reason this Bill is called historic and unique one. Creation of work is not a new thing. It may be unique in this modern world. But if you go back, 5,000 years, when there were floods or when there was lack of work, the rulers of Egypt created work, by building pyramids. In those days pyramids might have been unproductive assets. But looking back, in today's world, the same pyramids are creating a lot of income to the country by way of tourism. Similarly, in India, we have Taj Mahal. All of us know that Taj Mahal is the symbol of India. In those days it took 20 years to build that and thousands of people were involved in its construction. Creation of work has been there. Today, the same Taj Mahal stands as a symbol of India and a lot of tourism is generated because of such monuments. That is the reason this Government chose to come out with this Act so that we can create useful assets. It could be restoration of water bodies, it could be water harvesting; it could be afforestation; or it could be linking of roads. We can do these things in order to create work for rural poor so that youth, women and other segments of the population get employment. We need to understand the importance of this. It is not that we are giving them Rs. 60 per day. A lot of people say that we are giving them only Rs. 500 per month. It is a misconception. It is not that they are earning only Rs. 500. But we are giving them a source of guarantee so that everybody works with dignity. It is not that they work for only 100 days. Once work is created, the work could be carried on for the whole of the year and work can be created for hundreds of hours which can be given to the rural poor. People ask as to why we cannot extend this universally, that is to the urban areas also. We need to understand that we need to start somewhere. Once you arrest the migration of rural poor to urban areas that can be achieved. That can be achieved only by addressing the issue of unemployment in rural areas. Once employment is created in rural areas and the flight of rural poor to urban areas is arrested, there will not be any unemployment problem in urban areas. That is the reason this Government has started and initiated this Act, covering 200 districts, to start with, in rural areas.

We also need to understand that at what stage this Government came in. This Government came in at a stage when there was a lot of communal hatred, when there was a lot of bloodshed, when the whole country was divided into regions and communities. This Government came at that stage. The earlier Government, the NDA Government did not focus on nation building or *Bharat Nirman.* They were interested in destroying places of worship rather than building nations, rather than creating work. That is the reason the entire country was engulfed in darkness. At that stage, this Government came bearing a torch showing them light. At this juncture, I would like to recall what Mr. John F. Kennedy once said. He said:

> "We are not here to curse the darkness, but we are here to light a candle so that we can guide the future generation to a safe and sane Future. "

That is the reason this Government has brought in the theme of *Bharat Nirman.*

At this stage I would like to tell the House what the Andhra Pradesh Government is doing in that State. There the Government is investing Rs. 46,000 crore for building projects for irrigation. Today we are witnessing good rainfall and there is flood. But at times it does not rain at all and there is drought. So, we have to ensure that the rain we have received during the best years is used during the lean periods. That is the reason we need to build reservoirs like Nagarjunasagar, Bhakra-Nangal and Hirakud. The Government of Andhra Pradesh is also building 8 lakh houses for rural poor every year. The Government of India is building 15 lakh houses and the Government of Andhra Pradesh is building 8 lakh houses per year so that a lot of employment is created and a lot of storage capacity is created by building these dams so that water can be stored and used.

21.10 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan *in the Chair*)

Here, I would like to cite the example of the smallest creature in the world, that is ant. See how it plans, how it keeps on working. It is the smallest creature in the world, whereas human beings are the most intelligent creature. We need to understand how ants function[r96].

It keeps on working. You never see ants being stationary. It always carries something not only for today's needs but for future needs. So, it keeps on storing for future needs and builds up capacity for future needs. We need to draw example from that. We need to understand all these things. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI L. RAJAGOPAL : Sir, I would like to say the last point. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: It is night now.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We will have to conclude it before midnight.

SHRI L. RAJAGOPAL : Similarly, this Act will definitely empower the people and will ensure that people live with dignity. So, it is a good beginning. Definitely, this Government will ensure that this would spread to all over India and cover both rural and urban areas.

श्री हंसराज जी.अहीर महोदय, आपने मुझे राट्रीय रोजगार गारंटी विधेयक पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस रोजगार गारंटी विधेयक को रोजगार गारंटी बिल माने या ""नो" रोजगार गारंटी बिल माने, क्योंकि साल में सौ दिनों का रोजगार देने वाली इस योजना में 265 दिन रोजगार नहीं मिलेगा। इस बिल में 1/3 दिनों का भी रोजगार नहीं मिलेगा। अगर सरकार 2/3 या कम से कम 1/2 दिनों का रोजगार यानि 183 दिनों का रोजगार देती तो यह रोजगार गारंटी बिल बनता। यह तो "नो" एम्प्लायमेंट बिल है। यह बिल राट्रीय स्तर पर लागू नहीं है। सिर्फ 200 जिलों में यह योजना चलाई जाने की बात कही गई है। 600 जिलों में से सिर्फ 1/3 जिलों को ही इस योजना में शामिल किया गया है। इसे राट्रीय योजना नहीं बनाने की सरकार की मंशा है। इसे राट्रीय रोजगार गारंटी हम नहीं मानते, क्योंकि इसमें सभी जिलों को समाहित करना चाहिए था, फिर भी इस बिल द्वारा इस योजना को लागू करने पर ग्रामीण विकास मंत्री अपने आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी भी इसे ऐतिहासिक कदम कह कर लक्ष्य पूर्ति का दावा कर रही हैं। यह कैसी लक्ष्यपूर्ति है, यह कैसा ऐतिहासिक कदम है? हमारे महाराट्र में यह कार्यक्रम EGS, EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME नाम से वर्ा 1974 से ही चलाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी मानते हैं कि यह महाराट्र से लिया गया कार्यक्रम है। फिर इतिहास किसने रचा है, महाराट्र ने या यूपीए सरकार ने। यह इतिहास नहीं है, यह ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने की लक्ष्यपूर्ति भी नहीं है। भले ही कांग्रेस व आजेडी इसे लक्ष्यपूर्ति समझे, हम नहीं समझते हैं।

गरीबों के लिए रोजगार की योजनाएं नई नहीं हैं। तीन दशक पहले बीस सूत्री कार्यक्रम में भी रोजगार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, काम के बदले अनाज जैसी अनेक योजनाएं सरकार चलाती आ रही है। उक्त रोजगार गारंटी योजना में केवल नई बात यह है कि पहले की छोटी-छोटी योजनाओं को एकत्रित कर सरकार ने इसे कानून की शक्ल दी है। अब तक रोजगार की जो योजनाएं चल रही थीं, वह सरकार तथा स्थानीय प्रशासन की कृपा से चलती रही हैं। आज इस इलाके में शुरू हुई और कल बंद हो गईं। लोगों को रोजगार सरकारी बाबुओं की कृपा से मिलता था। बाबू, सरपंच या ठेकेदार ने चाहा तो काम कराया या नहीं कराया, लेकिन अब रोजगार गारंटी के तहत इसे कानून की शक्ल देने से जरूरतमंद लोगों को इन बिचौलियों से छुटकारा मिलने की आस बंधी है।

---

* Speech was laid on the Table.

सरकार द्वारा देश के चुनिंदा 200 जिलों में यह योजना लागू करने का संशोधन द्वारा निर्णय लिया गया है। क्या देश के बाकी 400 जिलों में गरीबी नहीं है और यह रोजगार गारंटी सिर्फ ग्रामीण लोगों के लिए है? क्या शहरों में भूखमरी नहीं है? रोजगार की पूरी तरह से गारंटी के लिए सरकार के पास यदि पर्याप्त पैसा नहीं है तो कहे कि उसके पास फंड नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है कि जनता यह समझे कि वह रोजगार की गारंटी दे रही है। यदि यह काम चरणबद्ध तरीके से करना है तो गारंटी कानून का ढोल पीटने की क्या जरूरत है? अन्य योजनाओं के जरिए से भी काम चल रहा था।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय द्वारा अपने भााण में विधेयक में भ्रटाचार और हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी तथा स्ट्रिक्ट विजीलेंस, लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता के तीन सूत्री फार्मूले को अपनाने की बात कही है। संप्रग अध्यक्ष माननीया सोनिया जी ने इसे महाराट्र की योजना से प्रेरित बताया है, लेकिन महाराट्र में विगत 30 वर्ाों से शुरू योजना का कार्य निपादन देखें तो यह योजना भ्रटाचार की बलि चढ़ी है। योजना में बड़े पैमाने पर भ्रटाचार उजागर हुआ है। महाराट्र में इस बारे में एक कहावत है "रोजगार हमी, काम कमी" महाराट्र में सरकारी तंत्र से सांठ-गांठ कर मजदूरों के फर्जी नाम लिख कर करोड़ों रुपए लूटे गए। आंकड़ों से भी इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाई है। 30 वर्ाों से लगातार इस योजना पर महाराट्र सरकार द्वारा नौ हजार करोड़ रुपए की लागत से 370 करोड़ मानवदिनों का रोजगार जनित किया गया। यह स्पट है कि इसके परिणामस्वरूप न तो गरीबी कम करने और न ही बेरोजगारी कम करने के रूप में पर्याप्त परिणाम प्राप्त किए जा सके हैं। 30 वर्ाों बाद भी अकुशल मजदूरी संबंधी काम की मांग में कोई कमी नहीं हुई है। वर्ा 1975 में इसने ग्यारह करोड़ मानवदिन, 2000-01 में 11.1 करोड़ मानवदिन और 2001-02 में 16.2 करोड़ मानवदिन रोजगार कायम किया। राज्य में गरीबी दूर कने या बेरोजगारी कम करने के रूप में कोई आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त नहीं की है। अन्य राज्यों की तुलना में महाराट्र का निपादन घटिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराट्र में वर्ा 1999-2000 में निर्धनता का अनुपात 23.72 प्रतिशत था, जिसके कारण भारत के 15 मुख्य राज्यों में महाराट्र ने 9वां स्थान प्राप्त किया। वर्ा 1973-74 में राज्य 7वें स्थान पर था। इससे साबित होता है कि महाराट्र की रोजगार गारंटी योजना ने न तो गरीबी कम करने और न ही बेरोजगारी कम करने में सराहनीय परिणाम प्राप्त किए हैं। महाराट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की बड़े पैमाने पर हो रही आत्महत्याएं तथा कुपोाण इस योजना की असफलता की दास्तान है। अभी अकाल पीड़ित लोग का रोजगार गारंटी में काम शुरू करने के बाद भी पलायन हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि महाराट्र की योजनाओं की खामियां देखते हुए इससे सबक सीख कर भ्रटाचार की शिरकत रोकने के लिए अधिक पारदर्शी नियम बनाए जाने चाहिए तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सतर्कता एवं निगरानी समितियां बनानी चाहिए।

रोजगार गारंटी विधेयक में केवल एक परिवार के एक व्यक्ति के लिए रोजगार गारंटी की बात कही है। परिवार के एक सदस्य के लिए योजना सीमित करने से इस योजना के द्वारा परिवार सक्षमीकरण का लक्ष्य पाना कठिन है। परिवार के एक व्यक्ति को काम मिलने से 60 रुपए की मजदूरी से अधिकतम छह हजार रुपए में उसकी पारिवारिक जरूरतें आज की महंगाई में पूरी होगी, यह अविश्वसनीय लगता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 6378 रुपए उपभोग खर्च है। जहां परिवार के सारे वयस्क ही नहीं, बच्चे भी काम करते हैं तो भी परिवार का पेट मुश्किल से भरता है। वहां इस तरह की शर्त व्यर्थ सिद्ध होगी। इससे ग्रामीण परिवार विघटन की ओर बढ़ेंगे, जमीन का बंटवार बढ़ेगा, सामाजिक ढांचा चरमरा जाएगा। इसलिए इसमें परिवार के एक सदस्य की जगह जो काम करने के लिए तैयार हो, उसे काम देने का संशोधन किया जाना चाहिए।

इस विधेयक के शेड्यूल 2 के अनुसार सभी पात्र मजदूरों का रजिस्टर बनाया जाना है, लेकिन प्रार्थना पत्र दे कर काम मांगने की शर्त देश की ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त अशिक्षा के कारण सरकारी नौकरशाह इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह विधेयक में योजना संबंधी दस्तावेज निर्दिट शुल्क का भुगतान करने पर ये दस्तावेज उपलब्ध होंगे। यह नियम दस्तावेजों को जनता से दूर रख सकता है। इसके नौकरशाहों की मनमानी चलने की संभावना है। इसलिए इसे सूचना के अधिकार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन 2002-07 में गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण रोजगार के समीक्षा में रोजगार के लिए एसजीआरवाई योजना में मजदूरों को रोजगार देने के लिए ठेकेदार तथा मशीनरी का प्रयोग वर्जित रहते हुए भी इस तरह की घटनाएं घटने की जानकारी है। इसमें महिलाओं के बारे में बताया गया है कि लाभभोगी महिलाओं का प्रतिशत 30 रखने के बावजूद यह वास्तविक में केवल बारह प्रतिशत रहा। सरकारी योजनाओं की इस तरह की वास्तविकता देखते हुए इस योजना में नौकरशाह तथा सरकारी तंत्र के कम से कम हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाए।

देश की आबादी के बड़े हिस्से के हाथ में पैसा तथा क्रय शक्ति नहीं होने के कारण देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। अनेक कारखाने, लघु उद्योग बंद होने से बेरोजगारी में भारी इजाफा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के माध्यम से पैसा पहुंचा कर क्रय शक्ति बढ़ाने में यह योजना सफल होती है तो ही इसका मंतव्य पुर्न हुआ समझा जाएगा। सरकार की ओर से लगातार इसे ऐतिहासिक संबोधन दिया जा रहा है। अगर इसे सही माने में ऐतिहासिक बनाना है तो इस योजना को ग्रामीण के साथ शहरी भागों में तथा एक साथ संपूर्ण भारत के 600 जिलों में लागू करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी संपूर्ण रोजगार लक्ष्य हेतु साल भर रोजगार को ही लक्ष्यपूर्ति समझें।

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to participate in this discussion on National Rural Employment Guarantee Bill, 2004. इस विधेयक का जो दर्शन और बेसिक फिलॉसॉफिकल कंसैप्ट और अप्रोच है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। फिर भी मैं पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसका कारण है कि आज हिन्दुस्तान में जितने बेरोज़गार गरीब लोग हैं, खासकर शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज, ओबीसी या एमओबीसी हैं, इन लोगों के रोज़गार के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके बारे में इस बिल में साफ साफ नहीं कहा गया है। अगर एक परिवार के एक आदमी को वर्ा में सिर्फ 100 दिन के लिए रोज़गार दिया जाएगा तो उस फैमिली की बेरोज़गारी की समस्या आप किस ढंग से हल कर पाएंगे? By giving only 100 days' employment, you cannot alleviate poverty. You cannot fully ensure or guarantee the employment of the poorer sections of the society by this Bill. इसलिए मेरी मांग है कि एक साल में कम से कम 300 दिनों का रोज़गार देना चाहिए। हिन्दुस्तान में जितने रूरल जिले हैं खासकर ट्राइबल एरियाज़ हैं, जैसे हमारा बोडोलैंड एरिया है, उस प्रकार के सारे ट्राइबल एरियाज़ को इस िवधेयक की परिधि में लाना चाहिए। आज तक हमारे असम में सिर्फ पांच जिलों को नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में शामिल किए गए थे। उनमें कोकराझार, लखीमपुर, धेमाजी, नॉर्थ कछार हिल्स और करबी आंगलांग जिले थे। लेकिन हमारे बोडोलैंड टैरिटोरियल एरियाज़ डिस्ट्रिक्ट्स में और तीन डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे बासखा, चिरां और उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट। इन सारे जिलों को लेना चाहिए। तमाम हिन्दुस्तान में जितने ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज हैं, पहला स्पैसिफिक मौक इन ट्राइबल अंचलों को देना चाहिए।

मेरी एक और मांग है कि employment should be given to all the educated unemployed people of this great country whereas this Bill has envisaged the creation of limited employment opportunities only for the rural poor people. इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस विधेयक में कुछ संशोधन लाकर 100 दिन के बदले 300 दिनों का रोज़गार देना SÉÉÉÊcA[h97]*

जितने तमाम पढ़े-लिखे बेरोजगार ट्राइबल, एससी, एसटी लोग हैं, इन लोगों को भी साल में कम-से-कम तीन सौ दिन काम देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए इस गंभीर विाय और समस्या के उपर भी तुरंत एक Comprehensive Bill लाना बहुत जरूरी है ।

MR. CHAIRMAN : It is getting late. Please be brief.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूं कि अगर पांच बच्चे और मां-बाप को जोड़कर सात सदस्य वाले, एक गरीब परिवार के आदमी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को खाना खिलाना होता है तो एक साल में औसतन 12 हजार रुपए जरूरत पड़ती है। सौ दिन में, केवल छह हजार रुपयों से वह कैसे अपने परिवार का पेट पाल सकता है और कैसे अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा सकता है? This is not at all adequate. So, I would like to request the hon. Minister concerned to bring forward some kind of pragmatic amendments to this Bill. नहीं तो क्या होगा? इसलिए मैं मांग करता हूं कि हिंदुस्तान में जितने बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज़ हैं, सारे ट्राइबल एरियाज के जिलों को इस िवधेयक के तहत लाभ देने के लिए कदम उठाना चाहिए। इसमें एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि इस विधेयक में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी केवल ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को दी गई है। But, in India, as on date, what kind of development is taking place with regard to the concept of local self-Government? Beyond the periphery of Panchayati Raj System, some more autonomous districts have already been created in this country like the Bodoland Territorial Council; the North Cachar Hills Autonomous District Council; Karbi Anglong Hills Autonomous District Council; Darjeeling Gorkha Hills Council and the Ladak Hills Autonomous Council. These Councils also should be taken into consideration while formulating policies, preparing schemes and project and, while identifying the implementing agencies. Otherwise, the locas standi of these Councils will ramains as that of non-existent administrative set up. हमारी जो असम की सरकार है, ट्राइबल एरियाज़ को जितना रुपया देना चाहिए, उतना नहीं देते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस विधेयक में कुछ संशोधन लाकर वह ट्राइबल्स, एससी और ओबीसी लोगों को लाभ देने के लिए आप काम करें।

MR. CHAIRMAN: We are sitting at a late hour. Hon. Members may kindly cooperate with the Chair in making any new point. Why should we sit here for making repetition? So, any new point can be made.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: This is not for you. Your chance is over. I was pointing out that we are sitting here at a late hour. It is 9.20 p.m now. Why do we sit here? We sit here to hear any new point. Repetition is not an ideal thing. Why should we sit here for listening to repetition? So, hon. Members, please be brief and bring in some new points which are not covered so far. I am an old man. I am sitting here for the simple reason that it is for your convenience. So, please be brief and bring in any new point.

श्री वीरेन्द्र कुमार माननीय महोदय, राट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों को कम से कम सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई है। मेरा स्पट रूप से कहना है कि सिर्फ सौ दिन का रोजगार मिलने पर वह परिवार क्या 265 दिन भूखे पेट सोयेगा, सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। यह गरीबों के साथ एक क्रूर मजाक है। इस विधेयक के पीछे राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। विधेयक में महिलाओं के लिए कोई उम्मीद नहीं बंधाई गई है और शहरी गरीबों तथा निम्न मध्यम वर्ग को नजरअंदाज किया गया है। देश में गरीबी रेखा की अवधारणा ही विवादास्पद रही है। कई गांवों में वास्तविक गरीबों के नाम छूट गये हैं, जबकि सुविधाएं हड़पने के लिए कई प्रभावशाली लोगों ने गरीबी रेखा सूची में अपने नाम रखे हैं। इसमें देश के सिर्फ 150 जिलों को चुना गया है, क्या देश के बाकी 450 जिलों में गरीबी नहीं है?

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकारी क्षेत्र के बड़े-बड़े उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं अथवा निजी क्षेत्रों को दिये जा रहे हैं। यदि देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देना है तो उसका एक ही मार्ग है, हमें ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करना होगा, जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तकनीकी रूप से इस योजना में इतने पेंच हैं कि इसे पूरे देश में लागू करना मुश्किल हो जायेगा। इसका जो स्वरूप बन रहा है, वह मूल परिकल्पना के अनुरूप नहीं है। केन्द्र सरकार इसमें राज्य सरकारों की भागीदारी भी लेना चाहती है, लेकिन राज्य सरकारें कहां से पैसा देंगी। हमारा कहना है कि गरीब परिवारों के सभी वयस्क बेरोजगारों को पूरे दिनों का रोजगार मिलना चाहिए।

सरकार को संसदीय समिति की सिफारिशों का पालन करना चाहिए तथा योजना को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाए। बी.पी.एल. परिवारों के एक सदस्य को सौ दिन के रोजगार की गारंटी देने की बजाय परिवार के सभी सक्षम सदस्यों को रोजगार दिया जाए। इसे चार साल की निश्चित अवधि में लागू करने का प्रावधान हो। योजना का शत-प्रतिशत वित्तीय भार केन्द्र सरकार वहन करे। बेरोजगारी भत्ते की दर बढ़ाई जाए और इसका बिना शर्त भुगतान हो। नियोजन गारंटी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जाए। रोजगार गारंटी योजना एक अच्छा कदम साबित हो सकती है, यदि इस पर सभी तरीके से अमल हो। आपने मुझे अपनी बात सदन में रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

---

* Speech was laid on the Table.

प्रो. महादेवराव शिवनकर माननीय सभापति जी, मैं जो भी मुद्दे पेश करने जा रहा हूं, वे सभी नए हैं। वास्तविक रूप से इस बिल के संबंध में सारे देश में एक चर्चा हो रही है, मगर जिस प्रकार से गरीबी हटाओ की घोाणा का इस देश में जो नतीजा निकला, मुझे लगता है कि इस बिल के द्वारा उसी प्रकार के परिणाम टोटल फेल्यूअर निकलेंगे। यह बिल बालू की भीत और पवन का खम्भा साबित होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा इस बिल के बारे में कहा गया है, यह बिल कुल-मिला कर उसका विरोधी है। यह बिल देखने के बाद मुझे यही लगता cè[i98]*

सभापति जी, मैं महाराट्र से आता हूं। मुझे मालूम है कि इसमें महाराट्र का भी पूरा अनुकरण नहीं किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव को ध्यान में रखकर इस बिल को जल्दी लाकर राजनीतिक हवा तैयार करने का काम किया जा रहा है। इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में लिखा है कि किसी निर्धन गृहस्थ पर, वित्तीय वर्ा में 10 हजार रुपए व्यय होने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए आप 10 हजार रुपए व्यय करेंगे, लेकिन जहां आपने इसमें न्यूनतम मजदूरी देने की बात लिखी है वहां लिखते हैं कि आप एक व्यक्ति को एक दिन में 60 रुपए देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक व्यक्ति को एक वर्ा में 100 दिन काम देंगे और उस पर 6000 रुपए खर्च करेंगे। यदि आप वित्तीय ज्ञापन में लिखी बात और न्यूनतम मजदूरी में लिखी बात, दोनों की तुलना करें, तो जो 4000 रुपए का अन्तर है, वह अप्रत्यक्ष रूप से, नौकरशाहों के हाथ में जाएगा, इससे ऐसा निर्का निकलने की सम्भावना है।

सभापति जी, वित्तीय ज्ञापन में माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि इस व्यवस्था पर रु.38,600 करोड़ रुपए व्यय होंगे। उसमें 34,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था केन्द्र सरकार करेगी और इस योजना को आप 200 जिलों में लागू करने वाले हैं। जिन 200 जिलों में आप इस योजना को लागू करेंगे, उनकी सूची घोाित की जाए ताकि पता लगे कि वे कौन-कौन से जिले हैं। आपका फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 150 जिलों में चल रहा है। उसमें आप 50 जिले और जोड़ देंगे। इससे मुझे ऐसा लगता है कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जिन 150 जिलों में चल रहा है, उस योजना का नाम परिवर्तित कर के इस योजना का नाम रख दिया जाएगा और यह कार्यक्रम उन्हीं जिलों में चलेगा। ऐसा ही कांग्रेस के समय में पिछले 50 सालों से होता रहा है। पुरानी योजनाओं को ही नए नामों से पुनः चला दिया जाता है। इसलिए जिन 200 जिलों में यह योजना लागू होनी है उनका खुलासा करने की आवश्यकता है।

महोदय, देश में राट्रीय सम-विकास योजना के अन्तर्गत 115 जिले लाए गए हैं। देश में 35 नक्सलाइट जिले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार 150 जिले इस योजना में वे ही आने वाले हैं जिनमें ये योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। ...(व्यवधान)

महोदय, मैं नए पाइंट प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने 9.20 बजे शुरू किया था और अभी केवलमात्र 2 मिनट ही हुए हैं। मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

महोदय, इसमें लिखा है कि कम से कम 50 श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए, वहां इस योजना को लागू किया जाएगा और 5 किलोमीटर इस नियोजना का एरिया होगा। इसका मतलब यह है कि एक आदमी 5 किलोमीटर भटकेगा तब एक परिवार के एक आदमी को आप रोजगार देंगे और वह भी पुरुा को देंगे या स्त्री को देंगे, यह स्पट नहीं है। एक आदमी की पंचायत छोटी है, एरिया छोटा है, तो उसे पहले 5 किलोमीटर भटकना पड़ेगा, फिर उसे 50 आदमी इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब आप उसे रोजगार देंगे। यदि छोटा गांव और छोटी पंचायत है, तो वह 50 आदमी कैसे इकट्ठे करेगा, इस बारे में कोई स्पट नहीं किया गया है। इसके अलावा एक वर्ा में केवल 100 दिन कम देने का ही प्रावधान है।

महोदय, आपने इसमें लिखा है कि यदि काम करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आप 10 हजार रुपए देंगे।

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अब उसमें संशोधन कर के 10 हजार रुपए के स्थान पर 25 हजार रुपए कर दिए गए हैं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : ठीक है, लेकिन हमारे यहां महाराट्र में कोई व्यक्ति बाढ़ से मर जाता है, तो उसे 1 लाख रुपए मिलते हैं। रेलवे एक्सीडेंट में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा मिलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस योजना के तहत जब कोई आदमी काम करते हुए मरता है, तो उसे 1 लाख रुपए देने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है ? मेरा सुझाव है कि इस योजना के

तहत काम करते समय यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार वाले को कम से कम 1 लाख रुपए देने का प्रावधान होना चाहिए।

सभापति जी, मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाण में कहा था कि इस योजना को पूरे देश में 5 वर्ा में लागू करेंगे। पहले साल जो पैसा लगेगा वह 16700 करोड़ रुपए होगा। क्या आपने इस पैसे का प्रावधान किया है ? आपने वित्तीय ज्ञापन में कहा है कि इसमें से कुछ पैसा केन्द्र सरकार का अनुदान के रूप में होगा। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

...(व्यवधान)

प्रो. महादेवराव शिवनकर : मैं आपकी मार्फत, मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude. If you do not conclude within time, I would not be able to complete it before 12 o' clock. There are still 20 more speakers.

PROF. MAHADEORAO SHIWANKAR : Sir, I am going to conclude within one minute.

MR. CHAIRMAN: If you will not cooperate, we sill stop it here[rpm99].

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

PROF. MAHADEORAO SHIWANKAR : This is my last point. मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपने सुधार किया, इसके वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि हम लोन लेंगे, अनुदान लेंगे, यह लोन और अनुदान कहां से आयेगा? क्या प्लानिंग कमीशन के बाहर यह सारा काम होने वाला है? अगर प्लानिंग कमीशन के बाहर लोन और अनुदान का काम होगा तो इस बिल का क्या होगा? इसलिए यह सब संदेहास्पद है। इसमें 40 हजार करोड़ रुपये का आप प्रावधान करते।

MR. CHAIRMAN: There is a limit.

प्रो. महादेवराव शिवनकर : न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग मजदूरी है। आपने ही 35 रुपये से 150 रुपये तक बताई है। यह सच है। मेरे पास चार्ट है, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मगर प्रान्तों में न्यूनतम मजदूरी की दर क्या होगी, 60 रुपये होगी या बंगाल में जो मजदूरी है, बंगाल की मैं पढ़कर बताता हूं। मेरी बांयी तरफ के लोग जो इनकी मदद कर रहे हैं, उनकी बंगाल की मजदूरी जरा सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में मजदूरी 62 रुपये है और केरल में 150 रुपये है तो क्या केरल की मजदूरी आप कम करने जा रहे हैं? मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि इसके बारे में जानकारी दें और इन सारी बातों पर विचार करके इसमें सुधार करें।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

प्रो. महादेवराव शिवनकर : यह बिल लोगों को धोखा देने वाला है। यह बिल गरीब लोगों को धोखा देगा। जिस प्रकार से गरीबी हटाओ का हाल हुआ, ग्रामीण विकास मंत्री जी, उसी प्रकार से आपके इस बिल का नतीजा होगा, इसलिए सतर्क होकर इस पर आगे काम कीजिए।

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील सभापति महोदय, मैं शिवसेना की ओर से नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारण्टी बिल, 2004 का स्वागत और समर्थन करता हूं।

आज गांवों की जो समस्या है, उसमें गांव के लोग मजदूरी के लिए शहरों में जाते हैं, इससे शहरों में समस्याओं का निर्माण होता है। यह बिल पारित होने के बाद गांव का मजदूर गांव में काम करेगा और गांव से लोगों का जो पलायन होता था, वह पलायन नहीं होगा और गांव की बस्ती बची रहेगी। गांवों के लोगों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए यह बिल महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बिल में जो प्रावधान किये गये हैं, जो मजदूरों को 100 दिन की मजदूरी देने का प्रावधान है, उसे 100 दिन की बजाय कम से कम 200 दिन तो मजदूरी देना जरूरी है। दूसरे, इस देश की जो समस्या है, मजदूरों को तो कहीं भी मजदूरी मिल जाती है, वह कहीं भी मजदूरी करके पेट भरता है, लेकिन सही समस्या सुशिक्षित बेरोजगारों की है, जो पढ़े-लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या तरुण, नौजवान, नवयुवक हैं, उनको देहातों में, गांवों में काम नहीं मिलता। उनको सरकारी दफ्तर में नौकरी नहीं मिलती, यह जो विधेयक बना है, इसमें एक चैप्टर बढ़ाना जरूरी है। एक चैप्टर बढ़ाकर कुछ सैक्शन उसमें ऐसे बनायें ताकि जो सुशिक्षित बेरोजगार देहात में, गांवों में बसे हुए हैं, उन नौजवानों को नौकरी देने का, रोजगार देने का इस बिल में अगर प्रावधान किया तो इसका बहुत जोरों से स्वागत हो जायेगा।

दूसरे, ग्रामीण क्षेत्र में तो खेती से ही एम्पलायमेंट जैनरेट हो सकता है, दूसरा इसमें कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इसमें मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसमें जो डैफीनिशन बनाई है, यहां जो व्याख्या बनाई है, वह हाउस होल्ड की व्याख्या यहां जरूरी नहीं है। सरकार एक फैमिली में एक गृहस्थ को काम दे।...(व्यवधान) मैं भाण नहीं कर रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा हूं। इसमें मेरा सुझाव है कि इसमें फैमिली की डैफीनिशन करनी चाहिए। फैमिली में पति-पत्नी और अनमैरिड चिल्ड्रन, उनका उसमें समावेश करना चाहिए और फैमिली में से एक गृहस्थ को काम देने का इसमें प्रावधान करना चाहिए।

महोदय, मैं भाण नहीं दूंगा, मैं केवल सुझाव ही दूंगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The time is reduced to three minutes to each Member. Your time is over now. Please conclude.

Shri Adhir Chowdhury.

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : यहां एम्प्लायमेंट सैन्ट्रल काउंसिल बनायी गयी। मैं सैक्शन 13 के तहत...(व्यवधान) *The National Rural Employment Guarantee Bill 2004

Points of Debate

1. This Bill is useful for the Rural People
2. To provide 200 days employments to poor household
3. In this Bill there is no provision to provide employments to Educated unemployed Students
4. 70% peoples are living rural area and they are working in agriculture field
5. Agriculture is main source to generate the Employment in Rural area
6. Provision is necessary to amend this act. Schemes under this act may be implied on Private land.
7. I am suggesting some amendments.

Section –2 (f) Definition of Household

Instead of Household there must be use of word family and family may be defined or consist of husband, wife and minor child

Section – 4 Sub-Section (2) the State Governments shall publish the summary of the schemes made by atleast local news paper

It is difficult and takes more time so this clause may be removed and schemes may be published on village panchyat board or published by beating drum in villages

Section – 10 (1) Central Employment Guarantee council. There is no mention of office bearer period council.

Section –13 (1) Standing committee at District level. There is no provision who is the Chairman of the standing committee

But in Section – 32 (1) Power of sate Government to make Rules

(d) The Number of members of Standing Committee at District level and there Terms and condition of their appointment under sub Section (13)

So, I suggest that MP of that District Must be a Chairman of the District level Standing Committee these amendments may be accepted

---

... This part of the speech was laid on the Table.

Section 22(1) Funding Pattern of Central Government 90% state Government Share 10% but till today amendment not circulated

Section –23(6) The program officer shall enter every compliant in the register maintained by him and shall dispose off the disputes and complaints with in 7 days of it receipt. And in case it relates to matter to be resolved by any other authority it shall be forwarded to such authority under intimation to the complainant.

In this clause it is necessary to add one line

"Who files false and bogus complaint is liable to be prosecuted or penalties may be impose on him.

Schedule 1

Section – 4(3)

Minimum Features or a Rural Employment Guarantee Scheme

1. The focus of the scheme shall be on the following works in their order of priority

Serial No. 1 to IX

VIII – Rural connectivity to provide all-weather access

It may be added rural road repairing work and two other priority works may be added:

X Horticulture Plantation on any farmer's field who filed an application before the concerned authority for plantation.

XI Any farmer deposited State's share with the collector all schemes may be implemented on the private field (land) under this act.

9. The cost of material component of projects including the wages of the skilled and semi skilled workers taken up under the scheme shall not exceed 40% of the total project cost.

To maintain the quality of the work there must be 60% instead of 40% of the mentioned project cost.

Schedule – II

6. One third of the beneficiaries shall be of women. Add "If the one third proportion not available then scheme will be implemented through available labour".

12. Employment shall be provided within a radius of 5 Kms need amendment of 3 Kms instead of 5 Kms for convenient mobility of labour.

Hours of work: 7 Hrs.

13. Instead of 50 nos of labour amendment required for 10 nos.

26. persons employed under this scheme if disabled or mortality then compensation amount of Rs 10000/- needs amendment of Min Rs. 50000/-*

MR. CHAIRMAN: Whatever you speak now will not be on record. Please take your seat.

(Interruptions) *

MR. CHAIRMAN: Shri Adhir Chowdhury, you speak now.

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा और दो-चार बिंदुओं पर ही बोलकर समाप्त करूंगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Adhir Chowdhury, please speak.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR CHOWDHURY: Sir, how can I speak unless he stops?… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You may speak.

… (*Interruptions*)

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह एक ऐतिहासिक विधेयक है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record now. Why do you make noise?

(Interruptions) *

---

*Not Recorded

MR. CHAIRMAN: There are 20 speakers more. Mr. Adhir Chowdhury, you speak.

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। उदारीकरण और बाजारीकरण के साथ-साथ कृ ि की ग्रोथ में भी स्थिरता आयी है। आज कृि में रोजगार बढ़ा नहीं। यदि हम 80 के दशक को देखें तो उस दशक में हिन्दुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 5.2 प्रतिशत थी और रोजगार की ग्रोथ 2.78 प्रतिशत थी।...(व्यवधान) 90 के दशक में जीडीपी की ग्रोथ 6.78 प्रतिशत थी और रोजगार की ग्रोथ 1.07 प्रतिशत थी। जीडीपी बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि रोजगार भी बढ़ रहा है। जीडीपी का रोजगार बढ़ने से कोई संबंध नही होता है। उसके लिए सात

बिलियन मेंडेज़ की जरूरत होती है। हमें इस विधेयक की भावना को समझना चाहिए कि गांव में बेरोजगारी और अंडर एम्पलायमेंट क्यों बढ़ रहा है। यह बिल उस सरप्लस लेबर को एब्ज़ारब करने के लिए लाया गया है। साथ ही साथ potential labour intensive development programme भी बनाने की कोशिश की जा रही है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री अधीर चौधरी : इससे जो एब्जोरप्शन होगी, वह मेन-स्ट्रीम मे लाने में सहायता देगी।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Adhir Chowdhury, your time is over. Please conclude now.

श्री अधीर चौधरी : मैं दो-तीन बिंदुओं पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: More than a dozen Members have spoken from your party. Please take your seat.

Shri Tufani Saroj, you speak now.

श्री अधीर चौधरी : रघुवंश प्रसाद जी एक काबिल मंत्री हैं। मैं उनसे दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं।...(व्यवÉvÉÉxÉ[MSOffice100])

वह गांव की कोई ग्राम पंचायत नहीं करेगी, उसकी योजना जिला परिद बनाएगी।...(व्यवधान)

50 प्रतिशत काम कराने की लिबर्टी दी गई है, लेकिन आप जिला परिद को कोई डिसक्रिशनरी पावर नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Chowdhary, there are so many speakers who have spoken from your side. Please take your seat now.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record now.

*(Interruptions) *)*

MR. CHAIRMAN: Shri Tufani Saroji, you can speak.

... (*Interruptions*)

श्री तूफानी सरोज माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Chowdhary, please be seated. I am saying this in your own interest.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, if you do not control your Members, it will not be possible to conclude this debate. How can we finish all these speeches today, if they go on like this?

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We are forced to extend the Session also. Please ask him to resume his seat.

... (*Interruptions*)

श्री तूफानी सरोज : यह सत्ता पक्ष के सदस्य हैं और आसन की बात नहीं मान रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी जब विपक्ष में हुआ करते थे, तो हम इनका भाण बड़े ध्यान से सुना करते थे। ये गांव, गरीब, झोंपड़-पट्टी की बातें करते थे। भाण के दौरान जब डिबरी शब्द का उपयोग करते थे, उस वक्त सदन में ऐसा लगता था कि इन्होंने गांव के गरीब लोगों को सही तरीके से रखने का काम किया। मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्ति करना चाहता हूं कि 60 रुपये की मजदूरी से गरीब लोग डिबरी में तेल डालकर अपने बाल-बच्चों को शिक्षा-दीक्षा नहीं दे सकते। इसलिए मेरा सुझाव है कि 60 रुपये की मजदूरी को बढ़ाकर कम से कम 75 रुपये कर दिया जाए।

*Not Recorded

सौ दिन रोजगार की बात कही गई है। यदि 365 दिन में से 100 दिन ही रोजगार होगा तो वे बाकी के 265 दिन क्या करेंगे। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अन्य मदों से कटौती करके इस मद में बढ़ोतरी करें और सौ दिन की जगह कम से कम 183 दिन के रोजगार की व्यवस्था की जाए, यानी उनको साल में छः महीने रोजगार दिया जाए। मैं चाहूंगा कि इसमें संशोधन किया जाए।

मैं मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां रोजगार का कोई सृजन नहीं है। लोग कोलकाता, मुम्बई और अन्य शहरों में रोजी-रोटी के लिए जाते हैं। डेढ़ सौ गांवों के अंदर उत्तर प्रदेश से जो 15 गांव लिए गए हैं, वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर जनपदों से जो पचास गांव लेने हैं, उसमें समायोजित करने का अनुरोध करता हूं।

श्रीमती नीता पटैरिया माननीय सभापति जी, सरकार की ओर से एक अच्छी पहल हुई और एक महत्वपूर्ण बिल आया जिससे बेरोजगार युवाओं में एक उत्साह की लहर और आशा की किरण जागी। लेकिन बिल आने के बाद ऐसा लगा कि यह अधूरा उपाय है जो जल्दबाजी में तैयार किया गया क्योंकि अगर हम महिलाओं की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पढ़ी-लिखी नहीं होतीं। इसमें कहा गया है कि पहले महिलाएं हों या पुरुा हों, आवेदन देना है। यदि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आवेदन लिखने जाएंगी तो उन्हें उसमें भी पैसे देने पड़ेंगे। ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी मात्र छलावा है। ग्रामीण सौ दिन रोजगार बाकी दिन बेरोजगार, न गारंटी न रोजगार। लेकिन सरकार ने इस बिल को बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ जंग की तरह ठोस कदम बताया cè[R101]*

हम भी यही आशा करते हैं कि यह ठोस कदम साबित हो क्योंकि अभी तक केन्द्र सरकार की जो योजनाएं बनीं, वे निचले स्तर पर सही रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाईं और वे फेल हो गयीं। बचपन से हम एक नारा सुनते चले आ रहे हैं कि गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी नहीं हटी और बढ़ती चली गयी। इसका कारण है कि जब तक गरीबी बढ़ती रहेगी तब तक बेरोजगारी नहीं हटेगी और तब तक बेरोजगारी नहीं हटेगी जब तक सरकार रोजगार के अवसर सृजित नहीं करेगी और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करायेगी।

सभापति जी, सरकार परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बात कर रही है और जिन्हें रोजगार नहीं दे पायेंगे, उन्हें रोजगार भत्ता देने की बात कर रही है। आप सभी स्वयं बतायें कि क्या 100 दिन में पूरे परिवार का भरण-पोाण इस महंगाई के युग में हो सकता है। आज हमारे हिन्दुस्तान में बेरोजगार युवा काम करने को तैयार खड़े हैं लेकिन उनके पास काम करने के लिए रोजगार के कोई अवसर नहीं है। सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध करा पाने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रही है। वह इसमें असफल है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री ज्योति घोा ने कहा कि 100 दिन काम देने के लिए 35 से 40 परसेंट लोगों का अगर चयन किया जाता है तो 5700 करोड़ रुपये की राशि उनको देने के लिए चाहिए। मैं मंत्री जी और सरकार से जानना चाहती हूं कि यह 5700 करोड़ रुपये कहां से आयेंगे ? इस योजना में यदि देश के 200 जिलों को इसमें शामिल करने की बात की गयी है, तो बाकी जिलों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? एक तरफ आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं कि राज्य में फंड की कमी नहीं होने दी जायेगी। यदि केन्द्र सरकार के पास धन की कमी नहीं है, तो 200 जिले ही क्यों, देश के 600 जिले या जितने जिले हैं, उन सबमें एक साथ यह योजना लागू की जाये। इसके साथ-साथ 100 दिन काम करने के बदले वे लोग 265 दिन बेरोजगार हो जायेंगे, तो सरकार के पास उन बेरोजगारों और उनके परिवार के लिए क्या योजना है ? आप गरीब और अमीर जिलों में कैसे अंतर कर पायेंगे ? इसके लिए आपका मापदंड क्या है, यह भी आप बताइये?

सभापति महोदय, राज्य सरकार के द्वारा अंश राशि दी जायेगी। क्या आपने राज्य सरकारों से इस विधेयक को लाने की चर्चा की है ? क्या राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपनी अंश राशि उसमें दे पायेंगी ? जो राज्य सरकार अपनी अंश राशि नहीं दे पायेगी, वहां अपने आप ही यह योजना विफल हो जायेगी। बेरोजगारी भत्ता देने भर से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। जब तक हमारे यहां लघु और कुटीर उद्योग जो बंद हो गये हैं, उन्हें पुनर्जीवित करके बेरोजगारों को रोजगार न मिल सके। मात्र एक कृपांक अंक मिले जैसे छात्रों को कृपांक अंक दिया जाता है वैसे ही एक मिनट हम आपकी कृपा के रूप में चाहते हैं।

ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारों में आपने भेद कर दिया है जबकि बेरोजगारों की एक ही भावना है, एक ही कठिनाई है। मेरा कहना है कि शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों में भेद न करके, दोनों बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये जिससे हमारा देश आगे बढ़े, खुशहाल बने। देश में काफी समय से किसानों और कृाि, दोनों की उपेक्षा हुई है जिस कारण किसान का ध्यान कृाि से हट गया है। वह कृाि करने की बजाय शहरों की ओर पलायन करने लग गये हैं। यदि गांव में किसान और कृाि, दोनों को समृद्ध बनाया जाये, दोनों की ओर ध्यान दिया जाये, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण बेरोजगार हैं, उन्हें अपने आप काम भी मिलेगा और किसान भी समृद्ध होगा और फसल भी अच्छी होगी।

अंत में, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जहां आपने देश के 200 जिलों को इसमें लिया है, वहीं मध्य प्रदेश में काफी समय से सूखा, बाढ़ और इल्लियों का प्रकोप है। वहां फसल खराब होने से बेरोजगारी बढ़ रही है। आप मध्य प्रदेश को पूर्णतया शामिल करें।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please cooperate. Now the time is 9.45 p.m. I know, you would not conclude yourself, that is why I am appealing like this.

SHRI B. MAHTAB Respected Deputy Speaker Sir, I stand here to discuss about the Rural Employment Guarantee Bill today. At the outset I must say that people in this country have a love-hate relationship with mathematics, a favourite school subject for some, but just a bad memory for many others.

Mathematics is cold and calculative. There is no grays. It is always black and white.

Still a large number of people say mathematics is their favourite.

Raghuvansh Babu is a student of Mathematics.

I don't know whether he is cold but all of us know he is calculative.

The Government is going to offer 100 days of employment a year to one member from 'every' rural household. 'Poor' being amended by the 'advice' of the Left. However, in practice, the programme would automatically screen out the non-poor, since only minimum wages are to be

paid. Only the bottom 31 percent of the rural population spend less than Rs. 380 per capita per month in 2003, the average annual household expenditure for the group as a whole being Rs. 18375/-.

I hope being a Master in Mathematics the Minister can find out who is having the last laugh?

I come to my second point, now. As all of us are aware that the rural population in 2006 is estimated to be 79.83 crores. This would put the number of "poor" rural household in the country at 4.95 crores.

Providing employment at the rate of Rs. 60 per day for 100 days in a year would entail an expenditure of less than Rs. 30000 crores in the whole country.

So far so good.

For the benefit of the rural folk.

---

* Speech was laid on the Table.

But the question which still remains unanswered are –

(a) as the State Council shall prepare a list of preferred works for different areas, there is no specific time period mentioned to prepare the Project Report; there by making it only open ended but also leave scope for complacency.

(b) The Standing Committee had recommended that Fifth Schedule and Sixth Schedule areas in the country which are the most backward and people residing there are the poorest, should be included in the first phase.

You have added 50 more districts to the 150 most backward districts. These districts were chosen on 3 criterion - specified by the Planning Commission to take up National Food for Work Programme.

Yet, some Districts were left out. Orissa though had 18 districts included, still 10 more qualified districts are yet to be included.

Tell us, have you included the rest 10 districts of Orissa in those 200 districts or not in this first phase?

(c) Thirdly, what mechanism you want to formulate to plug loopholes, which has given rise to corruption? Is CAG competent to verify the disbursement of wages, under this Bill. If not, are you going to make provisions for this? So that stringent action can be taken against the officials, who are in charge of this scheme.

(d) Further, as durable assets are to be created by this scheme, no where did I find in the Bill that the Government is interested to find out the quality of work is to be measured. NO attempt is there to fix parameters for various schemes or works nor any central evaluation and monitoring mechanism is envisaged.

If this is the case, why would one not believe that thousands of crores of rupees will go down the drain?

Raghuvansha Babu, as Ph. D in Mathematics you are aware that there is only one right answer to a question. But you are also a master politicians from vaishali too and you know, there is never only one right answer to one problem.

I admire you for the deft footwork you have done to bypass the Oxford and Harvard boys. Yet a lot more is necessary to be done to overcome corruption.

One should not forget that the Planning Commission has stated that the National Rural Employment Guarantee Scheme would not need more than Rs. 13 thousand crores in the first year. You have also said that Food for Work Programme would be covered from the budgetary allocation of Rs. 24 thousand crores to the rural sector. That takes care of the funding aspect. But the question before us is what efforts be made

for successful implementation of the programme? Firstly, although the Bill proposes to empower the panchayats to have the final say in implementing and monitoring projects, the vested interests often forge a nexus and siphon off the money intended for development.

The Rs. 9 crore fraud detected recently in employment guarantee scheme is Maharashtra is the latest example. Second is, will the States be able to contribute their share? And lastly, will the fiscal deficit remain within acceptable limits?

It is not a cynic's view point but questions which need to be deliberate upon and answered be given to. With political will and support the Bill will be passed, no doubt, but the question, if remain unanswered, will not augur well for the nation.

With these words, I conclude.

श्री राजाराम पाल सभापति महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक, राट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2004 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यूपीए सरकार को भी धन्य वाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बिल लाकर उन तमाम बेरोजगारों, गरीब मजलूमों को एक आशा की किरण जरूर दिखाने का काम किया cè[r102]*

लेकिन जो अब तक का इतिहास बताता है, आजादी के 58 साल के बाद का इतिहास बताता है कि देश को आजाद कराने वालों ने जिस मंशा से देश को आजाद कराया था और ऐसा नहीं है कि जिनके नाम इतिहास में हैं, उन्होंने अकेले ही देश को आजाद नहीं कराया था बल्कि देश को आजाद कराने वालों में ऐसे लोग भी शामिल थे कि जो भले ही गरीब थे लेकिन देशभक्ति की भावनाओं से पूरी तरह से ओतप्रोत थे। जैसे कि कोई आदमी था, फुटपाथ पर पड़ा था, भूख से मरा था, कफन उठाकर जब देखा तो क्या पाया कि पेट में यह लिखा था कि सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा। ऐसे लोगों ने देश को आजादी दिलाने का काम किया है। लेकिन 58 साल के आंकड़े बताते हैं कि सरकारों ने गरीबों को लुभावने नारे दिये हैं।

मैं एक ही बात कहता हूं कि चूंकि इनका ग्रामीण मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है और भारत गांवों का देश है। इस भारत में लगभग 600 जिले हैं, 8,000 ब्लॉक हैं और 2,70,000 पंचायतें हैं और लगभग 6 लाख गांवों में एक अरब चौंतीस लाख आबादी वाले भारत देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए पिछले 58 साल में जो प्रयास किये गये हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, अगर वे सही रूप में धरती पर अक्षरश: लागू की जातीं तो सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अब तक गरीबी पर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती लेकिन भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, गांवों तक, गरीबों तक पहुंचते-पहुंचते केवल कागजों पर ही देखने को मिलती हैं। गरीबी मिटाने के लिए अभी तक कोई सार्थक प्रयास नहीं किये गये हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बिल जो बेरोजगारी मिटाने के लिए लाया गया है, यह एक कमजोर बिल है। सरकार की गरीबी मिटाने की कमजोर इच्छा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विधेयक में जो आपने प्रावधान किया है, वह सौ दिनों की बजाए जैसे हमारे साथी ने कहा है, पूरे साल रोजगार की गारंटी हो और साठ रुपये से बढ़ाकर सौ रुपये तक करने का प्रावधान करेंगे तो निश्चित तौर पर यह विधेयक सार्थक विधेयक साबित होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो देखने को मिला है, संविधान की प्रस्तावना में जो मंशा है कि आजाद भारत के प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा व सुरक्षा जैसी चीजें आज मिलनी चाहिए। आज 58 साल पूरा करने के बाद भी ये सारी चीजें हम देश के हर व्यक्ति को मुहैया नहीं करा पाए हैं। आज भी करोड़ों लोग भूख से मर जाते हैं, दवाओं के अभाव में दम तोड़ देते हैं और आज करोड़ों लोगों के लिए हमारी सरकार ने सर छुपाने के लिए छत का प्रबन्ध नहीं किया है। इस देश में कुत्ता-बिल्ली और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाकर उनकी व्यवस्था करने का काम करती हैं लेकिन गरीबों की जब गरीबी मिटाने की बात करती है तो उन्हें खुले आसमान में मरने के लिए छोड़ देती हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि आपने जो राट्रीय सम विकास योजना के तहत डेढ़ सौ जिले और 'काम के बदले अनाज योजना' में चयन किये हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बिल्हौर में प्रत्येक वर्ा बाढ़ आती है, हजारों गांव और परिवार इस भयंकर बाढ़ से बिहार की तरह प्रभावित होते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे संसदीय क्षेत्र बिल्हौर को 'काम के बदले अनाज योजना' में आप शामिल करने का काम करें।

अंत में, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[ड्ड103ट]

चौधरी विजेन्द्र सिंह महोदय, राट्रीय ग्रामीण रोजगार बिल पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

MR. CHAIRMAN : You conclude your speech in one or two sentences because from this side a dozen people have spoken. Why do you take the time? It is because we have to complete.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: This is the most important Bill. We have extended the Session also.

CHAUDHARY BIJENDRA SINGH : I will take only two minutes.

MR. CHAIRMAN: Please co-operate. I am telling you this in your interest only. I will not force Members from that side but I will force Members from your side.

चौधरी विजेन्द्र सिंह : महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी और यूपीए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि सीमित साधनों के होते हुए भी कम से कम यह साहसिक और ऐतिहासिक काम किया है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There is no meaning in allowing the speeches from this side.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I will call you. Please be seated.

चौधरी विजेन्द्र सिंह : महोदय, मैं सिर्फ दो लाइनें कहना चाहता हूँ। "जाके पांव न फटी बिवाई वह क्या जाने पीर पराई " अर्थात जो इंसान जिस माहौल में पैदा होता है, वही उसके दुखदर्द और आवश्यकता को पहचानता है।

मान्यवर, यह हमारी पार्टी का एजेण्डा था, हमारे घोाणा पत्र में यह घोाणा थी और हमारी यूपीए सरकार के न्युनतम साझा कार्यक्रम का यह रोजगार गारन्टी एक हिस्सा है। सोनिया जी ने जनता से जो वायदा किया था, सीमित साधनों के होते हुए भी कम से कम उसे पूरा करने की कोशिश की है। मैं यह कहना चाहता हूँ…(व्यवधान) महोदय, सदन में यह कहा गया है कि आजादी के बाद के इन 58 सालों में पिछली सरकारों ने क्या किया? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You are speaking from the Treasury Benches. It is the need of the hour that we complete this discussion. We have no time.

चौधरी विजेन्द्र सिंह : महोदय, आप नए लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं, इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह चुका होता।

महोदय, श्री कल्याण सिंह जी अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं। वे बहुत वरिठ सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि इस बिल को लाने में सरकार ने देरी की है। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने देरी नहीं की है बल्कि सरकार सभी पहलुओं की समीक्षा करके यह बिल लायी है। उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद के 58 सालों में सरकार ने क्या किया? मैं बताना चाहता हूँ कि इस दौरान सरकार ने बहुत-सी योजनाएं आरम्भ कीं - सरकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाई, सरकार स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना लाई, सरकार पंचायती राज लाई, इसके साथ ही सरकार काम के बदले अनाज की योजना लाई। ये तमाम योजनाएं गरीब की रोटी, कपड़ा और मकान में हमेशा सहायक सिद्ध हुई हैं और आज हमारी यूपीए सरकार ने यह जो रोजगार गारन्टी बिल लाने का साहसिक और ऐतिहासिक काम किया है, वह रामबाण सिद्ध होगा। इससे बड़ा काम कभी नहीं किया गया है, एनडीए सरकार भी इसके लिए कभी साहस नहीं जुटा सकी और हमारी यूपीए सरकार ने मात्र डेढ़ वर्ा में सीमित आर्थिक साधनों और अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी न होते हुए भी यह ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। सोनिया जी, प्रधानमंत्री जी और डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

*"यह (यूपीए) सरकार एक राट्रीय नियोजन गारंटी अधिनियम तत्काल अधिनियमित करेगी इसमें शुरूआत में न्यूनतम वेतन पर प्रति वर्ा परिसम्पत्ति का सृजन करने वाले जानकार्य संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों, गरीबों और मध्य निम्न वर्ग के ग्रहस्ति के कम से कम 100 दिनों का रोजगार हेतु वैधानिक गारंटी का प्रावधान होगा।"

भारत में बेरोजगारी -

1. बेरोजगारी का तात्पर्य लोगों की उस स्थिति से है जिसमें वे प्रचलित मजदूर दरों पर काम करने के इच्छुक तो होते हैं परंतु उन्हें काम नहीं प्राप्त होता वह स्थिति अत्यंत कटदायक तथा श्रमशक्ति के

---

* This part of peech was laid on the Table.

लिए विनाशकारी होती है। प्रतिभा पलायन, भ्रटाचार, आतंकवाद आदि अनेक सामाजिक तथा आर्थिक बुराइयां बेरोजगारी से पनपती हैं। अतः उनका समाधान अति आवश्यक है भारत के लिए बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है। वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है। जनसंख्या के अनुरूप रोजगार स्रजित में सक्षम नहीं है फलतः बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है।

2. श्रम मंत्रालय के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें एक वर्ा में एक दिन का भी रोजगार उपलब्ध नहीं है 95 लाख है, और उनमें से अधिकांश व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के हैं।

3. मैं सरकार का ध्यान 2001 की जनगणना रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहूंगा। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि देश में 1991 में बेरोजगार लोगों की संख्या 13.8 मिलियन थी जो 10 वर्ाों में 3 गुना से भी बढ़कर 2001 में 44.5 मिलियन हो गयी । आज देश में लगभग 40 प्रतिशत स्नातक उत्पादनकारी नौकरियां नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि तकनीकी स्नातकों में भी कम से कम 32 प्रतिशत लोग रोजगार में नहीं लगे हुए हैं। इस रिपोर्ट को गम्भीरता से देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में रोजगारी की समस्या को हल करने के लिए युद्धस्तर पर कदन उठाए जाएं।

4. विभिन्न राज्यों में शारीरिक श्रम के लिए दी जा रही मजदूर में काफी अंतर है जो कि नागालैंड में यह न्यूनतम 25 रु. से लेकर केरल में 134 रुपए है। किसी व्यक्ति द्वारा इतनी कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए राजी हो जाना उस व्यक्ति की अत्यधिक गरीबी का संकेत है तथा इसके लिए और किसी संकेत की आवश्यकता नहीं है।

5. राट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी वर्ा 1996 में 35 रुपए निर्धारित की गयी थी और तत्पश्चात् इसमें वृद्धि करके 45 रु. और 50 रु. किया गया है और इस समय यह 60 रु. है।

6 ग्राम विकास विभाग द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार 18 से 64 वर्ा के आयु वर्ग के ग्रामीण लोगों की संख्या 38.91 करोड़ है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 18 से 64 वर्ा के आयु वर्ग की गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे लोगों की संख्या 10.4 करोड़ होगी। अगर प्रति व्यक्ति 100 रु. प्रति मानव दिवस के आधार पर दिया जाता हैः

सं.	काम की मांग करने वाले लोगों का प्रतिशत	निधियों की आवश्यकता
1.	100%	1,00,464,.00 करोड़ रुपए
2.	50%	50,232.00 करोड़ रुपए
3.	30%	30,139.20 करोड़ रुपए
4.	20%	20,092.80 करोड़ रुपए

7. भारत में बेरोजगारी ढांचागत तरीके की है। कृाि की पुरानी पद्धति उद्योगों का अल्पविकास, सेवा क्षेत्रों का छोटा आकार आदि के कारण श्रम की मांग कम होती है। भारत जैसे देश में समस्या प्रभावशाली मांग की कमी नहीं है बल्कि यहां तो समस्या पूंजी की अपर्याप्तता की है अर्थात पूंजी के अभाव से रोजगार के नए अवसरों का सृजन नहीं हो पाता फलतः बेरोजगारी बढ़ती जाती है और दीर्घाकाल तक बनी रहती है।

8. काफी बड़ी संख्या में लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में बेरोजगार थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी देश की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि रोजगार के नवीन अवसरों का तेजी से सृजन किया जा सके। दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण कार्यकारी उम्र के लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। शिक्षा के प्रचार के फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगारी की संख्या में आम वृद्धि हुई है। नगरीय क्षेत्रों में 1965 से 1980 के बीच औद्योगिक मंदी रहने के कारण भी रोजगारी में वृद्धि हुई है साथ ही भूमिहीन व निर्धन लोग प्रत्यक्ष रूप से भी बेरोजगार हैं। इस प्र ाकार भारत में बेरोजगारी में प्रायः सभी रूप में देखने को मिल जाते हैं।

9. भारत में बेरोजगारी के कारण

भारत मे बेरोजगारी के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं जैसे किः

1. विकास की गति का मंदा होना।

2. जनसंख्या की अत्यधिक उच्च वृद्धि दर के कारण श्रम की पूर्ति में तीव्र वृद्धि।

3. श्रम प्रधान तकनीकी के स्थान पर पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाना।

4. व्यवसायिक शिक्षा को कम महत्व प्रदान करना।

5. सम्पत्ति का अनुमान वितरक।

6. लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास आदि।

भारत में बेरोजगारी निवारण हेतु सरकारी नीति

1. यद्यपि भारत में बेरोजगारी एक चिन्तनीय समस्या रही है, परनतु सरकार ने अभी तक किसी ठोस और दीर्घकालिक रोजगार नीति का प्रतिपादन एवं क्रियान्वयन नहीं किया है पंचर्वीय योजनाओं में बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया गया लेकिन पांचर्वी पंचर्वीय योजना में आकर ही सरकार ने रोजगार को उच्च प्राथमिकता प्रदान की। बेरोजगारी दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जैसे N.R.E.P, I.R.D.P आदि। सातर्वी पंचर्वीय योजना में सरकार ने एक विशाल कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना चलाया। पूर्व की सभी योजनाओं के विपरीत आठर्वी पंचर्वीय योजना में रोजगार के अवसरों में विस्तार की एक मुख्य उद्देश्य स्वीकार किया, फिलहाल दसर्वी पंचर्वीय योजना चल रही है।

2. सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई कार्यालय खोले हैं

1. अगस्त 2004 के अंत तक रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या - 947

2. विश्विद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन बयूरा - 82

3. व्यवसायिक एवं कार्यकारी रोजगार कार्यालय - 15

4 बगान श्रमिकों के लिए विशेा रोजगार कार्यालय - 01

यूपीए सरकार

1. यूपीए सरकार ने इन सभी हालातों को देखते हुए राट्रीय रोजगार गारंटी विधेयक संसद मे पेश किया।

2 अनुदान मांग 2005-06 में सम्पूर्ण रोजगार योजना के साथ-साथ राट्रीय "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम वर्तमान में चुने हुए 150 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए अनाज की मात्रा बढ़ा कर 50 लाख मी. टन और नगद धनराशि 4500 करोड़ रु. कर दी गई है, जब राट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यान्वित किया जाएगा तब इन दोनों कार्यक्रमों को आपस में मिला दिया जाएगा और अधिनियम के नाम से जाना जाएगा।

3 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए 2003-04 के 800 करोड़ रु. के परिव्यय को बढ़ाकर 2004-05 में 1000 करोड़ रु. किया गया।

4 बीमाशुदा ऐसा व्यक्ति जो फैक्ट्री तथा प्रतिठान के बंद होने या छंटनी होने या सेवा स्तर दुर्घटना में स्थायी तौर पर हुई अशक्तता के कारण मजबूरी में बीमा युक्त रोजगार छोड़ देता है उसके लिए बेरोजगारी भत्ता योजना का प्रावधान है।

5 असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए विधेयक तैयार किया जा रहा है।

6 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार के तहत शहरी गरीबों को स्वरोजगार में मदद करने के लिए 2004-05 में लगभग 69,000 अति लघु उद्यम स्थापित किए गए।

रोजगार को बढ़ाने के लिए सबसे पहले गरीबों का विशेा ध्यान रखना होगा तभी यह सब कार्यक्रम सार्थक होंगे।

1 निर्धनता के लिए रोजगार के विशेा कार्यक्रम चलाना।

2 निर्धनों को आसान शर्तों पर ऋण आदि उपलब्ध कराना ताकि वह कोई उद्यम स्थापित कर सकें।

3 श्रम प्रधान तकनीकी को प्रोत्साहित करना।

4 ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।

5 गरीबों को शिक्षित करना एवं विशेा रूप से रोजगार प्रदान करने वाली तकनीक का प्रशिक्षण देना।

6 ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को निर्धनों के लिए रोजगार की उत्पत्ति से संबंधित करना आदि।

अंत में मैं यूपीए सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, और माननीय डॉ. रघुवंश जी को बधाई देना चाहता हूं कि सीमित साधनों मों इस बिल को लाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : महोदय, मैं अपनी स्पीच सदन के पटल पर रखता हूँ।

MR. CHAIRMAN: It is very good. Laying written speech on the Table is very much appreciated.

श्री राकेश सिंह महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। एक ओर जहां बहुत बड़ी संख्या में उच्च शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, वहीं गरीबी के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके युवा भी बहुत अधिक संख्या में काम की तलाश में मारे-मारे फिर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह अधिनियम अपने नाम को सार्थक नहीं करने के बाद भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से है, अंतर इतना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम होते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला यह अधिनियम उपयोगी है, किन्तु इससे जुड़ी हुई अनेक बातें हैं, जिनमें सुधार आवश्यक है।

महोदय, इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार के एक वयस्क को वर्ा में 100 दिनों के लिए रोजगार प्राप्त होगा, जिसका पारिश्रमिक उसे एक माह के भीतर प्राप्त होगा। यदि प्रार्थी को 15 दिनों के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होगा तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी होगा।

महोदय, यहां हमें अपने देश की ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मूल पारिवारिक व सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का दोाी न ठहराया जा सके क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी संयुक्त परिवार की प्रथा है। एक परिवार में 18 वर्ा से अधिक उम्र के अनेक बेरोजगार युवा होते हैं। किन्तु उनमें से मात्र एक व्यक्ति को ही यह अधिनियम रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा और यही स्थिति चिंता पैदा करती है कि पारिवारिक मूल्यों और पारिवारिक सद्भाव, जो हमारे देश की संस्कृति में रचे-बसे हैं, को हम कैसे बचाएंगे क्योंकि परिवार में रोजगार पाने वाला एक व्यक्ति कौन होगा, इसका निर्णय बहुत कठिन होगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को रोजगार मिले, ऐसा प्रयास होना चाहिए। साथ ही एक और बात पर विचार करना चाहिए कि वर्ा में मात्र 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराकर हम बेरोजगारी को हटाने की बात कैसे कर सकते हैं? इस मंहगाई के युग में एक परिवार का मात्र एक सदस्य 60 रूपए प्रतिदिन का पारिश्रमिक पाकर, 100 दिनों के लिए पाकर, वर्ा के 365 दिनों में स्वयं और अपने आश्रितों का भरण्-पोाण कैसे कर सकेगा? इस स्थिति में क्या वर्ा के शेा 265 दिनों में उसे और उसके परिवार

---

* Speech was laid on the Table.

को बेरोजगारी और भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा और यदि ऐसा है तो क्या इसे हम रोजगार गारन्टी का नाम देकर भ्रम की स्थिति निर्मित नहीं कर रहे हैं?

महोदय, यदि हम आप इसे 100 दिनों से अधिक बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं तो कम से कम पारिश्रमिक की दर पर ही हमें विचार करना चाहिए जो कि मात्र 60 रूपए प्रतिदिन है।

महोदय, बेहतर यह होगा यदि हम वर्ा में 100 दिनों के बदले पूरे 365 दिनों की बात करें। परिवार के किसी एक सदस्य को नहीं बल्कि परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को रोजगार देने की बात करें, तब कहीं जाकर हम रोजगार गारन्टी शब्द को सार्थक स्वरूप प्रदान कर सकेंगे।

महोदय, सरकार अभी मात्र 200 जिलों में इसे लागू करने की बात कर रही है, जबकि अच्छा होता कि इसे पूरे देश में एक साथ लागू किया जाता ताकि अभी जिन जिलों में काम के बदले अनाज योजना लागू नहीं है, वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। विशेा रूप से एक बात की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूँ कि इस अधिनियम को लागू करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे जिले जहां इसकी वास्तव में आवश्यकता है, वहां इसे पहले लागू करना चाहिए। म् कहना चाहता हूँ कि अभी-अभी जिन जिलों ने बाढ़ और अतिर्वा की आपदा झेली है, जिनमें मेरे लोकसभा क्षेत्र के दोनो जिले - जबलपुर व कटनी - शामिल हैं, जहां बाढ़ व अतिर्वा ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को भीाण नुकसान पहुंचाया है। जबलपुर व कटनी में ग्रामीण क्षेत्रों में फसलें तबाह हो चुकी है, खेतिहर मजदूरों के लिए काम नहीं है। इसलिए ऐसे प्राकृतिक आपदाग्रस्त जिले, जिनमें मध्य प्रदेश के अन्य जिले भी शामिल हैं, को प्रारंभिक रूप से चिन्हित किए जाने वाले जिलों में जोड़ा जाना चाहिए।

महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्तावित अधिनियम पूर्व की कांग्रेस सरकारों की अन्य भ्रामक योजनाओं की ही तरह भ्रटाचार की भेंट न चढ़ पाए, इसकी विशेा चिन्ता की जानी चाहिए। अंत में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी विकराल स्वरूप में हैं, किन्तु जिसकी कोई चिन्ता, यूपीए सरकार की ओर दिखाई नहीं दे रही है। यह ठीक नहीं है। इसलिए शीघ्र ही इस पर विचार कर शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किसी ठोस और सार्थक योजना को इस सदन में लाने की जिम्मेदारी यूपीए सरकार की है, जिसे पूरा कर शहरी क्षेत्र के युवाओं को निराशा के वातावरण से निकालना होगा।

आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

डॉ. सत्यनारायण जटिया महोदय, इस बिल को देखकर लगता है :

" बदल गया कुछ लोगों का जीवन आंसू पीने वाले परिवार वही हैं।

क्या बदला जब मानवता की पीर वही है तकदीर वही है।।"

मैं जानता हूँ कि इस योजना में 100 दिन का काम देने की व्यवस्था है और इसके लिए 6,000 रूपए मिलेंगे। लेकिन मात्र 6,000 रूपए में एक परिवार का गुजारा कैसे हो सकेगा? पति-पत्नी, उसके माता-पिता और दो बच्चों वाले एक परिवार के इतने पैसे में गुजारा करने की हम कल्पना करते हैं। पहले भी काम के बदले अनाज योजना चलती, उसमें काम तो कम हुआ, अनाज के बदले रुपया हो गया। इसमें 60 रूपए न्युनतम मजदूरी देने की बात कही गयी है। साल भर में उसे 6,000 रूपए मिलेंगे चाहे वह इसे बेकारी भत्ते के रूप में ले या फिर काम की मजदूरी के रूप में और 4,000 रूपए उस पर खर्च हो जाएगा अर्थात हम जो दस हजार रूपए उस पर खर्च करने वाले हैं उसमें से 6,000 ही रूपए उसे मिलेंगे। लेकिन वास्तव में उसे कितने रूपए मिले, इसकी निगरानी करने के लिए इसमें जो निगरानी व्यवस्था है, उसमे अगर कोई व्यक्ति अनियमितता करता है तो उस पर एक हजार रूपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस योजना को ठीक से लागू नहीं करता है तो मात्र एक हजार रूपए देने से उसका सारा मामला खत्म हो जाएगा*[r104]

इसलिए इन सारी बातों को करने के लिए जो कुछ भी प्रावधान किए गए हैं, वे पूरे होने एवं खरे उतरने चाहिए। यह कहा गया है कि हम प्रारम्भ में इस योजना को 200 जिलों में शुरू करेंगे। लेकिन 150 के अतिरिक्त वे जिले कौन-कौन से होंगे, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति वाले जिले और पहाड़ी क्षेत्र के इलाकों में जो लोग रहते हैं, वहां उन्हें रोजगार की सख्त जरूरत है। अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से इस योजना का लाभ उन्हें मिलना चाहिए । कुल योजना में आपने 38,600 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। उसमें से 34,740 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र सरकार वहन करेगी और बाकी का व्यय राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा। यदि किसी प्रदेश सरकार का यह व्यय नहीं हो, तो फिर इस योजना को वहां लागू करने का मौका नहीं मिलेगा। इस दृटि से इन सारी बातों का इसमें समावेश किया जाए। यदि सरकार योजना बना रही है, तो जैसे काम के बदले अनाज योजना में शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार वहन करती है, उसी तरह इसमें भी प्रावधान होना चाहिए।

इन सारी बातों को देखते हुए लगता है कि यह जो योजना बनाई गई है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसे ऐसा कहा जा सकता है कि यह मिनिमम वारंटी वाली योजना है, क्योंकि इसमें बहुत शर्तें लगा दी गई हैं। 100 दिन का काम और बाकी दिन ना काम । बरसात के मौसम में काम कहां मिलेगा, यह भी विचार करने लायक है। काम के लिए योजना में भुगतान भी देना होगा। अगर आज कोई काम करता है, उसे सात दिन में या 15 दिन में भुगतान देते हैं, तो फिर वह क्या खाएगा और काम के लिए कैसे जाएगा, खाएगा नहीं तो जिया कैसे जाएगा। इसलिए इस योजना में जितन भी काम हैं, उनके लिए जैसे दिहाड़ी मजदूरी उसी दिन मिलती है, वैसे ही आज जो काम करे, उसे उसी दिन भुगतान मिलना चाहिए। अगर उसी दिन काम, उसी दिन दाम तो निश्चित रूप से उसे मिलेगा आराम, नहीं तो वह हो जाएगा बेदाम। इसलिए ये जो न्यायसंगत बातें हैं, इस पर गौर करना चाहिए।

इस बिल का जो हिन्दी अनुवाद हमें मिला है, उसमें एक गलती हो गई है। हिन्दी अनुवाद में कहा है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र की निर्धन बस्तियों में व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ा में प्रत्येक व्यक्ति को, जो अवयस्क है, यह 'अवयस्क' गलत लिखा गया है, इसकी जगह ' वयस्क' होना चाहिए। इसलिए इसे सुधारना चाहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह क्लेरिकल मिस्टेक है। आपने जो बताया उसके लिए धन्यवाद। इसमें सुधार हो जाएगा।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : गलती आखिर गलती ही है इसलिए इसमें सुधार करना चाहिए। बेकारी भत्ता किस प्रकार से देंगे और काम देने के लिए क्या नीति बनाने वाले हैं, उसके लिए प्र ाबंध करना पड़ेगा, वह होना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता का विाय है कि राज्य सरकारों के पास धन नहीं हुआ, तो फिर इस योजना का क्या होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 25 प्रतिशत भार राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा। आपने कहा है कि हम इस योजना को पांच वर्ा में पूरे देश में लागू कर देंगे। आप इसका भरोसा न करें और जितना समय मिला हैं, उसी में इस योजना को पूरे देश में लागू करने का काम करें। पांच वर्ा का समय किसने देखा है। इसलिए अच्छी योजना को सभी जिलों में लागू करने के लिए जल्दी कदम उठाना चाहिए। हमने संविधान के प्रि एम्बल में भी लिखा है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय देना है। इसलिए सामाजिक और आर्थिक न्याय का कदम पूरा हो सके, आप इसे जल्दी से पूरे देश में लागू करें। जिससे हम सब योजना को फलीभूत होता देख सकें, उसे साकार और सार्थक होता देख सकें। इस योजना में जो कमियां हमारे सामने हैं, उनमें किस प्रकार से सुधार करेंगे, क्योंकि यह अधिनियम आ गया है इसलिए सुधार करने का ज्यादा मौका आपके पास नहीं है। परंतु आप गाइडलाइंस जारी करते हुए इन सारी बातों को सम्मिलित कर सकते हैं।

इस बिल की भावना निश्चित रूप से सही है। यह भी सही है कि इसमें कुछ कमियां हैं, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस योजना को ठीक प्रकार से लागू किया जाएगा, तो लोगों को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। योजना को लागू करते समय जो इसमें बातें हैं, उन्हें बहुत निकटता से देखने की जरूरत है। आपने इसमें निगरानी की बात कही है, लेकिन उस तरफ पूरी तवज्जोह नहीं दी है। अगर तवज्जोह नहीं देंगे, तो यह काम पूरा नहीं होगा। इसलिए गरीबों के लिए जो हम काम करते हैं, उसे सही ढंग से करना चाहिए, क्योंकि हमारी भावना है - मानव मानव में भेद नहीं, कर्म-धर्म समान है, सामाजिक समता मनुये का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस रोजगार के जन्मसिद्ध अधिकार को आर्थिक न्याय के आधार से जोड़ेंगे, तो इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा।

22.00 hrs.

SHRI RAVICHANDRAN SIPPIPARAI Sir, share market index is soaring high; foreign reserves touch upon 6 lakh crores of rupees mark; annual growth rate of our economy is pegged at 7%; all these indices promise that India will be emerging in the next 25 years a great economic power. Apart from showing concern about providing the basic infrastructural need there is a need to meet the basic needs of about 30 crores of people who live below the poverty line. We now deliberate on a Bill that comes to the aid of about 20 crores of agricultural labour who live in the rural areas of the country. It is a new milestone of UPA's governance that has a human face about it. I heartily welcome the National Rural Employment Guarantee Bill.

Contract system is being abolished and use of machines is shunned. These are but the salient features of this Bill which seeks to involve people and employ people in implementing schemes that are to be taken up under the scheme of things envisaged in this Bill. It is also provided for in this Bill to give compensation in the form of unemployment allowance for the days on which the identified workers are not provided with job. The rural poor can now get a social security somewhat similar to that of the workers of the organised sector. When 20 women are engaged in a particular work, one among them would be entrusted with full pay the job of taking care of any child under 6 years of age who might have been brought to that work spot. This is one of the appreciable aspects of this Bill. An ex gratia payment of Rs 10000 would be paid to any worker who dies while engaged to work under this scheme. Similar features make this Bill a significant Bill and a historical one.

Our Union Minister for Rural Development Dr Raghuvansh Prasad is a socialist with a humanitarian outlook and takes effort to uplift the lot of the rural poor. At this juncture I would like to bring to your notice the findings of a survey

_____*Translation of the speech originally delivered in Tamil.

conducted recently in 6 States by the students of Jawaharlal Nehru University about the implementation of integrated rural development projects. It has been found out that the implementation is wrought with several flaws in 5 States that were surveyed. They had found out that proper rosters were not maintained. In the light of this I would like to urge upon the Centre that let this NREG Programme be taken up with a spirit of commitment and vigilance.

This gigantic programme that seeks to provide jobs to 4 crore people at an expense of 40,000 crores of rupees must be handled with care and vigil. Only then the objectives could be achieved.

The doyen and darling of the Tamil masses late lamented Anna Durai said that we must endeavour to bring smile in the saddened faces of the poor to see God Himself there. I find a serious attempt at it is being made by our hon. Rural Development Minister Dr Raghuvansh Prasad Singh. He is striving to bring happiness in about 5 crore rural families and I welcome and support his move on behalf of Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam and on behalf of our leader Vaiko.

Let me conclude my speech thanking the Chair.

SHRI LALIT MOHAN SUKLABAIDYA Mr. Chairman, Sir, I stand to support the National Employment Guarantee Bill, 2004.

Unemployment has now become a common feature of our social set up, though we have a huge human resource which we cannot employ in productive purpose.

The Bill seeks to provide employment to at least one person from each family who is ready to work. This is the first realistic approach towards solution of the huge unemployment problem of the country which could increase our gross domestic product.

Our previous attempts at upliftment of the rural economy could not deliver the expected results due to the huge population growth and ineffective management. For generation of employment for the rural population, we tried many programmes but the number of people unemployed at present indicates that these programmes could not deliver the things. For this we need to promote efficiency in management and our delivery system needs to be overhauled. The system itself should be made cautious for irregularities. Otherwise, it might jeopardise the good and sincere wishes of the UPA Government to eradicate rural poverty.

For launching an assault on poverty and unemployment, the scheme of 100 days'guaranteed employment for eligible persons, one person per family, is a bold step taken by the UPA Government. In fact, it is a turning point in the Indian economy, especially in the management of unemployment and population. Implementation of this law would be a landmark achievement of the Government towards eradication of rural poverty.

The people who would be employed would have faith in themselves because of 100 days' employment security. This would give them earning and a sense of joining in productive work. But, one household as defined in the Bill, may consist of more than one family. For the purpose of guaranteed employment this should be taken into account.

I wish to read out here the definition of 'household'as mentioned in the Bill, which says:

"… the member of a family related with each other by blood, by marriage or adoption, and normally residing together … "

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, it would be better if you lay the remaining part of your speech instead of reading it out.

SHRI LALIT MOHAN SUKLABAIDYA : Yes, Sir. I may please be permitted to lay the remaining part of my speech.

*We became independent in 1947, with slightly more than 33 crores of people, and today our number of unemployed people equals almost that same figure. We are 17 per cent of world population but we share only 1.8 per cent of world GDP. There is no dearth of demand but purchasing power is low. So what we need – we need to generate income by producing more and more goods and services by utilizing our resources both human and natural.

Our Honourable leader, Shrimati Sonia Gandhi pointed out that the remuneration is not dole – but they have to work to earn. We have to make Bharat Nirman within four years time. But we need manpower for building special infrastructure in rural areas, namely six components namely, Irrigation, Roads, Water-supply, Housing, Rural Electrification and rural telecom connectivity.

We can very well engage our people who will get 100 days employment in the work of Bharat Nirman and other projects drawn by competent authorities including post reconstruction works of flood and other natural calamities.

Another point which I want to mention in rural areas is that there is a specific class of people in my state Assam who are working but are not getting salary for years. Many of them have retired but without any benefits.

---

*…*This part of speech was laid on the Table.

These people were employed in venture schools and working without remuneration. They are waiting to get remuneration when their services would be provincialised. My request is that these people should also be covered under this scheme. Even for 100 days if they can get 6000 rupees per year, this amount can also benefit them till taking over of their services. These teachers of venture educational institutions deserve to be remunerated.

I thank Hon'ble Minister Raghuvansh Ji for moving this Bill for providing social security in one hand and on the other hand improving the quality of human life by generating income and confidence among rural population.

Lastly, I want to quote John F. Kennedy, "If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich".

Thank you sir for giving me a chance to speak.

[e105]

22.05 hrs. (Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

श्री रामदास आठवले उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विाय पर इस अगस्त हाउस में पिछले हफ्ते से चर्चा हो रही है। चाहे कोई भी सरकार हो, उसे आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। जो सरकार आम आदमी के लिए काम नहीं करती है, उस सरकार की छुट्टी होती है। यूपीए की सरकार ने इस बारे में सोचा है। एनडीए सरकार की इसलिए छुट्टी हुई कि उन्होंने रोजगार की गारंटी नहीं दी। यदि हम लोग भी रोजगार की गारंटी नहीं देंगे तो पांच साल के बाद हमारी भी छुट्टी हो जाएगी। रघुवंश बाबू रैवोल्यूशनरी लीडर हैं। इसलिए रेवोल्यूशनरी विधेयक हाउस में लाए हैं।

मैं रोजगार की गारंटी देने वाले विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत में कई जिले हैं लेकिन सरकार ने 200 जिलों में इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। देश में मंहगाई बहुत बढ़ रही है। 60 रुपए देने के बारे में रघुवंश बाबू जो प्रस्ताव लाए हैं मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि सौ दिनों में जो 6000 रुपए मिलेंगे उसमें एक आदमी पूरी फैमिली को चला नहीं सकता है। मेरा अमैंडमैंट इतना ही है कि 250 दिन के रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। भारत के हर जिले का उसमें समावेश करने की आवश्यकता है।

आपने 60 रुपए पर-डे जो मजदूरी फिक्स की है, उसमें 20 रुपए और बढ़ाए जाएं।...(व्यवधान)

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : 20 रुपए और बढ़ाए जाएं।

श्री रामदास आठवले : इसमें और 20 रुपए बढ़ाए जाएं। सौ नहीं तो डेढ़ सौ रुपए मिलेंगे तो ठीक है लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए। महाराट्र सरकार ने 1974 में इस योजना को लागू किया था। महाराट्र में जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, अगर वे तहसीलदार को एप्लीकेशन देते हैं और रोजगार मांगते हैं तो उनको रोजगार मिल जाता है। 2-3 दिन में उनको रोजगार मिल जाता है। वहां बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। इस योजना से रूरल एरियाज का अच्छा विकास होगा। देश में बिलो पावर्टी लाइन में रहने वाले लोगों की संख्या 26 परसैंट है। वर्ल्ड बैंक के सर्वे के मुताबिक 43 परसैंट बिलो पावर्टी में रहने वाले लोगों की संख्या है। आजादी के बाद कई सरकारें आईं और गईं। यहां के गरीबों को न्याय मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस समाज से आए हैं, उस समाज से मैं भी आया हूं। अपना समाज गांव के बाहर रहने वाला समाज है। अपना समाज गरीब है लेकिन ईमानदार है। अपने समाज को ज्यादा से ज्यादा देने की आवश्यकता है। जब तक गरीबों को रोजगार की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक उनका विकास नहीं हो सकता । जब एनडीए की सरकार थी, मैं कहता था कि जब तक गरीबों को रोजगार की गारंटी नहीं मिलेगी, एनडीए की सरकार नहीं चलेगी। एक दिन ऐसा हुआ कि रोजगार की गारंटी मिली नहीं और एनडीए की सरकार चली नहीं। रघुवंश बाबू रोजगार गारंटी का अच्छा बिल लेकर आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

श्री रामदास आठवले : आप मेरी कविता सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदयः फिर बारह बज जाएंगे। अभी बोलने वाले 8-10 मैम्बर्स हैं।

श्री रामदास आठवले : फिर रात भर यही बैठते हैं। गांव के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पार्लियामैंट के लोग कितने सीरियस हैं कि हम लोग रोजगार की गारंटी देने के लिए रात भर बैठे। रघुवंश बाबू रोजगार गारंटी बिल लाए हैं। सोनिया गांधी और यूपीए का नाम सारे देश में छाया है। रोजगार गारंटी का गीत हम सभी ने गाया है और डाक्टर मनमोहन सिंह की सरकार गरीबों ने चलायी cè[R106]* <ºÉÉÊâÉA +ÉÉ{É £ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉÉIÉ 2होते तो बहुत अच्छा होता। इसीलिए...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीभाऊ राठोड़।

श्री रामदास आठवले : इसलिए यूपीए सरकार अच्छा बिल लाई है, यूपीए सरकार को...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : हरीभाऊ राठौड़ जी, आप बैठिए। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी हो गई रात, अब मैं क्या करूं बात।

(इति)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Athawale, you should sit down. Nothing else will be recorded except the speech of Shri Haribhau Rathod.

(Interruptions) *

---

*Not Recorded

SHRI HARIBHAU RATHOD Sir, I may be permitted to speak from this seat.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Okay.

श्री हरिभाऊ राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महाराट्र सरकार में श्री बसंत राव नाईक मुख्यमंत्री थे और श्री वी.एस. पागनी ग्रामीण विकास मंत्री थे तब 30-32 साल पहले यह योजना शुरू हुई थी। इस योजना का मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे पांच मिनट का समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट नहीं, आपको तीन मिनट का समय देंगे।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : मुझे इस बात का अनुभव है, मैं खुद महाराट्र की ग्रामीण रोजगार योजना में मजदूर था। मैंने इस हाथ से पत्थर तोड़े हैं, मैंने इस हाथ से मिट्टी खोदी है। मुझे याद है कि वर्ा 1972 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और अकाल के बाद यह योजना वर्ा 1972 में शुरू की गई थी। मैं समझता हूं कि मैंने कांग्रेस का नमक खाया है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन दिनों लाल ज्वार खाई थी, यह ज्वार अमरीका से लाई गई थी, अमरीका का वह एग्रीमेंट पीएल480 के अन्तर्गत था। आज वह दिन मुझे याद है कि भूखा मरने से यह खाना अच्छा लगता था, आज भी हमारी स्थिति ज्यों की त्यों है। "गरीबी हटाओ" का नारा बार-बार दिया गया। आज भी जिस तरह से इस योजना को पेश कर रहे हैं, गरीबों को लुभाने के लिए पेश कर रहे हैं। यूपीए सरकार की नेता माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का भााण मैंने बड़े ध्यान से सुना है, उन्होंने यूपीए सरकार के नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जिक्र किया है लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने यह काम ठीक तरह से नहीं किया। मैं यूपीए सरकार का प्रोग्राम बताता हूं

> "This will provide a legal guarantee for at least 100 days of employment, to begin with, on asset-creating public works programmes every year at minimum wages for at least one able-bodied person in every rural, urban poor and lower middle class household."

उन्होंने अर्बन को छोड़ दिया और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को आधा ही इम्पलीमेंट कर रहे हैं। मैंने पन्द्रह अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का भााण ध्यान से सुना, उन्होंने बताया कि क्रांतिकारी बिल ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो एसएससी पढ़े-लिखे लोग हैं, जो बारहवीं पास हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो हमारे नौजवान हजारों-लाखों-करोड़ों की संख्या में बेकार हैं क्या उनके लिए यह योजना दे रहे हैं? क्या उनको मिट्टी खोदने के काम में लगाएंगे, पत्थर तोड़ने के काम में लगाएंगे? उनके लिए आपने क्या किया? ये लोग बहुत ज्यादा तादाद में हैं। इसमें जो फाइनेंशियल इम्पलीकेशन का मैमोरेंडम है, उन्होंने एवरेज निकालकर साठ रुपए प्रति मैम्बर का प्रावधान किया है। एक तरफ तो हम मिनिमम वेजेस 100 रुपए की बात कह रहे हैं, यहां मिनिमम वेजेस अलग-अलग हैं। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल इम्पलीकेशन, जो इसमें बताया है वह गलत साबित cÉäMÉÉ[p107]*

इसलिये सरकार न केवल इस सदन को बल्कि देश को गुमराह कर रही है। सरकार को इसे ठीक करना चाहिये। सरकार ने फाइनेंशियल इम्पलीकेशन्स बहुत कम बताये हैं। अगर एक्सीडैंट में परमानेंटली डिसएबल्ड हो गया तो सरकार ने उसके लिये 25 हजार रुपये की बात की है, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इस राशि को एक लाख करना चाहिये, ऐसी मेरी रिक्वैस्ट है। सरकार ने बताया कि महाराट्र में 365 दिन की गारंटी है लेकिन यहां 100 दिन की गारंटी क्यों दे रहे हैं? हमारे मराठी में कहावत है -' अरजे आमी, अरजे तुमी, रोज़गार आमी' कहीं ऐसा न हो जाये हाफ हाफ अरजे तुमी और रोजगार आमी। ऐसा नहीं होना चाहिये। मैंने देखा है कि महाराट्र में 2-2 महीने तक पेमेंट नहीं होती है। जो उन लोगों को अनाज के कूपन मिलते थे, 6-6 महीने तक कूपन नहीं पहुंचते हैं। वे लोग घूम रहे हैं और उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिये। सरकार को इस तरफ देखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक इंटरैस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूं। आपको सुननी चाहिये और मंत्री जी को कल उसका उत्तर देना चाहिये। महाराट्र सरकार ने गारंटी बिल में बताया है कि यदि वह काम नहीं दे सकेगी तो बेरोज़गारी भत्ता देते हैं। लेकिन एक केस भी 30 साल से ऐसा नहीं है कि जब काम न मिला हो लेकिन पैसा मिल गया हो। कभी भी घर बैठे ऐसा नहीं हुआ कि पैसा मिला हो। सरकार ने तो बिल का नाम रोजगार गारंटी रखा है, ऐसा क्यों रखा है? लेबर आ

ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। यदि 50 लोग आकर एप्लीकेशन देंगे लेकिन आप ऐसा प्रावधान कीजिये कि जो लोकल एम.पी. या एम.एल.ए. है, उसके सुझाव के मुताबिक काम चालू कराना चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, मैं तीन दिन से सोया नहीं हूं। मैं कुछ और सुझाव देना चाहता हूं। आप उन पैसों से खेती के लिये कुयें खुदवाइये और इन्दिरा आवास योजना के लिये पैसा दीजिये। मेरा यवतमाळ संसदीय क्षेत्र है जहां 650 आदिवासी बच्चे कुपोाण से प्रभावित हैं, उनके लिये कुछ कीजिये। इस साल के बजट में वित्त मंत्री जी की मंशा थी...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अब नहीं। प्लीज बैठ जाये।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : उपाध्यक्ष जी, कल मंत्री जी को क्लैरिफिकेशन देना है। ' काम के बदले अनाज' और ' रोज़गार गारंटी योजना' के बारे में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इसे बाद में कनवर्ट कर देंगे। क्या 150 पिछड़े जिलों की योजना चालू रहने वाली है या इसे मिक्स करके एक योजना करने वाले हैं? इसका खुलासा किया जाय ...*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। आपका भााण रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।

*Not Recorded

श्री रवि प्रकाश वर्मा उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राट्रीय रोज़गार गारंटी विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं विधेयक के केवल पाइंट्स पर ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष जी, बेरोज़गारी कारण नहीं है बल्कि परिणाम है कि इस बात से हम सब सहमत हैं। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो यह है कि जो गारंटी पार्ट है, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। सरकार ने पहली बार अपनी जिम्मेदारी महसूस की है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि काम को संवैधानिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिये, उस दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिये 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी है। जब वे काम मांगेंगे तो सरकार उन्हें कम से कम 100 दिनों के लिये काम देगी। जो मिनिमम वेजेज का नार्म है, अगर रोज़गार नहीं देगी तो सरकार बेरोज़गारी भत्ता näMÉÉÒ[RB108]*

यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें इसमें बहुत जल्दी योजना बना लेंगी, पर्सपैक्टिव प्लान बना लेंगी तथा राज्य सरकारों, जिला पंचायतों और ग्राम सभा के माध्यम से यह एक्जीक्यूट किया जायेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप 15 करोड़ परिवारों को काम का अधिकार देना चाहते हैं, यानी कि लगभग 60-70 करोड़ की आबादी इसमें कवर होगी। जो इसके प्रॉस एंड कॉन्स एन्टिसिपेट हुए हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो पंचायत मूल रूप से नियोजन में इनवोल्व होगी, सौ दिन के अंदर आप गजब नहीं कर देंगे, यह निश्चित बात है। हम जानते हैं सीमा आपके सामने है। लेकिन आपकी योजना यह भी है कि सौ दिन का जो काम आप उन्हें देंगे, उस बीच में गांव में जो बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, उससे कम से कम एक सस्टेनेबल इम्पलॉयमैन्ट का माहौल बन जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, जो नियोजन की बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, आज हालत यह है कि चाहे शिक्षा के मामले हों, रोजगार के मामले हों, चाहे स्वास्थ्य के मामले हों, आज पचायतों को बड़े अख्तियार दिये गये हैं, लेकिन जितनी भी कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, वे पंचायत के लिहाज से यूजर फ्रैन्डली नहीं हैं। जो कायदा-कानून बन रहा है, वह इस कदर नौकरशाही की चपेट में हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन होते-होते परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसके पहले भी रोजगार की कई .योजनाएं चली हैं, लेकिन वे फेल हुई हैं। योजनाएं कोई खराब नहीं थीं, लेकिन जो योजनाओं का क्रियान्वयन था, उसके अंदर नौकरशाही का काम करने का जो नजरिया था, जो एक नॉन-कंड्यूसिव एटीच्यूड था, उसके कारण योजनाएं खराब हुईं। आपने कहा है कि यह बहुत ही महान और ऐतिहासिक बिल है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को महसूस करें कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है, यह ऐतिहासिक बिल भी होगा, जैसा कि हम बार-बार आपसे कह चुके हैं कि जिस दिन आप कम्पलसरी एजूकेशन बिल हाउस के फ्लोर पर लायेंगे, यकीन मानिये, उस दिन इस संसद में एक ऐसा उत्सव होगा, जैसा 15 अगस्त, 1947 को हुआ था। हम इस बात का आपको एहसास कराना चाहते हैं कि पंचायत जो हमारी मूल ईकाई है, आप पांच वर्षों में उसे इस लायक कर देना चाहते हैं कि उस गांव की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो। उस गांव के अंदर जो अनस्किल्ड लेबर है, वह सेमी-स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट हो और जो सेमी-स्किल्ड लेबर है वह स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट हो। उसके लिए हमारे पंचायत राज के जो प्रधान, सदस्य जीत कर आ रहे हैं, उनके लिए एक व्यापक प्रशिक्षण की योजना बनानी होगी। उसे आपको इसी में से निकालना पड़ेगा। यह भी मेरा एक सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, महाराट्र में जो योजना चालू की गई थी, उसकी कमियां और अच्छाइयां भी सामने आई हैं। उसमें एक बात यह भी सामने आई थी कि जब बाजार में लेबर का भाव ऊंचा होता है तब ये योजनाएं बहुत कामयाब रहती हैं। ये योजना मूल रूप से गरीबी हटाने की योजना नहीं है, यह मूल रूप से आदमी को भूखा मरने से बचाने की योजना है और विशेा परिस्थितियों में यह महाराट्र में लागू की गई है। महाराट्र ने इसमे काम किया है। आज हालत यह है कि 30-35 साल हो जाने के बाद भी एक ढर्रा बन गया है। हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि महाराट्र में पंचायतें सफल हुई होंगी, लेकिन पूरे तौर पर वे पंचायते एक सैल्फ-सफीशिएन्ट पंचायती सिस्टम के तौर पर कामयाब नहीं हो पाई। इस हिसाब से भी गौर करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि पंचायत को एक उत्पादन की ईकाई के तौर पर और उत्पादन ही नहीं, बल्कि प्रसंस्करण ईकाई के तौर अगर आप उसको विकसित कर पायेंगे तो निश्चित रूप से आप इन लेबर लोगों को वहां स्थाई रोजगार दे पायेगें। केवल सौ दिन के रोजगार से काम चलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। Mr. Verma, please conclude your speech.

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत सारे मैम्बर्स को बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : मेरे पास सिर्फ प्वाइंट्स हैं, मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। लेबर देहात की अर्थव्यवस्था का बड़ा ही महत्वपूर्ण कम्पोनैन्ट है। किसान और मजदूर ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। आज सवाल इस बात का है कि हम इस परेशानी का एक सिम्पटोमैटिक ट्रीटमैन्ट कर रहे हैं। आज हालत यह है कि अगर हम गांव को उत्पादन की ईकाई बनाकर उसे प्र ासंस्करण की ईकाई बना पायेंगे, गांव की आमदनी जैसा कि टैन्टेटिव रूप से हमने देखा है कि जहां खेती हो रही है, 70-80 लाख रुपये साल की आमदनी है, यदि इस आमदनी को हम दस गुना कर पायेंगे, तभी हम लेबर को पूरा कारोबार दे पायेंगे। सच्चाई यह है कि जिस तरीके से शहरों में हम लोगों ने नौजवानों को पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, हमने हिन्दुस्तान में एक आई.टी. बूम में पार्टिसिपेट किया है, जो कि ग्लोबल बिजनेस का तीन परसैन्ट है। हालत यह है कि अगर हम गांव को आउटसोर्सिंग की एजेन्सी बना पायेंगे, उन्हें उत्पादन की एक ईकाई बना पायेंगे तो जो रिटेल का बिजनेस हमारी धरती पर हो रहा है, अगर हम पूरे एशिया के अंदर एक ऐसी चेन बना पायेंगे तो यकीन मानिये आपका मकसद पूरा हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, मुझे एक मिनट और दे दीजिए, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं। गांव को उत्पादन प्रसंस्करण की ईकाई बनाने के लिए एक ग्राम का पर्सपैक्टिव प्लान बनाकर विलेज ग्रोथ सैन्टर के माध्यम से काम करना होगा, ताकि प्रोफेशनल एडवाइस का लाभ मिल सके।

राट्रीय वेज गारंटी काउंसिल को सिर्फ वेज गारंटी ही नहीं करना चाहिए, वरन् नेशनल सोशल सिक्युरिटी काउंसिल बनाकर एजूकेशन, हैल्थ, फूड सिक्युरिटी, ड्रिंकिंग वाटर तथा व्यापक सोशल सिक्युरिटी ऑस्पैक्ट्स को भी एड्रैस करना होगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you, Mr. Ravi Prakash Verma. No, I would not be able to give you more time to speak. Thank you.

Next is Shri Varkala Radhakrishnan.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN I support the Bill. This is only a beginning and not an end in itself. I do not claim it to be a historic attempt. We can make it historic, but claiming it historic is not correct.

Now, the Bill as schemed has many inherent weaknesses. I do not take this opportunity to point out all those inherent weaknesses, but one thing I must make it clear that this Bill has to be implemented through a sincere effort through a committed bureaucracy. The present bureaucracy is quite inefficient, insufficient and unfit for implementing this people's Bill, which is to benefit crores of people who are in the rural areas, in the villages.

Now, we have our own experience. We have passed the Right to Information Bill in the previous Session, which is very much connected with this Bill. So far, it was not notified. So far, the rules have not been framed. It may take some more months to do that. Now, bottlenecks have been created in framing the rules. There is a dispute as to whether the correspondence between the Executive and the Rashtrapathi Bhawan should be brought under the purview of Right to Information Act. So, it will take months for the bureaucracy to notify the rules as well as the provisions in the statute. Right to Information is very important for transparency in public administration.

Therefore, the success of this Bill mainly depends upon the success of the Right to Information Act. If it is not properly implemented, this Bill also will fail. At the same time, we have to form a Central Fund as well as a State Fund. Much depends upon the cooperation of the States concerned. There also, the same scheme will have to be implemented. There must be Committees in the States just as in the Centre. We have different political arrangements in different States. How far the States will cooperate is a matter to be decided in future. Without the States' cooperation, this Bill cannot be implemented. These are the bottlenecks, these are the hardships which come to my mind when I think about the implementation of the National Rural Employment Guarantee Bill.

I wish the Government all success. I also give them my wholehearted support, but they would not get support as is expected in the Bill from all the States. So, they have to create a situation through which this Bill can be implemented. For that purpose, we must deal with this implementation, irrespective of political affiliations and irrespective of colour. We should have an independent approach, so far as implementation of this Bill is concerned.

I hope that the UPA Government will take the lead in getting cooperation or eliciting the cooperation of all the States in India. I hope, my learned friend, the Minister, will give emphasis and also will take sufficient precaution in getting or eliciting the support of all the States concerned without which we cannot implement this Bill.

With these words, I support the Bill.

)

डॉ. रामेश्वर उरांव उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा यूपीए की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी को, प्रधान मंत्री जी को और जितने भी यूपीए के घटक हैं उनको, और अंत में रघुवंश बाबू को। रघुवंश जी न केवल समाजवाद की बात बोलते थे जब हम छात्र थे, बल्कि आज उन्होंने इस बिल को लाकर दिखा दिया कि उनका दिल गरीबों के साथ है।

उपाध्यक्ष जी, रोज़गार की गारंटी तो पहले भी होती थी, लेकिन इस बिल में मौलिक अंतर है। पहले रोज़गार दिया जाता था। यह बिल जब एक्ट का रूप ले लेगा तो गरीबों के पास काम मांगने का अधिकार होगा। इस राइट टु डिमांड वर्क के साथ राइट टु इनकम भी होगा। जिसको इंप्लायमैंट मिलेगा, उसको इनकम भी cÉäMÉÉÒ[h109]*

दो किस्म की इसमें सुरक्षा प्रदान की जा रही हैं - पहली रोजगार की सुरक्षा और दूसरी इनकम की सुरक्षा। इसमें व्यवस्था यह है कि पहली बार कानून के तहत महिलाओं की भागीदारी इस नियोजन में होगी। इस बिल के द्वारा पंचायत द्वारा भारत को मजबूत करने के लिए रोजगार देने की शक्ति दी जा रही है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड अकेला राज्य है, जहां पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। यह बिल पास हो भी जाए तो झारखंड में कैसे लागू होगा। पूरे सदन को और देश को इस विाय में विचार करना चाहिए। इसके जो आर्थिक पक्ष हैं मैं उस पर भी बोलने की इजाजत चाहता हूं कि इस बिल से क्या फायदा होने वाला है। काम मांगने का वैधिक अधिकार अगर बनेगा, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। हम अखबारों में पढ़ते थे कि एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ रहा है, लेकिन लोग भूखे मर रहे हैं। जब रोजगार मिलेगा तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। लोग भुखमरी से बचेंगे। इस बिल में लचीलापन भी है। इससे ज्यादा लोग रोजगार में आएंगे तो ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। काम कराने के बाद नियोक्ता मजदूरों को मजदूरी समय पर देंगे। समय पर मजदूरी देने का भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। पहले जैसा नहीं है कि सरकारी कामों को करवा लिया गया और छह-छह महीने तक पैसा नहीं दिया गया। मेरे क्षेत्र में सर्कल आफिसर में काम कराया, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ है। हम लोगों को वहां पर मजदूरी दिलवाने के लिए जाना पड़ता है और भी कई माननीय सदस्यों को जाना पड़ता होगा। लेकिन इस कानून में प्रावधान है कि समय पर मजदूरी दी जाए। डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन भी इस बिल के द्वारा रुकेगा। बिहार में बाढ़ और झारखंड में सूखाड़ से प्रभावित लोग दूसरी जगहों पर, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं। इस कारण से शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कई अन्य कल्याणकारी स्कीमों पर असर पड़ता है। इस बिल से डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन रुकेगा। इस एक्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन होगा, उससे बैकवर्ड इलाकों का आर्थिक विकास होगा। इस देश में गरीबी का दुचक्र चल रहा है और सभी सदस्य इस पर बोल चुके हैं। इस दुचक्र को रोकने के लिए रोजगार प्रदान करना ही एकमात्र साधन है और जब लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, तब ग्रामीण भारत खुशहाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश वाघमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूं। आदरणीय मंत्री जी मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां जो आपके मंत्रालय की जननी है। वर्धा, सेवाग्राम आदि जगहों से पूज्य श्री बापू जी और श्री विनोबा जी ने ग्रामीण भारत का सपना पूरे देश के सामने रखा था। गरीबी हटाओ के नारों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की अनेक योजनाएं नाकाम हुई हैं। बहुत-सी योजनाएं छोड़ने के बाद आज नए कानून के दायरे में बैठ कर रोजगार का नाम देकर जिस रोजगार को प्राप्त करने के लिए कानून के दायरे से आज मजदूर भाइयों को गुजरना पड़ रहा है। यह 55 साल की आजादी के बाद हमारे देश की हालत है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यह नई योजना लाए हैं, लेकिन बहुत सी खामियां इस बिल में हैं, जिनको उजागर करके उनमें सुधार करने की अपेक्षा रखता हूं। महाराट्र के बारे में बहुत-सी चर्चा की MÉ[i110]<Ç[i112][i111] cè*

सभापति जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने रोजगार या डी.आर.डी.ए. के बारे में अच्छी बात कही थी, लेकिन महोदय आपको पता है कि डी.आर.डी.ए. में किस प्रकार से काम होता है। समय की कमी के कारण मैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं।

महोदय, इसमें जो परिवार की परिभाा दी गई है, वह भी ठीक प्रतीत नहीं होती है। आज भी गांवों में 20-20 और 30-30 व्यक्तियों का एक ही परिवार है और कहीं-कहीं तो 50 आदमियों का भी एक परिवार है। अगर एक फेमिली के एक ही व्यक्ति को रोजगार देने की बात होगी, तो इससे गरीबों के ऊपर अन्याय होगा। एक गरीब और बेरोजगार व्यक्ति को 6000 रुपए, वह भी एक वर्ा में रोजगार देने हेतु हमें इतनी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, यह ठीक नहीं है। आज हम शहरों में देखते हैं कि परिवार के सब के सब लोग नौकरी करते हैं। आज हम शहरों में देखते हैं कि एक ही फेमिली के अलग-अलग, 5-7 कमाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम एक मजदूर भाई को मजदूरी देने के लिए और वह भी एक वर्ा में केवल 6000 रुपए देते समय उसे इतने कानूनी दायरे में लाने की बात कह रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि परिवार की परिभाा बदलने की आवश्यकता है।

महोदय, शहरी और ग्रामीण परिवारों की जो परिभाा की गई है, यह भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आज जो हमें शहरी भारत देखने को मिल रहा है, वह नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें भी कुछ सुधार करें। मैं सिर्फ दो ही बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस बिल में मजदूरों का स्थानांतरण रोकने के लिए कोई ठोस प्रावधान दिखाई नहीं देता है। इसमें कार्यक्रम की भी समय सीमा तय नहीं की गई है। हम कहते हैं कि हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। अनाज से गोदाम भरे हुए हैं, मगर इसके बावजूद कुपोाण से मौत हो रही हैं। इसके क्या कारण हैं, इस बारे में सोचना जरूरी है। हमारे देश में अमीर और गरीब का जो दायरा बढ़ता गया है, उसे ठीक करने के लिए इस बिल में कुछ सुधार करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद.।

*सर, रोजगार गारंटी विधेयक में निम्नलिखित सुधार, माननीय मंत्री जी को सुझाव के तौर पर देना चाहता हूं :-

(1) एक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार - इसमें बदलाव होना चाहिए।

(2) शहरी क्षेत्र को समाविट करें।

(3) महिलाओं को स्थान देना चाहिए।

(4) रोजगार के नाम पर होने वाला स्थानांतर रोकना।

(5) 100 दिन के रोजगार के बारे में समय सीमा तय करना।

(6) इसे देश के सभी क्षेत्रों में लागू करना होगा।

(7) पूरे वर्ा के लिए रोजगार का प्रबंध हो।

… This part of the speech as laid on the Table.

डॉ. राजेश मिश्रा मान्यवर, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए ख़ड़ा हुआ हूं। मैं यू.पी.ए. की चेयरपरसन, माननीय प्रधान मंत्री जी, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी और यू.पी.ए. सरकार घटक के सभी दलों को बधाई देना चाहता हूं। यह एक ऐसा बिल है जिसके बारे में पूरे सदन ने कहा है कि हम इसके समर्थक हैं, लेकिन समर्थन करने के साथ-साथ सबने त्रुटियां भी निकालीं। इस बिल का विरोध करने का मतलब होगा कि पूरे हिन्दुस्तान का विरोध करना। इसलिए किसी पार्टी के किसी भी सांसद ने इस बिल का विरोध नहीं किया। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन करते हुए भी अनेक प्रकार की त्रुटियां बताईं। अनेक सदस्यों ने इसकी प्रशंसा भी की। किसी सदस्य ने कहा कि इस बिल पर पहली बार श्रीमती सोनिया गांधी जी बोलीं, किसी ने कहा कि कांग्रेस पहली बार ऐसा बिल लाई है, किसी ने कहा कि यह ऐतिहासिक बिल है। जिन्होंने कमियां गिनाईं, उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक बिल नहीं है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने इस प्रकार से बेरोजगारों की कानूनी जिम्मेदारी लेने का प्रयास किया है। इस सरकार ने खुद जिम्मेदारी ली है कि हम हिन्दुस्तान के लाखों गरीबों को रोजगार देंगे। आज से पहले किसी भी सरकार ने देश के गरीबों और बेरोजगारों की कानूनी गारंटी नहीं ली। यह पहली बार इस बिल के माध्यम से कहा गया है कि हम कानूनी रूप से जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई भी गरीब रोजी-रोटी के अभाव में नहीं मरेगा। इसलिए मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसमें जाइंट फेमिली की चर्चा की गई है। जाइंट फेमिली का कांसैप्ट क्या है, वह मैं बताना चाहता हूं। यदि एक परिवार में चार सदस्य हैं और चारों मिलकर जो भी लाते हैं, उसे चारों मिलकर खाते हैं। यहीं जाइंट फेमिली का कंसैप्ट cè[rpm113]*

यदि सारे लोग 1-1 करके अलग-अलग रोजगार करते हैं और सब अलग-अलग हो जाते हैं तो वहां जोइण्ट फैमिली टूट जाती है। जिस जोइंट फैमिली के कन्सैप्ट की कल्पना यहां पर की जा रही है, हमारे जैसे लोग उससे सहमत नहीं हो पाते। अर्बन एम्पलायमेंट बिल की चर्चा की गई। अभी रूरल अनएम्पलायमेंट बिल आया है। यह निश्चित है कि जो अर्बन एम्पलायमेंट बिल होगा, वह दूसरा मंत्रालय लायेगा, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी तो वह बिल नहीं ला सकते थे, इसलिए वह बिल नहीं आया। इस बिल के आने के बाद जो सबसे बड़ी बात हिन्दुस्तान के अन्दर होगी, जो गांव के लोगों का शहरों में पलायन है, वह कम होगा। दूसरी तरफ जो बेकारी और बेरोजगारी की वजह से पूरे समाज में अपराध, आतंकवाद और विवाद पनप रहा है, उस पर एक बहुत बड़ी रोक लगेगी, जब लोगों के पास रोजगार आ जायेगा।

इसके अतिरिक्त हम यह कहना चाहते हैं कि इसके पहले जो रोजगार की तमाम योजनाएं थीं, वे सारी योजनाएं, वे कार्यक्रम सरकारों के थे, लेकिन पहली बार सरकार ने इसके लिए कानून बनाया है और जिम्मेदारी ली है। हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आपने जो भी योजना बनाई, आपने इसमें 200 जिलों के बाद जितने जिलों को छोड़ा है, उनके लिए भी आप तत्काल कार्यक्रम बनाते जाइये कि कब 20 जिले, कब 50 जिले और कब 100 जिले आप लेंगे। समय बहुत कम है।

इसके अतिरिक्त जो मोनेटरिंग करने वाली कमेटी होगी, उसमें हमारा सरकार से और माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि सांसदगण को भी मोनेटरिंग कमेटी का एक हिस्सा बनाया जाये, जिससे वे भी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत तक अपनी बात को पहुंचा सकें और यह देख सकें कि जो केन्द्र सरकार पैसा दे रही है, उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा यह अनुरोध है कि निश्चित रूप से चूंकि यह केन्द्र सरकार ने बिल पास किया, केन्द्र सरकार पैसा दे रही है तो मोनेटरिंग का अधिकार दोनों सदनों के माननीय सांसदगण को होना चाहिए, जिससे वे खुद अपनी निगाह से देख सकें कि हमारे जिले में जो सरकार की नीयत है कि जो समाज का अन्तिम व्यक्ति है, हम उसे भी सम्मान देंगे तो केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि विभिन्न जनपदों में बैठे हुए हैं, वे अपनी निगाह से देख सकें कि सरकार की जो मंशा है, जो इच्छा है, वह गांवों में और जिलों में पूरी हो पाती या नहीं हो पाती है, हमारा यह अनुरोध है।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का 2-3 बातों पर ही ध्यानार्काण करना चाहूंगी।

इस बिल में बताया गया है कि 100 दिन का काम और लगभग 6 हजार रुपये उसे मिलेंगे, जो काम करने का इच्छुक होगा तो बाकी 265 दिनों के लिए उस परिवार को हम कैसे आश्वस्त करेंगे, कैसे उसे काम दिलाएंगे। दूसरी बात 200 जिलों वाली है, उसमें भी कौन से जिले चयनित किये गये हैं और कौन से जिले आप चयन करने वाले हैं, वह भी पता नहीं है। आपको वह भी बता देना चाहिए।

मेरी एक और प्रार्थना सुझाव के रूप में है कि जो काम हम देना चाहते हैं, उसमें पहले एक व्यवस्था थी कि पैतृक व्यवसाय हर गांव में हर परिवार करता था, जैसे सुथार, लुहार, मोची, तेली, माली, माछी, यानी सब का एक-एक काम अपने परिवार के लिए था। उसका बेटा पढ़ा-लिखा है या नहीं पढ़ा है तो भी वह उस काम को जानता था और इस तरह की वाटर पद्धति थी। सारे गांव में एक काम करने वाले 10 सुथार, लुहार के घर हों, उनके बेटों को रोजगार अपने आप मिलता था। आज वह सारा बन्द हो गया है तो उसके लिए उन व्यवसायों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या हम कोई विचार करने वाले हैं? अगर यह होता है तो मैं समझता हूं कि गांव जो आज बेरोजगारी के कारण शहर में जाकर खाली हो रहे हैं, इसीलिए तो अर्बन अनएम्पलायमेंट यूथ का भी यही हाल है। उसके बारे में मैं आपसे विनती करना चाहूंगी कि इस बात को भी सोचा जाये, उनमें से भी जो काम करना चाहते हैं, पूरे देश को गरीबी में से निकालकर कुछ ऐसी व्यवस्थाओं में ले जायें, उसके बारे में भी जानकारी दें।

महिलाओं के बारे में यहां कहा तो गया है, लेकिन भाईयों के रहते हुए महिलाओं को कितना चांस मिलेगा, जैसा सभी जगह हर बात में होता है। इसमें महिलाओं के बारे में यह भी प्रावधान होना चाहिए, स्पेसिफिकली मैं यही कहना चाहूंगी कि परिवारों में त्यक्ता, परित्यक्ता महिलाएं, तलाकशुदा बहनें और जिनकी कोई चिन्ता करने वाला नहीं है, =xÉ {É® ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÆ ÉÊxÉ£ÉÇ® cé*[i114] ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉDªÉÉ ºÉÉäSÉiÉÉÒ cè, <ºÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉ £ÉÉÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ*

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have given very good suggestions.

डॉ. करण सिंह यादव उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण रोजगार गारंटी संबंधी इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन करता हूं और यूपीए की अध्यक्ष, श्रीमती सोनियागांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के घोाणा पत्र में इसे शामिल किया और यूपीए के कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में प्रमुखता देते हुए इस ऐतिहासिक बिल को सदन में प्रस्तुत किया है। आज ऐसे समय पर जबकि गांव में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पहली बार एक ऐसी सरकार आयी है जो गारण्टिडी रोजगार मुहैया कराएगी, ऐसे में सदन के सभी पक्ष इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। यह जरूर है कि सामने के बैंचों पर बैठे लोग, उसमें किन्तु-परन्तु जैसे शब्द जोड़ रहे हैं।

मैं आपका ध्यान राजस्थान की ओर ले जाना चाहता हूं। राजस्थान देश में यूपी और एमपी के बाद क्षेत्रफल की दृटि से बड़ा प्रदेश है, किन्तु यहां सूखा पड़ता रहा है। यहां एक बड़ा भू-भाग रेगिस्तानी है। इस क्षेत्र में 16 प्रतिशत एससी, 14 प्रतिशत एसटी और 30 प्रतिशत बीपीएल लोग रहते हैं। रेगिस्तान के इस क्षेत्र में फूड फार वर्क के तहत मात्र पांच जिलों को शामिल किया गया है। यहां के 32 में से केवल 5 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की भीाण परिस्थितियों को देखते हुए, आप इस कार्यक्रम के तहत जो पचास जिले बढ़ाने जा रहे हैं, उनमें राजस्थान के कुछ जिलों को भी शामिल करें।

इसके साथ ही मैं अपने लोक सभा क्षेत्र अलवर का जिक्र करना चाहता हूं, जहां दो बड़े विधान सभा क्षेत्र एससी और एसटी लोगों के हैं - थानागाजी और राजगढ़। पूरे इलाके में पानी का स्तर नीचे चले जाने से यहां रोजगार का संकट है। मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरे इलाके अकाल की समस्या से जूझ रहे हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र अलवर जिले को भी, जब आप नए जिले बढ़ाएं, तब उन जिलों में शामिल करने की कृपा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाण समाप्त करता हूं।

श्री चंद्रकांत खैर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और साथ ही साथ मैं मंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया है। यह एक ऐतिहासिक बिल है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि इससे कितना इन्हें यश मिलेगा और कितना उद्देश्य में सफल होंगे। इन्होंने सांसदों की विजिलेंस एंड मोनिटरिंग एजेंसी बनायी है, उसके माध्यम से आपको इस योजना पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस कारण से आपको निगरानी समिति को भी ज्यादा पावर देनी होगी। मैं दस साल महाराट्र में विधायक रहा हूं। महाराट्र के उदाहरण से ही इस विधेयक की प्रेरणा ली गयी है। महाराट्र में रोजगार देने की योजना से संबंधित विधायकों की एक कमेटी होती है। उस कमेटी के विधायक सदस्य योजना के कार्य की विज़िट करते हैं। वे देखते हैं कि काम हो रहा है या नहीं। आपने जिस कमेटी का निर्माण किया है, उसे अधिकार देने से ही, इसका सही मायने में उपयोग हो सकेगा। मैं अपने से पूर्ववक्ता को स्पोर्ट करता हूं। इस विधेयक में रोजगार का नाम नहीं लिया गया है। हमारे महाराट्र में रोजगार योजना चल रही है, उसी से प्रेरणा लेकर यह बिल लाया गया है। इस बिल का नाम राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक है - क्या आपने रोजगार देने की गारंटी ली है? आपने रोजगार देने की गारंटी नहीं ली है[MSOffice115]* ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå +ÉàÉébàÉé] BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé, <ºÉºÉä cèÉËbMÉ +ÉSUÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, ®ÉäVÉMÉÉ® xÉÉàÉ ={ÉàÉ¤vÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE £ÉÉÒ SÉãÉäMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå ®ÉäVÉMÉÉ® ¶É¤n +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, AäºÉÉÒ àÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ cè*

आपने अपने भाण में दो-तीन बातें कही हैं कि टॉप प्रायेरिटी इसमें वाटर कन्जर्वेशन हो, ड्राउट, फ्लड, फारेस्ट्री, इरीगेशन और नहर हो, महाराट्र में जो छोटे-छोटे एग्रीकल्चरल तालाब होते हैं, उनके लिए भी इसमें मान्यता देनी चाहिए।

हमने महाराट्र में वैल रीचार्जिंग का नया सिस्टम शुरू किया है। उसे भी इसमें जोड़ना चाहिए। किसी-किसी जगह रास्तों को भी मान्यता देनी चाहिए।

अभी हमारी दीदी ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत से भी ज्यादा रोजगार देना अच्छा है। महाराट्र में 50 प्रतिशत महिलाएं रोजगार हमीं के काम में जाती हैं जिससे वहां के गांवों की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती है। यदि इसी तरह हो जाए तो हमारे देश की सभी महिलाएं काम कर सकेंगी।

महाराट्र में कृाक समय डेढ़ सौ दिन से ज्यादा होता है, लेकिन आपने सौ दिन का किया है। सब सांसदों ने दिन बढ़ाने के बारे में कहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सौ दिन के बदले डेढ़ सौ दिन कीजिए। इससे देश में आपका नाम चमकेगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं 60 रूपये के बारे में नहीं कहूंगा। आपको अलग-अलग राज्यों की परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। हम नई स्कीम लागू करने वाले हैं। उसमें जहां कुछ खामियां हों, उसके लिए राज्यों को अधिकार देने चाहिए। महाराट्र में रबी और खरीफ की फसल वाले किसान कई बार डेढ़ सौ दिन तक खाली रहते हैं। इसलिए उन्हें डेढ़ सौ दिन तक मजदूरी मिलनी चाहिए। जैसे-जैसे डिमांड होगी, वैसे-वैसे काम देंगे, हमें यह भूमिका रखनी पड़ेगी।

मैं मंत्री जी को अच्छा बिल लाने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं महाराट्र से अभी आया हूं और आपने मुझे जल्दी ही बोलने का अवसर दे दिया। आप इस बिल में रोजगार शब्द लाना नहीं भूलें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आखिरी सदस्य बोलेंगे।

माननीय सदस्य के कहने का मकसद यह था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आपने मैंशन किया हुआ है कि इस-इस काम के लिए उनको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उस काम की जरूरत नहीं है जिसके लिए आपने मैंशन किया है। यदि उन्हें कार्य चेंज करने का अधिकार हो जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे उन्होंने छप्पड़, दीवार और स्कूल आदि बनाने के बारे में कहा है। कई राज्यों में ऐसे कामों की जरूरत नहीं है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अमैंडमैंट में है " इन कन्सलटेशन विद दी स्टेट गवर्नमैंट" और नए काम भी लिए जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

हमने इसके बाद स्पैशल मैंशन्स लेने हैं। यदि हाउस चाहे तो वे भी ले लकते हैंड्ड116ट।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : उपाध्यक्ष महोदय, जितने लोग बैठे हैं, उन सबको आप बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। शांडिल्य जी, आपको तकलीफ होगी लेकिन दो मिनट में आप अपना भााण खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

DR. THOKCHOM MEINYA Mr. Deputy Speaker Sir, I do rise to support this historical bill The National Rural Employment Guarantee Bill, 2004 as moved by Hon'ble Minister Shri Raghuvansh Prasad Singh ji.

Sir, It is indeed heartening to see such a milestone piece of work in the history of Independent India. This is exactly the direct outcome of the National Common Minimum Programme of the United Progressive Alliance Government. Kudos! To the Hon'ble Chairperson of UPA the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Rural Development Minister for this momentous piece of legislation.

Sir, I shall confine myself tot he execution part of the Act. The beginning shows the light. In the first place, two hundred districts will be covered and the remaining districts of the country in the coming five years. Sir, I would like to request the Union Government and the Rural Development Ministry in particular is include at least four districts from the State of Manipur – two each from the valley and the hills in the first instant.

Sir, the implementation of the provisions of the Act may be judiciously monitored. The country is marching ahead towards eradication of poverty-Garibi Hatao through Bharat Nirman Jai Hind.

---

* Speech was laid on the Table.

DR. COL. (RETD.) DHANI RAM SHANDIL Sir, I hope you will make some concessions to me as the last Member to speak on this Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा मन करता है कि मैं आपको देर तक घंटा सुनूं लेकिन टाइम नहीं है।

DR. COL. (RETD.) DHANI RAM SHANDIL : Sir, I rise in support of the National Rural Employment Guarantee Bill tabled in this august House by Dr. Raghuvans Prasad Singh, the hon. Minister of Rural Development.

Sir, I would like to begin by referring to one old proverb -- a thousand mile journey begins with a single step. This single step was taken by Pandit Jawaharlal Nehru when he became the architect of this great nation and when he wanted to find ways as to how we could generate employment in this country. For that matter, he led the foundation of a strong and viable economy in this country. Similarly, the late Indira Gandhi came up with poverty alleviation programmes and gave the slogan `*Garibi Hatao'*. The aim was to create employment and have assets. Successive Prime Ministers, be it the late Rajiv Gandhi or Narasimha Rao, it was always the Congress regime that paid attention to the interests of the poor in this country. The Congress party never deviated from that. Today, under the UPA Chairman Smt. Sonia Gandhi and under Prime Minister Dr. Manmohan Singh this historic Bill has been brought forward by Dr. Raghuvans Prasad Singh, the hon. Minister of Rural Development. Everyone in this House is unanimous about passing this Bill. There is no difference of opinion on this Bill. I personally feel that we should all laud this effort and make all attempts to find ways and means to see how we can make it more effective, how we can generate more funds to finance this programme. The corporate sector could come in a big way to help finance this programme and even the rich peasants in the rural areas can come forward to help serve this noble cause. We should not have any hiccups. There should not be any problem in generating finances worth Rs. 40,000 – 50,000 crore for this purpose. That is one suggestion.

Finally I would say that each one of us must remember that जिन आम जनता ने, जन-साधारण नें हमें यहां भेजा है, जिन्होंने इनता बड़ा मान रखा है, उनमें आज आशा की किरण जागी है। उनके जीवन में आशा का जो दीपक जला है, उसे आप बुझने न दें। उनके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, उनको दूर करके इस बिल को सफल बनायें और उन लोगों के हम पर जो कर्ज हैं, उसे भी आप निपटाएं और इस देश को अच्छा सम्पन्न देश बनायें।

श्री पुन्नू लाल मोहले उपाध्यक्ष महोदय, उक्त योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को 100 दिन तक रोजगार अर्थात् 60 रुपये प्रतिदिन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति को मजदूरी देने की गारंटी है। इसमें मेरा अनुरोध है कि यदि एक परिवार में यदि पत्नी और बच्चे सहित पांच लोग हैं तो उनकी गुजार-बसर कैसे होगी ? यह चिंतनीय विाय है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक साल में 365 दिन होते हैं। अब 100 दिन रोजगार देने से यह साल का

1/4 हिस्सा बनता है। मैं पूछना चाहता हूं कि साल के बाकी 265 दिन वे मजदूर क्या करेंगे? गरीब मजदूर मिट्टी के अधिक कार्य करते हैं। पुरुा और महिला मिट्टी खोदकर उसे सिर पर ढोकर जाते हैं। उन्हें मिट्टी खोदने के 100 रुपये प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में यदि 60 रुपये प्रतिदिन परिवार के एक सदस्य को रोजगार की गारंटी है, तो उसे 1800 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 100 दिन के 6000 रुपये मिलेंगे। अब प्रति पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगो की संख्या 500 से 1000 है। अब कार्य मिलने पर 3 लाख रुपये प्रति माह और एक माह में 100 लोगों को तीन लाख रुपया, प्रति ग्राम पंचायत में मिलेंगे। इसी प्रकार यदि नौ जिलों में हजार ग्राम पंचायतें हैं तो प्रदेश में कितनी राशि लगेगी और देश के 200 जिलों के लिए कितनी राशि लगेगी? । अगर वार्ा ऋतु के चार माह निकाल दें तो बाकी समय के लिए ग्राम पंचायतों की इस रोजगार गारंटी का क्या होगा और अगले आठ माह में गरीबों को क्या कार्य मिलेगा, उनकी क्या स्थिति होगी, यह भी देखना चाहिए। गरीब मजदूर अपनी रोजी रोटी से पेट भर खाना भी नहीं खा पायेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूरों की मजदूरी दर बाकी प्रदेश से बहुत कम है। ग्रामीण इलाकों में पढ़े लिखे विद्यार्थियों, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो लोग बहुत ज्यादा कुशल हैं यानी जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, कम्प्यूटर के कोर्स किये हुए हैं, कृाि में ट्रेनिंग ली हुई है, ऐसे प्रशिक्षित लोगों के परिवारों को कार्य दिये जाने की योजना में सरकार क्या उन्हें शामिल करेगी? वार्ा ऋतु के चार माह को छोड़कर जो ग्राम में मजदूरी कृाि के ऊपर निर्भर होती है, उसे उक्त योजना में शामिल नहीं किया जाये बल्कि उन्हें शेा आठ

माह के अंदर शामिल किया जाये। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले हर परिवार के दो सदस्यों को 60 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिन के स्थान पर 200 दिन तक कर दिया जाये। उनके परिवार के अन्य सदस्यों को काम न मिलने की स्थिति में 100 रुपये प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता दिया जाये।

---

* Speech was laid on the Table.